

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च 2021—फाल्गुन 14, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकी सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2021

क्र. एफ-1(ए)-110-1986-ब-2-दो.— राज्य शासन, एतद्वारा, श्री विवेक जौहरी, भापुसे पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय, भोपाल को भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)-2020-EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018-21 के अंतर्गत अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद

पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन) की स्वीकृति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ प्रदान करता है :-

- | | | | |
|----|----------------------|---|--------|
| 1. | श्री विवेक जौहरी | — | स्वयं |
| 2. | श्रीमती अनुपमा जौहरी | — | पत्नी |
| 3. | कु. स्वरा | — | पुत्री |

(2) यह स्वीकृति भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)-2020-EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित शर्तों के अधीन ही इस विशेष पैकेज का लाभ दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी, अवर सचिव.

4331

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2021

पंजी. क्र. 879-2021-इक्कीस-ब-दो.- राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील-पालसेमल, जिला-बड़वानी में विभागीय आदेश दिनांक 25 अगस्त 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री बाबूलाल खलाणे का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी. क्र. 955-2021-इक्कीस-ब-दो.- राज्य शासन, एतद्वारा, जिला मुख्यालय, रतलाम में विभागीय आदेश दिनांक 6 जुलाई 2000 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्रीमती संध्या एलेक्जेण्डर का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी. क्र. 956-2021-इक्कीस-ब-दो.- राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील-बिरसिंहपुर जिला-उमरिया में विभागीय आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री मुसाफिर राय का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2021

पंजी. क्र. 878-2021-इक्कीस-ब-दो.- राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील आगर, जिला-शाजापुर में विभागीय आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री चंद्रहास परमार का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, अपर सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्र. एफ-06-16-2002-तीन-जेल.- जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, पुरानी जेल परिसर एवं भैल, दशहरा मैदान, भोपाल को विधान सभा बैठक दिनांक 22 फरवरी 2021 से दिनांक 26 मार्च 2021 के दौरान अस्थायी जेल घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय नथानियल, अवर सचिव.

कार्यालय, कुलाध्यक्ष, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची, जिला रायसेन

राजभवन, भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2021

क्र. एफ-1-4-18-रा.स.-यू.ए. 1-191.- सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (क्रमांक 1 सन् 2013) की धारा 13 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के प्रावधानांतर्गत विश्वविद्यालय की साधारण परिषद् द्वारा अनुशासित पैनल में से मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाध्यक्ष, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची, जिला रायसेन (म. प्र.), एतद्वारा, प्रो. नीरजा ए. गुप्ता, प्राफेसर एवं प्राचार्य, भारतीय विद्या भवन, शेट आर.ए. कालेज ऑफ आर्ट्स एवं कामर्स, खानपुर, अहमदाबाद-380001 को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 04 वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के लिए उक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करती हूँ।

(2) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनिधम-01 के अनुसार शासित होंगी।

आनंदीबेन पटेल, कुलाध्यक्ष.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

आमला विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2021

क्र.-1180-वि.यो.-496-नग्रानि-2021.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आमला विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, बैतूल, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, आमला, मध्यप्रदेश

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी /कंडिका	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्र. (5) एवं कॉलम क्र. (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आमला विकास योजना, 2021.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक. कृषि	6 6	6-सा-14 6-सा-14	4 7	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग** सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या —

- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
- ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-17(क) के अनुसार.

टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

क्र.-174-भू-सर्वेक्षण-2021

ग्वालियर, दिनांक 23 फरवरी 2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)
1	मुरैना	कैलारस	1- बहरारा जागीर	प.ह. बहरारा जागीर	ग्राम का समस्त क्षेत्र (आबादी भूमि छोड़कर)
2	मुरैना	जौरा	2- सदुआपुरा	प.ह. विचपुरी	ग्राम का समस्त क्षेत्र (आबादी भूमि छोड़कर)
3	मुरैना	जौरा	3- धौरैरा	प.ह. विचपुरी	ग्राम का समस्त क्षेत्र (आबादी भूमि छोड़कर)
4	मुरैना	जौरा	4- धुरारी	प.ह.झोड़	ग्राम का समस्त क्षेत्र (आबादी भूमि छोड़कर)

क्र.-175-भू-सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)
1	अशोकनगर	अशोकनगर	1- पठारी	प.ह.पठारी	ग्राम का समस्त क्षेत्र (आबादी भूमि छोड़कर)

2	अशोकनगर	अशोकनगर	2- पिपरिया खेड़ा	प.ह.मेनाई	ग्राम का समस्त क्षेत्र (आबादी भूमि छोड़कर)
3	अशोकनगर	अशोकनगर	3- तरावली जागीर	प.ह.खेजरा कला	ग्राम का समस्त क्षेत्र (आबादी भूमि छोड़कर)
4	अशोकनगर	अशोकनगर	4-हिगोनिया	प.ह. खेजरा कला	ग्राम का समस्त क्षेत्र (आबादी भूमि छोड़कर)
5	अशोकनगर	अशोकनगर	5- सुमेर जागीर	प.ह.वरखेड़ा छज्जू	ग्राम का समस्त क्षेत्र (आबादी भूमि छोड़कर)
6	अशोकनगर	अशोकनगर	6- परसोलिया	प.ह.जतौली	ग्राम का समस्त क्षेत्र (आबादी भूमि छोड़कर)
7	अशोकनगर	अशोकनगर	7- वाजिदपुर	प.ह.काकाखेडी	ग्राम का समस्त क्षेत्र (आबादी भूमि छोड़कर)
8	अशोकनगर	अशोकनगर	8- मेनाई	प.ह. मेनाई	ग्राम का समस्त क्षेत्र (आबादी भूमि छोड़कर)
9	अशोकनगर	इशागढ	9- वखतर जागीर	प.ह. वखतर जागीर	ग्राम का समस्त क्षेत्र (आबादी भूमि छोड़कर)
10	अशोकनगर	पिपरई	10- मलावनी	प.ह. मलावनी	ग्राम का समस्त क्षेत्र (आबादी भूमि छोड़कर)

क्र.-176-भू-सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	उज्जैन	बड़नगर	1- मसवाडियाधार	प.ह. मसवाडियाधार	ग्राम का समस्त क्षेत्र (आबादी भूमि छोड़कर)

क्र.-177-भू-सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)
1	धार	मनावर	1- देवला	म.ह.देवला	ग्राम का सम्स्त क्षेत्र (आबादी भूमि छोड़कर)

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र.-1312-भू-अर्जन-2021

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 फरवरी 2021

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम— गुमगांव दावाझिर, प0ह0न-31 ब.न.-64 रा.नि.मं.-चांद	रकबा— 0.180 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना की दायी तट मुख्य नहर के अन्तर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बाँध जल संसाधन क0 1 चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन दायी तट नहर उपसंभाग क0-1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.-1313-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम- गोहरगांव, प0ह0न-31 ब.न.-68 रा.नि.मं.-चांद	रकबा- 0.260 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाडा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना की दायी तट मुख्य नहर के अन्तर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बाँध जल संसाधन क0.1 चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन दायी तट नहर उपसंभाग क0-1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.-1314-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम- परसगांव सर्रा, प0ह0न-32 ब.न.-61 रा.नि.मं.-चांद	रकबा- 0.120 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना की दायी तट मुख्य नहर के अन्तर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बाँध जल संसाधन क0 1 चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन दायी तट नहर उपसंभाग क0-1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.-1315-भू-अर्जन-2021

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	चांद
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-निशान जानोजी प0ह0न-29, ब.न.-150 रा.नि.मं.-चांद
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-0.158 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
	46/2	0.029
1	47	
	192/2	
2	28/1	0.114
3	17/1	0.012
4	18/1	0.003
	23/1	
	योग :-	कुल रकबा-0.158 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:— पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क0 1 चौरई, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र0-1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-1316-भू-अर्जन-2021

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	चांद
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-चांद प0ह0न-24, ब.न.-80 रा.नि.मं.-चांद
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-0.455 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	255/2	0.092
2	221/3 565/3	0.201
3	562/4	0.081
4	563/1 563/4	0.081
	योग :-	कुल रकबा-0.455 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर की 16 एल माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0 प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क0 1 चौरई, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्रं0-1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-1520-जि.भू.अ.-2021

सिवनी, दिनांक 2 मार्च 2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। ऐरमा जलाशय के अंतर्गत डूब क्षेत्र में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

--:अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन:-

क.	जिला	सिवनी
ख.	तहसील	छपारा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-रामगढ़ ब.नं.-648 प.ह.नं.-30
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा	4.26 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

--:निजी भूमि का रकबा:-

क्र.	खसरा नंबर	रकबा (हेक्ट.में)	क्र.	खसरा नंबर	रकबा (हेक्ट.में)	क्र.	खसरा नंबर	रकबा (हेक्ट.में)
1	439/1	0.01	16	328	0.19	31	315/2	0.04
2	439/2	0.10	17	399	0.13	32	316/2	0.12
3	439/3	0.10	18	400	0.07	33	316/1	0.11
4	439/4	0.05	19	392	0.18	34	317	0.10
5	439/5	0.04	20	391/2	0.06	35	327	0.05
6	440	0.07	21	380/2/1	0.02	36	339/1/6	0.07
7	420	0.03	22	380/2/2	0.01	37	339/2/1	0.09
8	419/2	0.10	23	381	0.02	38	339/2/2	
9	419/1	0.06	24	376/2	0.13	39	339/2/3	
10	418/1	0.16	25	376/3	0.02	40	339/2/4	
11	412/1/2	0.03	26	356	0.37	41	340/2	0.04
12	412/2	0.21	27	353	0.16	42	341	0.34
13	413/1	0.16	28	349/4	0.31	43	340/3	0.01
14	398/2	0.10	29	308/2	0.24	44	योग:-	4.26
15	329/4	0.01	30	309/2	0.15	45		

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पंच व्यपवर्तन परियोजना की माईनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादौन के न्यायालय में किया सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश
प्रारूप धारा-25

प्र.क्र.-594-भू-अर्जन-2020-21

राजगढ़, दिनांक 14 जनवरी 2021

राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 20/09/2019 को कराया गया था। मुआवजा वितरण हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने के कारण 01 वर्ष की नियत अवधि में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका। इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका।

अतः भू-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा-25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है।

अनुसूची- (1)

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
राजगढ़	जीरापुर	भगोरी	31.090 हेक्टेयर	भगोरी तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन।
कुल योग :-			31.090 हेक्टेयर	

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 1286 /भू-अर्जन/2021 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 22/35-82/2020-21 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-टोडी (III) के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री, सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुके अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुके अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम-टोडी (III)

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-टोडी (III) की भूमि की आवश्यकता।	189.057	189.057
	कुल योग :	189.057	189.057

—: अनुसूची (2) :—

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	दुलीचंद पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	339/1	0.126	0.126
		कुल 1 किता	0.126	0.126
2	नेपाल सिंह पिता शंकरलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	339/2	0.127	0.127
		55/3	0.133	0.133
		कुल 2 किता	0.260	0.260

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
3	रणजीत सिंह पिता मांगीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	336	0.139	0.139
		368	0.190	0.190
		कुल 2 किता	0.329	0.329
4	चम्पालाल पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़ भूमि स्वामी	335	0.152	0.152
		325	0.215	0.215
		कुल 2 किता	0.367	0.367
5	भारतसिंह पिता जगन्नाथ जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	322	0.139	0.139
		424/1/2	0.506	0.506
		कुल 2 किता	0.645	0.645
6	कृष्णाबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	321/2	0.085	0.085
		319/2/2	0.168	0.168
		कुल 2 किता	0.253	0.253
7	घीसालाल आ. रामरतन जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	318/1	0.177	0.177
		317	0.455	0.455
		575/1	0.365	0.365
		कुल 3 किता	0.997	0.997
8	रम्भाबाई बेवा खुशीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	318/2	0.165	0.165
		316	0.367	0.367
		315	0.101	0.101
		कुल 3 किता	0.633	0.633
9	चंदरसिंह पिता ग्यारसीराम जाति अहीर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	312/1/2	0.013	0.013
		394/1/2/2	0.033	0.033
		394/3/2/2	0.049	0.049
		374/2/2/2	0.013	0.013
		374/4/2/2	0.019	0.019
कुल 5 किता	0.127	0.127		
10	सुशीलाबाई पति बैजनाथ जाति धोबी पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़	311/2	0.054	0.054
		कुल 1 किता	0.054	0.054
11	तुलसीराम आ. छीतर जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	304	0.164	0.164
		303/1	0.089	0.089
		कुल 2 किता	0.253	0.253
12	रूपसिंह पिता करणसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	298/2	0.150	0.150
		277	0.190	0.190
		कुल 2 किता	0.340	0.340

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
13	हरकिशन आ. हरचन्द जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	296/3	0.379 /	0.379
		कुल 1 किता	0.379	0.379
14	कृष्णाबाई पति भारतसिंह जाति लोधी पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़	295/2	0.253 /	0.253
		कुल 1 किता	0.253	0.253
15	धनरूप आ. नन्नूलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	592	0.164	0.164
		591/2	1.121 /	1.121
		409/2	0.137 /	0.137
		कुल 3 किता	1.422	1.422
16	परवत सिंह पिता हजारीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	142/1/2	0.109 /	0.109
		53/3	0.063 /	0.063
		52/3	0.127 /	0.127
		कुल 3 किता	0.299	0.299
17	नरभेसिंह पिता कंवरलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	159/1	0.400 /	0.400
		138	0.164 /	0.164
		131	0.190	0.190
		कुल 3 किता	0.754	0.754
18	सरजनसिंह पिता जयसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	155/1/2	0.161 /	0.161
		568/2/2	0.188 /	0.188
		559/2/2	0.402 /	0.402
		278/2/2	0.146 /	0.146
		261/2/2	0.218 /	0.218
		132/2/2	0.025 /	0.025
		कुल 6 किता	1.140	1.140
19	गुलाबसिंह पिता मांगीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	157/1	0.076 /	0.076
		26/1	0.101 /	0.101
		27/1	1.131 /	1.131
		29/1	0.095 /	0.095
		कुल 4 किता	1.403	1.403
20	जयसिंह पिता मांगीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	157/2	0.076 /	0.076
		199/3	0.042 /	0.042
		203	0.202 /	0.202
		26/2	0.101 /	0.101
		27/2	1.132 /	1.132
		29/2	0.095 /	0.095
		कुल 6 किता	1.648	1.648

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
21	बापूलाल पिता जयसिंह हि. 1/2 भाग, सरजन पिता जयसिंह हि. 1/2 भाग, जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	156/1/2	0.079 ✓	0.079
		133/2/2	0.152 ✓	0.152
		128/1	0.056 ✓	0.056
		276/2/2	1.012	1.012
		कुल 4 किता	1.299	1.299
22	लाखन सिंह पिता कन्हैयालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	563/3/1	0.068	0.068
		557/3/1	0.158	0.158
		279/2	1.265 ✓	1.265
		कुल 3 किता	1.491	1.491
23	अजबबाई बेवा हीरालाल बालिंग, सुशीलाबाई ना.बा. मिथलेशबाई, ना.बा. विनोद ना.बा. सुनीता पिता हीरालाल सरमाता अजबबाई पति हीरालाल जाति लोधी पता टोडी निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़	150/1	0.054 ✓	0.054
		146/1	0.123 ✓	0.123
		146/2	0.079 ✓	0.079
		कुल 3 किता	0.256	0.256
24	मोतीलाल पिता गिरधारी जाति लोदी पता टोडी ब्यावरा राजगढ़	150/2	0.051 ✓	0.051
			कुल 1 किता	0.051
25	नवलसिंह पिता भंवरलाल जाति लोदा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	150/3	0.033 ✓	0.033
			कुल 1 किता	0.033
26	मांगीलाल पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़	150/4	0.034 ✓	0.034
		563/4	0.136 ✓	0.136
		कुल 2 किता	0.170	0.170
27	रामसिंह पिता भंवरलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	150/5	0.033 ✓	0.033
		557/2	0.316 ✓	0.316
		कुल 2 किता	0.349	0.349
28	गुलाब पिता गिरधारी जाति लोदी पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़	150/7	0.052 ✓	0.052
			कुल 1 किता	0.052
29	निरपत सिंह पप्पू कलाबाई पिता शंकरलाल मु. धापूबाई बेवा शंकरलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़	145/1	0.068 ✓	0.068
		565/2/2	0.245 ✓	0.245
		कुल 2 किता	0.313	0.313
30	अमृतलाल पिता नरभेसिंह कौशल्या बाई पति नरभेसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम ब्यावरा राजगढ़	145/2	0.067 ✓	0.067
		565/1	0.489 ✓	0.489
		कुल 2 किता	0.556	0.556

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
31	बद्रीलाल आ. पन्नालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	145/3	0.067	0.067
		113/3	0.180	0.180
		113/4	0.180	0.180
		कुल 3 किता	0.427	0.427
32	रमेश आ. गंगाधर जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	140/1	0.040	0.040
		129/2	0.117	0.117
		128/2	0.111	0.111
		553/1	0.114	0.114
		कुल 4 किता	0.382	0.382
33	प्रेम पिता गंगाधर जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	140/2	0.049	0.049
		130	0.051	0.051
		129/3	0.183	0.183
		कुल 3 किता	0.283	0.283
34	शंकरलाल पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	129/1	0.056	0.056
		123/1	0.051	0.051
		553/2	0.114	0.114
		कुल 3 किता	0.221	0.221
35	प्रभूलाल आ. मिश्रीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	129/4	0.056	0.056
		128/4	0.056	0.056
		123/4	0.051	0.051
		कुल 3 किता	0.163	0.163
36	छोटेलाल आ. मिश्रीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	129/5	0.056	0.056
		128/5	0.056	0.056
		123/5	0.051	0.051
		कुल 3 किता	0.163	0.163
37	मांगीलाल पिता मिश्रीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ भूमि स्वामी	128/6	0.057	0.057
		123/2	0.051	0.051
		कुल 2 किता	0.108	0.108
38	मांगीलाल पिता गोरधन हि. 1/2 भाग, रमकु बेवा गोरधन हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	99/2	0.177	0.177
		583/2	0.329	0.329
		582/2	0.405	0.405
		279/1	1.265	1.265
		101	0.139	0.139
		कुल 5 किता	2.315	2.315
39	धनसिंह पिता खुशीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	572/2/1	0.104	0.104
		561/1/1	0.107	0.107
		575/2/1	0.092	0.092
		कुल 3 किता	0.303	0.303
40	कल्याणसिंह पिता खुशीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	572/2/2	0.104	0.104
		561/1/2	0.107	0.107
		575/2/2	0.092	0.092
		कुल 3 किता	0.303	0.303

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमाणित रकबा (हेक्टर में)
41	प्रेमसिंह पिता खुशीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	572/2/3	0.104	0.104
		561/1/3	0.108	0.108
		575/2/3	0.092	0.092
		कुल 3 किता	0.304	0.304
42	जगन्नाथ पिता खुशीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	572/2/4	0.105	0.105
		561/1/4	0.108	0.108
		575/2/4	0.091	0.091
		कुल 3 किता	0.304	0.304
43	मुकेश पिता बद्रीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	565/3	0.489	0.489
44	ओमपालसिंह पिता महिपाल सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	कुल 1 किता	0.489	0.489
		681/1/1	1.309	1.309
		679/1	0.854	0.854
		678/3	1.000	1.000
		646/1	0.973	0.973
		544/2/1	1.169	1.169
कुल 5 किता	5.305	5.305		
45	विजयपालसिंह पिता महिपाल सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	681/1/2	1.309	1.309
		679/2	0.854	0.854
		678/4	1.000	1.000
		646/2	0.974	0.974
		544/2/2	1.170	1.170
		कुल 5 किता	5.307	5.307
46	देवेन्द्रसिंह पिता जगमोहन जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	681/2	2.665	2.665
		680/3	1.497	1.497
		621	1.328	1.328
		कुल 3 किता	5.490	5.490
47	जगपालसिंह पिता रघुवीर सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	681/3/1/1	0.106	0.106
48	शिवपालसिंह पिता रघुवीर सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	कुल 1 किता	0.106	0.106
		681/3/1/2	0.105	0.105
49	नगेन्द्रसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	कुल 1 किता	0.105	0.105
		681/3/2	3.367	3.367
50	विक्रमसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	कुल 1 किता	3.367	3.367
		681/3/3	1.053	1.053
		674/1	1.985	1.985
		674/2	1.518	1.518
		673/2	0.354	0.354
कुल 4 किता	4.910	4.910		

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
51	हरपालसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	681/3/4	0.210 /	0.210
		कुल 1 किता	0.210	0.210
52	प्रतापसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	681/3/5	0.210 /	0.210
		कुल 1 किता	0.210	0.210
53	सत्येन्द्रसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	681/3/6	0.210 /	0.210
		672	1.467 /	1.467
		कुल 2 किता	1.677	1.677
54	ना.बा. रूपेन्द्रसिंह पिता विरेन्द्रसिंह सर माता सीमाकँवर पति विरेन्द्र सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	680/2	1.496 /	1.496
		कुल 1 किता	1.496	1.496
55	राजेन्द्रसिंह, जगमोहनसिंह, महिपालसिंह पिता भंवरलाल मु. हेमकँवर बेवा भंवरलाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	678/5	0.214 /	0.214
		620/1/1	1.000 /	1.000
		कुल 2 किता	1.214	1.214
56	नरेन्द्र सिंह पिता राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	676/2/1	0.468 /	0.468
		645/2	1.846 /	1.846
		644	0.582	0.582
		626/1/2/2	0.506 /	0.506
		620/2/2	1.040 /	1.040
		619/1	0.701 /	0.701
		617/1	0.460 /	0.460
		615/1	0.284 /	0.284
		615/2/2	0.142 /	0.142
		612/1	0.354 /	0.354
		612/2/2	0.177 /	0.177
		544/3	0.821 /	0.821
		कुल 12 किता	7.381	7.381
57	मधुबालाकँवर पति नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	676/2/2	0.375 /	0.375
		675/2	1.587 /	1.587
		कुल 2 किता	1.962	1.962
58	राजेन्द्र सिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	673/1	1.101 /	1.101
		638	0.215 /	0.215
		630/1	0.375 /	0.375
		628/1	0.786 /	0.786
		622	1.214 /	1.214
		619/2	0.349 /	0.349
		617/2/1	0.229 /	0.229
		कुल 7 किता	4.269	4.269

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
59	रामबगस पिता छीतर जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	653/2	0.590 ✓	0.590
		कुल 1 किता	0.590	0.590
60	बरकतअली पिता अली हुसेन हि. 1/2 भाग, सुलेहमान पिता अली हुसेन हि. 1/2 भाग, जाति मुस्लिम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	652	0.342 ✓	0.342
		कुल 1 किता	0.342	0.342
61	राजेन्द्र सिंह, जगमोहन सिंह, महिपाल सिंह, लड्डूकंवर, हरुकुंवर, गोपाल कुंवर पिता भूपेनसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	651	4.224	4.224
		649	0.329 ✓	0.329
		648	0.620 ✓	0.620
		639	0.443 ✓	0.443
		कुल 4 किता	5.616	5.616
62	श्रीमति प्रेमकुंवर पत्नि जगमोहनसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	643	1.328 ✓	1.328
		547	0.531 ✓	0.531
		546	1.278 ✓	1.278
		कुल 3 किता	3.137	3.137
63	छगनसिंह पिता जमनालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	641/1	0.164 ✓	0.164
		634	0.228 ✓	0.228
		कुल 2 किता	0.392	0.392
64	बंशीलाल पिता हीरालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	641/2	0.165	0.165
		372	0.190 ✓	0.190
		कुल 2 किता	0.355	0.355
65	शांतिबाई पिता गोपीलाल जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	637	0.759 ✓	0.759
		627/2	0.873 ✓	0.873
		623	0.417	0.417
		कुल 3 किता	2.049	2.049
66	शिवचरण पिता देवीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	635/1	0.135 ✓	0.135
		566/2	0.687 ✓	0.687
		549/2	0.628 ✓	0.628
		430/2	0.286 ✓	0.286
		422/2	0.885 ✓	0.885
		कुल 5 किता	2.621	2.621
67	लक्ष्मीचन्द्र आ. नन्नूलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	632/1	0.039 ✓	0.039
		595/1	0.463 ✓	0.463
		591/3	1.122 ✓	1.122
		409/3	0.039 ✓	0.039
		कुल 4 किता	1.663	1.663

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
68	धनरूप आ. नन्नूलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	632/2	0.087 ✓	0.087
		कुल 1 किता	0.087	0.087
69	ग्यारसीराम आ. कन्हैयालाल जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	631/3	0.136 ✓	0.136
		626/3	0.908 ✓	0.908
		कुल 2 किता	1.044	1.044
70	देवालाल आ. कन्हैयालाल जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	631/4	0.136 ✓	0.136
		626/4	0.402 ✓	0.402
		कुल 2 किता	0.538	0.538
71	गिरजाकुंवर पति देवेन्द्र सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	627/1	0.506	0.506
		626/5	0.506	0.506
		544/1	2.339 ✓	2.339
		कुल 3 किता	3.351	3.351
72	सुखराम आ. भंवरलाल, रामदयाल आ. देवीराम, उमराव बाई बेवा देवीराम जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	624	0.569 ✓	0.569
		कुल 1 किता	0.569	0.569
73	धीरपसिंह पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता टोडी ब्यावरा राजगढ़	618/1/1	0.244 ✓	0.244
		438/2	0.174 ✓	0.174
		391/1	0.183 ✓	0.183
		389/1/1	0.563 ✓	0.563
		389/2	1.226 ✓	1.226
		385/1	0.063 ✓	0.063
		कुल 6 किता	2.453	2.453
74	लाडबाई पति जगदीश जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	618/3/1	0.239 ✓	0.239
		618/3/2	0.239 ✓	0.239
		कुल 2 किता	0.478	0.478
75	कुंजीराम पिता कनीराम जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	615/2/1	0.143	0.143
		612/2/1	0.177 ✓	0.177
		कुल 2 किता	0.320	0.320
76	ग्यारसी बाई पिता जगन्नाथ जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	609/4	0.492 ✓	0.492
		कुल 1 किता	0.492	0.492
77	दरियाव सिंह पिता बंशीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़	608	0.860	0.860
		557/1	0.316 ✓	0.316
		557/4	0.317 ✓	0.317
		कुल 3 किता	1.493	1.493

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
78	गीताबाई पत्नि खुशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम गुर्जरखेडीखुर्द भूमि स्वामी	604/1	0.267 ✓	0.267
		603/2/1	0.745 ✓	0.745
		603/2/2	0.576 ✓	0.576
		कुल 3 किता	1.588	1.588
79	मनोज पिता धनसिंह जाति लोदी पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़	574/1	0.759 ✓	0.759
		कुल 1 किता	0.759	0.759
80	रवि पिता धनसिंह जाति लोदी पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़	574/2	0.759 ✓	0.759
		कुल 1 किता	0.759	0.759
81	अमरलाल पिता लालचंद जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	571/1	2.131 ✓	2.131
		कुल 1 किता	2.131	2.131
82	बहादुर सिंह, दरियाप सिंह पिता चुन्नीलाल, कौशल्या बाई बैवा चुन्नीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	571/2	2.131 ✓	2.131
		कुल 1 किता	2.131	2.131
83	हाकम सिंह पिता प्रेमसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	569/1	0.506 ✓	0.506
		419/2	0.304	0.304
		कुल 2 किता	0.810	0.810
84	कृष्णाबाई पत्नी मानसिंह जाति गुर्जर पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़	558/1	0.235 ✓	0.235
		कुल 1 किता	0.235	0.235
85	मोहरसिंह पिता धनसिंह शम्भूसिंह पिता मिश्रीलाल, सागरसिंह पिता बालमुकुन्द, चम्पालाल पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	558/2/2	0.063 ✓	0.063
		कुल 1 किता	0.063	0.063
86	लक्ष्मीचन्द्र पिता नन्नूलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	555/2	0.127 ✓	0.127
		कुल 1 किता	0.127	0.127
87	धनरूप आ. नन्नूलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	554	0.342 ✓	0.342
		कुल 1 किता	0.342	0.342
88	खुशीलाल पिता देवालाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	552/4/4	0.442 ✓	0.442
		कुल 1 किता	0.442	0.442

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
89	करणसिंह पिता देवालाल मु. कस्तुरीबाई बेवा देवालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	545	1.025 ✓	1.025
		कुल 1 किता	1.025	1.025
90	राधेश्याम पिता छोटेलाल हि. 1/3 भाग, धन्नालाल पिता छोटेलाल हि. 1/3 भाग, हरिसिंह पिता छोटेलाल हि. 1/3 भाग, जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	443/2/1	1.210 ✓	1.210
		442/1	0.270 ✓	0.270
		कुल 2 किता	1.480	1.480
91	उमराव सिंह पिता जगन्नाथ हि. 1/2 भाग, कस्तुरी बेवा जगन्नाथ हि. 1/2 भाग, जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	435/1/1	0.595 ✓	0.595
		कुल 1 किता	0.595	0.595
92	रामकिशन पिता गोरेलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	435/1/2	0.594 ✓	0.594
		कुल 1 किता	0.594	0.594
93	मंगूसिंह पिता चांदसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	433/1	1.265	1.265
		कुल 1 किता	1.265	1.265
94	छोटिया आ. जालम जाति गुसाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	429/2	0.140 ✓	0.140
		कुल 1 किता	0.140	0.140
95	अमरलाल आ. जालम जाति गुसाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	429/3	0.400 ✓	0.400
		कुल 1 किता	0.400	0.400
96	किशन, नारान, छोटेलाल पिता अमरचन्द, जानकी बाई, बादाम बाई पिता अमरचंद जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	429/4	0.400 ✓	0.400
		कुल 1 किता	0.400	0.400
97	रामप्रसाद पिता गनपत हि. 1/2 भाग, सम्पतबाई पति रामप्रसाद हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	429/6	1.600 ✓	1.600
		कुल 1 किता	1.600	1.600
98	अमृतलाल पिता बालमुकन्द जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	428	0.278 ✓	0.278
		427/2	0.465 ✓	0.465
		424/2	0.178 ✓	0.178
		423/2	0.500 ✓	0.500
		कुल 4 किता	1.421	1.421

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
99	गुलाब पिता बालमुकुन्द जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	427/1	0.446	0.446
		424/3	0.332	0.332
		423/3	0.500	0.500
		कुल 3 किता	1.278	1.278
100	राजू पिता बंदी हि. 1/2 भाग, चंदा पति राजू हि. 1/2 भाग, जाति भंगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	425/1	1.000	1.000
		390/1	0.600	0.600
		कुल 2 किता	1.600	1.600
101	सुन्दरलाल पिता जगन्नाथ जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	424/1/1	0.600	0.600
		कुल 1 किता	0.600	0.600
102	समन्त्राबाई पति पदमसिंह जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	423/1/1	0.295	0.295
		423/4/2	0.337	0.337
		कुल 2 किता	0.632	0.632
103	देवबगसन आ. हजारीलाल जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	420/2	0.221	0.221
		कुल 1 किता	0.221	0.221
104	प्रेमसिंह आ. शंकरलाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	276/1	1.012	1.012
		कुल 1 किता	1.012	1.012
105	भंवरसिंह पिता केशर सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	272/1	1.221	1.221
		कुल 1 किता	1.221	1.221
106	भरोसा पिता मांगीलाल हि. 1/2 भाग, मेहताब पिता मांगीलाल हि. 1/2 भाग, जाति लोदी पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	267	1.503	1.503
		कुल 1 किता	1.503	1.503
107	श्यामसिंह आ. दयालसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	602	0.632	0.632
		597	2.099	2.099
		591/1	0.759	0.759
		कुल 3 किता	3.490	3.490
108	लाखनसिंह पिता हरकिशन जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	601/1	0.080	0.080
		601/5	0.240	0.240
		600/1	0.762	0.762
		598/1	0.182	0.182
		कुल 4 किता	1.264	1.264

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
109	ओमप्रकाश पिता हरकिशन जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	601/3	1.083 ✓	1.083
		598/3	0.180 ✓	0.180
		कुल 2 किता	1.263	1.263
110	हेमराज पिता हरकिशन जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	601/4	0.712 ✓	0.712
		600/2	0.250 ✓	0.250
		598/2	0.182 ✓	0.182
		कुल 3 किता	1.144	1.144
111	कमलसिंह पिता मोरसिंह हि. 1/2 भाग, रामेश्वरसिंह पिता मोरसिंह हि. 1/2 भाग, जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	599	1.138 ✓	1.138
		कुल 1 किता	1.138	1.138
112	कालीबाई बेवा हरकिशन जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	596	0.190 ✓	0.190
		577	0.051 ✓	0.051
		कुल 2 किता	0.241	0.241
113	हेमराज आ. नन्डूलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	595/2	0.461 ✓	0.461
		591/4	1.121 ✓	1.121
		409/4	0.077 ✓	0.077
		कुल 3 किता	1.659	1.659
114	प्रभूलाल आ. बालकिशन जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	593	0.923 ✓	0.923
		कुल 1 किता	0.923	0.923
115	लाखनसिंह आ. अमृतलाल जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	590	2.010 ✓	2.010
		कुल 1 किता	2.010	2.010
116	दयाराम आ. मांगीलाल, जुगतीबाई बेवा मांगीलाल जाति लोदा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	588	0.544 ✓	0.544
		587	0.190 ✓	0.190
		कुल 2 किता	0.734	0.734
117	ग्यारस्या आ. भवरिया जाति भंगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	586/1	0.500 ✓	0.500
		कुल 1 किता	0.500	0.500
118	सुन्दर आ. कन्हैयालाल जाति भंगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	586/2	0.500 ✓	0.500
		कुल 1 किता	0.500	0.500
119	प्रभू आ. भवरिया जाति भंगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	586/3	0.500 ✓	0.500
		कुल 1 किता	0.500	0.500
120	भारत, गुड्डी, भूरी, अनारी पिता परसराम जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	586/4	0.500 ✓	0.500
		कुल 1 किता	0.500	0.500

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
121	विनोद आ. रामचरण जाति भंगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	586/5	0.500 ✓	0.500
		कुल 1 किता	0.500	0.500
122	छगनसिंह पिता बनेसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	585/2/1	0.621 -	0.621
		584/1	0.177 ✓	0.177
		581	0.696 ✓	0.696
		कुल 3 किता	1.494	1.494
123	विक्रम सिंह पिता नारायण सिंह जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	585/2/2	0.153 -	0.153
		585/3/1	0.247 -	0.247
		585/4/1	0.094 -	0.094
		कुल 3 किता	0.494	0.494
124	भारतसिंह पिता बंशीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	585/3/555	0.400 ✓	0.400
		585/4/3	0.059 -	0.059
		584/2	0.177 ✓	0.177
		कुल 3 किता	0.636	0.636
125	राधेश्याम पिता नारान हि. 1/2 भाग, विक्रमसिंह पिता नारान हि. 1/2 भाग, जाति लोदी पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	583/1	0.316 -	0.316
		582/1	0.405 ✓	0.405
		कुल 2 किता	0.721	0.721
126	कृष्णाबाई पत्नि गजराज सिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	579/1	2.236 ✓	2.236
		कुल 1 किता	2.236	2.236
127	महेन्द्र सिंह पिता दयालसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	579/2	1.622 ✓	1.622
		578	0.506 ✓	0.506
		कुल 2 किता	2.128	2.128
128	बाबू पिता जगन्नाथ हि. 1/2 भाग, लताबाई पति बाबू हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	576/1	0.500 ✓	0.500
		कुल 1 किता	0.500	0.500
129	रमेश आ. जगन्नाथ जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	576/2	0.500 ✓	0.500
		कुल 1 किता	0.500	0.500
130	धमेन्द्र पिता प्रीतम हि. 1/3 भाग, लच्छीबाई पिता प्रीतम हि. 1/3 भाग, मु. अयोध्याबाई बेवा प्रीतम हि. 1/3 भाग, जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	576/3	0.500 ✓	0.500
		कुल 1 किता	0.500	0.500

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
131	मांगीलाल पिता खूबा जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	416/2	0.190	0.190
		415	1.012	1.012
		414	1.264	1.264
		413	0.152	0.152
		379/1/1	0.190	0.190
		30	0.849	0.849
		कुल 6 किता	3.657	3.657
132	कल्लू पिता दयाराम हि. 1/2 भाग, रेशम पति कल्लू हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	416/3	0.500	0.500
		कुल 1 किता	0.500	0.500
133(अ)	चिरौजीलाल पिता पन्नालाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	410/3/1	0.282	0.282
		56/1/2	0.127	0.127
		कुल 2 किता	0.409	0.409
133(ब)	निरपतसिंह लोधी पिता भागीरथ जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	410/3/2	0.379	0.379
		कुल 1 किता	0.379	0.379
134	हेमराज पिता. हीरालाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	410/4	0.661	0.661
		56/1/4	0.127	0.127
		कुल 2 किता	0.788	0.788
135	कैलाश पिता भबरिया हि. 1/2 भाग, कृष्णा पति कैलाश हि. 1/2 भाग, जाति मेहतर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	406/1	1.249	1.249
		390/3	0.400	0.400
		कुल 2 किता	1.649	1.649
136	कन्हैयालाल पिता खेमचन्द्र जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	406/4	0.506	0.506
		405/2/2	0.485	0.485
		कुल 2 किता	0.991	0.991
137	शिवनारायण पिता खेमचन्द्र जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	405/2/1	0.485	0.485
		कुल 1 किता	0.485	0.485
138	चतरीबाई पिता बालमुकन्द जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	404/2	1.506	1.506
		कुल 1 किता	1.506	1.506
139	धापूबाई पति रामसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	403	0.190	0.190
		550	2.124	2.124
		270/2/2	0.506	0.506
		कुल 3 किता	2.820	2.820
140	करनसिंह पिता गंगाधर जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	401	1.328	1.328
		कुल 1 किता	1.328	1.328

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
141	पूर्ति नाबालिग पुत्री नरभेसिंह संरक्षक माता नरबदीबाई पत्नि नरभेसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	398/1	0.601 ✓	0.601
		कुल 1 किता	0.601	0.601
142	बनेसिंह पिता अमरलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	391/2	0.184	0.184
		389/3	0.563	0.563
		385/2	0.063	0.063
		कुल 3 किता	0.810	0.810
143	पून्या पिता मदन हि. 1/2 भाग, सीमा पति पून्या हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	390/2	0.541 ✓	0.541
		कुल 1 किता	0.541	0.541
144	निरपत पिता भागीरथ हि. 1/2 भाग. मु. जानकी बाई बेवा भागीरथ हि. 1/2 भाग, जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	379/1/2	0.110 ✓	0.110
		379/2	0.079 ✓	0.079
		33/3	0.978	0.978
		कुल 3 किता	1.167	1.167
145	जगदीश पिता अर्जुनसिंह हि. 1/3 भाग, रामबाबू पिता अर्जुनसिंह हि. 1/3 भाग, बनेसिंह पिता अर्जुनसिंह हि. 1/3 भाग, जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	288/4	0.020 ✓	0.020
		कुल 1 किता	0.020	0.020
146	रुगनाथ आ. छीतर जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	279/3	1.126 ✓	1.126
		कुल 1 किता	1.126	1.126
147	मदन आ. उमैद जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	279/4	1.266 ✓	1.266
		कुल 1 किता	1.266	1.266
148	करन आ. रामरतन जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	102/2	0.355 ✓	0.355
		कुल 1 किता	0.355	0.355
149	मेहताब सिंह पिता शंकरलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	55/2	0.132 ✓	0.132
		कुल 1 किता	0.132	0.132
150	रामभरोसा पिता ना.बा. लक्ष्मीनारायण पिता रामचरण, सूरजबाई बेवा रामचरण सर माता सूरजबाई जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	32	0.607 ✓	0.607
		33/1	0.054 ✓	0.054
		कुल 2 किता	0.661	0.661
151	कान्तिबाई पति कमलसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	34/4	0.865 ✓	0.865
		कुल 1 किता	0.865	0.865

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
152	कलाबाई उर्फ कालबाई पुत्री गंगाधर पत्नी गुलाबसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ भूमि स्वामी	28	1.176 ✓	1.176
		कुल 1 किता	1.176	1.176
153	रामचरण, बनेसिंह पिता गुलाब सिंह जाति गुजर पता नि. गुजरखेडी तहसील ब्यावरा, राजगढ़	21	0.468 ✓	0.468
		20/2	1.195 ✓	1.195
		20/3	1.233 ✓	1.233
		कुल 3 किता	2.896	2.896
154	केशरसिंह पिता मोकमसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	711	0.152 ✓	0.152
		कुल 1 किता	0.152	0.152
155	महेन्द्र सिंह प्रेमसिंह बलवीरसिंह पिता प्रभुनाथसिंह राधाकवर सुगनकवर लाडकवर कृष्णाकवर पिता प्रभुनाथसिंह चंदाकवर बेवा प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	890/2	0.038 ✓	0.038
		कुल 1 किता	0.038	0.038
156	ना.बा. केशरसिंह कैलाश पिता फूलसिंह रामकली बेवा फूलसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	202/1	0.088 ✓	0.088
		कुल 1 किता	0.088	0.088
157	नारानसिंह पिता हरिसिंह जाति लोदी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	202/2	0.089 ✓	0.089
		कुल 1 किता	0.089	0.089
158	विष्णु, बृजेश, लाखन नाबा राजकुमार दीपक पंकज पिता जगदीश सर माता लीलाबाई पति जगदीश जाति धीबी पता नि. टोडी तहसील ब्यावरा, राजगढ़	5/2/3	0.329 ✓	0.329
		9/1/2	0.253 ✓	0.253
		कुल 2 किता	0.582	0.582
159	छीतर पिता मयाराम जाति लोदी पता नि.ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी करणसिंह पिता मयाराम जाति लोदी पता नि.ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी रमेश पिता मयाराम जाति लोदी पता नि.ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी	4	0.126 ✓	0.126
		कुल 1 किता	0.126	0.126

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
160	पृथ्वीसिंह पिता गोरेलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	8	0.253 ✓	0.253
		कुल 1 किता	0.253	0.253
161	भारतसिंह पिता रामसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9/2/2	0.051 ✓	0.051
		कुल 1 किता	0.051	0.051
162	पदमसिंह पिता रामसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9/2/3	0.050 ✓	0.050
		कुल 1 किता	0.050	0.050
163	बंशीलाल पिता चुन्नीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	10	1.670 ✓	1.670
		कुल 1 किता	1.670	1.670
164	गिरराज हरीशंकर पिता ओमप्रकाश जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	11/1/2	0.253 ✓	0.253
		कुल 1 किता	0.253	0.253
165	रुकमाबाई पति शिवचरण जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	13/2	0.480 ✓	0.480
		कुल 1 किता	0.480	0.480
166	मिश्रीलाल पिता खुवा जाति गाडरी पता नि.ग्राम 1/2 भूमि स्वामी भंवरी पिता खुवा जाति गाडरी पता नि.ग्राम 1/2 भूमि स्वामी	14/1	0.417 ✓	0.417
		कुल 1 किता	0.417	0.417
167	कमलेश पिता धनराज जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	15/2	1.163 ✓	1.163
		कुल 1 किता	1.163	1.163
168	बनेसिंह पिता गुलाबसिंह जाति लोडागुर्जर पता नि.ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी रामचरण पिता गुलाबसिंह जाति लोडागुर्जर पता नि.ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी	15/3	1.518 ✓	1.518
		कुल 1 किता	1.518	1.518
169	कमलसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	15/72/2	0.642 ✓	0.642
		कुल 1 किता	0.642	0.642

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमायित रकबा (हेक्टर में)
170	नरेन्द्र सिंह पिता लाखनसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	16/1	0.100 ✓	0.100
		कुल 1 किता	0.100	0.100
171	रुकमाबाई पति शिवचरण जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	16/2	0.316 ✓	0.316
		कुल 1 किता	0.316	0.316
172	शिवचरण पिता अमरतलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	17/1	0.645 ✓	0.645
		कुल 1 किता	0.645	0.645
173	लाडसिंह पिता धनराज जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	17/2	0.645 ✓	0.645
		17/3	0.645 ✓	0.645
		कुल 2 किता	1.290	1.290
174	पर्वतसिंह पिता करणसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि 1/2 भाग स्वामी बहादुरसिंह पिता शिम्भूसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि 1/2 भाग स्वामी प्रकाश बाई बेवा करणसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि 1/2 भाग स्वामी	17/4	0.645 ✓	0.645
		कुल 1 किता	0.645	0.645
175	रोडजी पिता जगन्नाथ जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	17/42	1.252 ✓	1.252
		कुल 1 किता	1.252	1.252
176	बाबु नाबालिक पिता सरवन संरक्षक माता स्वयं जाति चमार पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी संतोष नाबालिक पिता सरवन संरक्षक माता स्वयं जाति चमार पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी पन्था नाबालिक पिता सरवन संरक्षक माता स्वयं जाति चमार पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी गुलाबबाई बेवा सरवन जाति चमार पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी	19	0.329 ✓	0.329
		कुल 1 किता	0.329	0.329
177	गजराजसिंह पिता काशीराम जाति गुजर पता नि. गुजरखेडी तहसील ब्यावरा, राजगढ़	20/4	0.759 ✓	0.759
		कुल 1 किता	0.759	0.759

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
178	भम्मा पिता दयाराम जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	23/2	0.500	0.500
		कुल 1 किता	0.500	0.500
179	ताराचंद पिता कन्हैया जाति भागी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	23/3	0.500	0.500
		कुल 1 किता	0.500	0.500
180	मांगीलाल पिता खूबा जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	31/1	1.480	1.480
		कुल 1 किता	1.480	1.480
181	हीरालाल पिता रामसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	31/2	1.492	1.492
		कुल 1 किता	1.492	1.492
182	भगवतीबाई पत्नी मांगीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	33/2	1.484	1.484
		कुल 1 किता	1.484	1.484
	महायोग :-	कुल 367 किता	189.057	189.057

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 1258 / भू-अर्जन/2021 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 21/35-82/2020-21 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-टोडी (II) के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री, सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम-टोडी (II)

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-टोडी (II) की भूमि की आवश्यकता।	218.780	218.780
	कुल योग :	218.780	218.780

—: अनुसूची (2) :—

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1(A)	अमरलाल पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	869/1	0.080	0.080
		867/1	0.080	0.080
		279/5/1	0.421	0.421
		कुल 3 किता	0.581	0.581
1(B)	भरोसा जगन्नाथ पिता मदन जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	869/2	0.080	0.080
		867/2	0.080	0.080
		279/5/2	0.422	0.422
		कुल 3 किता	0.582	0.582

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1(C)	मोती पिता मोहन जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	869/3	0.080	0.080
		867/3	0.080	0.080
		279/5/3	0.422	0.422
		कुल 3 किता	0.582	0.582
2	नौरंग पुत्री बंशी हि. 1/2 भाग, नेनीबाई बेवा बंशी हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	866	0.342	0.342
		कुल 1 किता	0.342	0.342
3	कवरलाल पिता प्रभुलाल जाति मैहर पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.)	865	0.190	0.190
		कुल 1 किता	0.190	0.190
4	सरजू बाई पत्नि कन्हैयालाल जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	839/2	0.712	0.712
		838	0.215	0.215
		836/2	0.536	0.536
		कुल 3 किता	1.463	1.463
5	शंकरसिंह आ. प्रतापसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	833	0.164	0.164
		694/3	0.316	0.316
		कुल 2 किता	0.480	0.480
6	गोविन्द सिंह आ. प्रताप सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	831/1	0.126	0.126
		कुल 1 किता	0.126	0.126
7	किशोर सिंह पिता विजय सिंह जाति राजपूत पता. नि. ग्राम भूमि स्वामी	831/2	0.089	0.089
		830/3	0.154	0.154
		कुल 2 किता	0.243	0.243
8	ना.बा.देवेन्द्र सिंह पिता बलराम सिंह सर. माता श्रीमति नर्मदा कवर पत्नि बलराम जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	831/4	0.088	0.088
		830/5	0.143	0.143
		696/1/1	0.835	0.835
		कुल 3 किता	1.066	1.066
9	गोकुल सिंह पिता अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	830/2	0.342	0.342
		कुल 1 किता	0.342	0.342
10	पेपकुंवर पत्नि शिवपाल सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	827	0.544	0.544
		कुल 1 किता	0.544	0.544
11	ऋषिराज सिंह आ. लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	823	0.152	0.152
		822	0.101	0.101
		821	0.190	0.190
		820	0.063	0.063
		816	0.417	0.417
		815	0.152	0.152
		804	4.490	4.490
		803	0.329	0.329
		802	0.038	0.038
		800	0.417	0.417
		कुल 10 किता	6.349	6.349

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
12	गीता बाई पत्नि ग्यारसी राम जाति मेहतर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	819	0.101	0.101
		कुल 1 किता	0.101	0.101
13	फरियाद खों पिता काशम खों हि. 1/2 भाग, लियाकत खों पिता काशम खों हि. 1/2 भाग, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	814	0.734	0.734
		कुल 1 किता	0.734	0.734
14	रोडजी पिता जगन्नाथ जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	812/1	0.202	0.202
		812/2	0.202	0.202
		कुल 2 किता	0.404	0.404
15	प्रकाश, फूलसिंह, मोतीलाल, चैनसिंह पिता कन्हैया, सूरज बाई बेवा कन्हैया जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	807/1	0.202	0.202
		309	0.076	0.076
		कुल 2 किता	0.278	0.278
16	हरिसिंह पिता गंगाधर हि. 1/2 भाग, कमलाबाई पिता गंगाधर हि. 1/2 भाग, जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	807/2	0.212	0.212
		358	0.063	0.063
		कुल 2 किता	0.275	0.275
17	देवा आ. धुल्या जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	807/3	0.213	0.213
		कुल 1 किता	0.213	0.213
18	नाथू आ. धुल्या जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	807/4	0.213	0.213
		359/2	0.072	0.072
		कुल 2 किता	0.285	0.285
19	लालचन्द आ. धुल्या जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	807/5	0.213	0.213
		359/3	0.072	0.072
		34/5	0.865	0.865
		कुल 3 किता	1.150	1.150
20	सोल्या आ. भरिया जाति कुम्हार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	806	0.202	0.202
		कुल 1 किता	0.202	0.202
21	काशीराम आ. नाथू जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	805	0.620	0.620
		कुल 1 किता	0.620	0.620
22	गंगा वेवा भागमल हि. 1/2 भाग, रोडिया पिता भागमल हि. 1/2 भाग, जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	801	0.126	0.126
		कुल 1 किता	0.126	0.126

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
23	भरोसा, रंगलाल पिता भंवरलाल, प्रभू, राम सिंह पिता प्यारा जाति बलाई भूमि स्वामी	795/1	0.013	0.013
		कुल 1 किता	0.013	0.013
24	सौदानसिंह पिता प्रहलादसिंह हि. 1/2 भाग, भेरूसिंह पिता प्रहलादसिंह हि. 1/2 भाग, जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	783	0.291	0.291
		कुल 1 किता	0.291	0.291
25	कन्हैयालाल पिता देवचन्द, गोपी, मदन आ. उमेद, तुलसी पिता उम्मेद, हि. 80 पैसे बुधा पिता पन्ना हि. 20 पैसे जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	661	0.885	0.885
		कुल 1 किता	0.885	0.885
26	रामबाबू आ. मांगीलाल जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	745	0.177	0.177
		कुल 1 किता	0.177	0.177
27	बद्रीलाल पिता सेवाराम हि. 1/3 भाग, दीलदार पिता सेवाराम हि. 1/3 भाग, तुलाराम पिता सेवाराम हि. 1/3 भाग, जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	743	0.190	0.190
		कुल 1 किता	0.190	0.190
28	हरिप्रकाश सिंह, गजेन्द्र सिंह पिता कृष्णपाल सिंह, कुशल कुंवर बेवा प्रवेन्द्र सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	742/1	0.076	0.076
		कुल 1 किता	0.076	0.076
29	ब्रजराज सिंह, महावीर सिंह, लोकेन्द्र सिंह, योगेन्द्र सिंह, हेमेन्द्र सिंह पिता अभय सिंह हि. 50 पैसे, शिवराज सिंह पिता दौलत सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम गोरखपुर भूमि स्वामी	742/2	0.152	0.152
		कुल 1 किता	0.152	0.152
30	दिलदार आ. सेवाराम जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	740	0.101	0.101
		कुल 1 किता	0.101	0.101
31	हरीसिंह पिता जगनारायण सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	739	0.101	0.101
		738/1	0.018	0.018
		कुल 2 किता	0.119	0.119
32	धुन्धालाल पिता गोरीलाल हि. 1/3 भाग, अमृतबाई पिता गोरीलाल हि. 1/3 भाग, धापूबाई पिता गोरीलाल हि. 1/3 भाग, जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	737/1	0.014	0.014
		कुल 1 किता	0.014	0.014

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
33	मोहनबाई, पति मोहनलाल जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	737/2 ✓	0.034	0.034
		कुल 1 किता	0.034	0.034
34	रामचरण पिता गणेश जाति भोई पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	737/3 ✓	0.035	0.035
		कुल 1 किता	0.035	0.035
35	कस्तुरी बेवा गोपीलाल, घीसा, मोती, गंगाधर, रमेश आ. मिश्री, परस्या, गोरिया, सेवा, भंबरिया, ग्यारस्या आ. अमरा जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	736 ✓	0.076	0.076
		कुल 1 किता	0.076	0.076
36	तुलसीराम आ. सेवाराम जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	734 ✓	0.278	0.278
		कुल 1 किता	0.278	0.278
37	प्रताप सिंह पिता रामनाथ सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	727 ✓	0.063	0.063
		725 ✓	0.253	0.253
		723/2 ✓	0.354	0.354
		718 ✓	0.089	0.089
		716 ✓	0.379	0.379
		715 ✓	0.152	0.152
		704 ✓	0.329	0.329
		701 ✓	0.430	0.430
		700 ✓	0.164	0.164
		683/2 ✓	1.900	1.900
		683/3 ✓	0.329	0.329
		666/2/3 ✓	0.258	0.258
		कुल 12 किता	4.700	4.700
38	मोहन सिंह पिता विजय सिंह हि. 1/2 भाग, लाडकूवर बेवा विजय सिंह हि. 1/2 भाग, जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	724 ✓	0.177	0.177
		276/2 ✓	2.390	2.390
		275 ✓	0.506	0.506
		266 ✓	0.228	0.228
		269 ✓	0.708	0.708
		कुल 5 किता	4.009	4.009
39	महिपाल सिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	723/1 ✓	0.506	0.506
		719/1/1 ✓	1.070	1.070
		714 ✓	0.114	0.114
		713 ✓	0.379	0.379
		712 ✓	0.152	0.152
		709/1 ✓	0.303	0.303
		670/2 ✓	0.281	0.281
		669/3 ✓	0.978	0.978
		668/1 ✓	0.810	0.810
		680/1 ✓	1.497	1.497
		676/3 ✓	0.843	0.843
		671/2 ✓	0.130	0.130
		630/2 ✓	0.498	0.498
		629/2 ✓	0.092	0.092
		628/2 ✓	0.335	0.335
		620/2/3 ✓	0.512	0.512
		कुल 16 किता	8.500	8.500

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
40	जगमोहन सिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	722 ✓	0.126	0.126
		721 ✓	0.038	0.038
		678/1 ✓	0.379	0.379
		675/1 ✓	1.587	1.587
		671/1 ✓	0.351	0.351
		645/1 ✓	1.859	1.859
		629/1 ✓	0.148	0.148
		628/3 ✓	0.334	0.334
		670/1 ✓	0.871	0.871
		669/1 ✓	0.978	0.978
		676/1 ✓	0.843	0.843
	कुल 11 किता	7.514	7.514	
41	देवेन्द्रसिंह पिता जगमोहन जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	719/1/2	1.665	1.665
	कुल 1 किता	1.665	1.665	
42	ना.बा. पुष्पेन्द्र सिंह पिता विरेन्द्र सिंह सर माता सीमाकंवर पति विरेन्द्र जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	719/1/3 ✓	1.728	1.728
	कुल 1 किता	1.728	1.728	
43	सत्येन्द्र सिंह पिता रामनाथ सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	719/2 ✓	2.000	2.000
		719/3 ✓	0.175	0.175
		666/2/4 ✓	1.058	1.058
	कुल 3 किता	3.233	3.233	
44	रघुराज सिंह पिता गजेन्द्र सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	717/2 ✓	1.627	1.627
	कुल 1 किता	1.627	1.627	
45	केशर सिंह पिता मोकम सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	703/1 ✓	0.341	0.341
		426/1 ✓	0.253	0.253
		271 ✓	0.430	0.430
		270/1 ✓	2.213	2.213
		268/1 ✓	0.126	0.126
	कुल 5 किता	3.363	3.363	
46	छोटेलाल पिता मोकम सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	710 ✓	0.126	0.126
		708 ✓	0.202	0.202
		703/2 ✓	0.342	0.342
		426/2 ✓	0.253	0.253
		272/2 ✓	1.650	1.650
		270/2/1 ✓	1.707	1.707
		268/2 ✓	0.127	0.127
	कुल 7 किता	4.407	4.407	
47	किशन सिंह पिता उदयसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	709/2 ✓	0.013	0.013
	कुल 1 किता	0.013	0.013	

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
48	जितेन्द्र सिंह पिता किशन सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	707	0.405	0.405
		706/2	0.538	0.538
		कुल 2 किता	0.943	0.943
49	चैनसिंह पिता किशन सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	706/1	0.803	0.803
		705/3	0.139	0.139
		कुल 2 किता	0.942	0.942
50	गोपालसिंह पिता किशन सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	705/1	0.942	0.942
		562/1	0.506	0.506
		560/1	0.348	0.348
		कुल 3 किता	1.796	1.796
51	गोविन्द सिंह पिता किशन सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	705/2	0.942	0.942
		562/2	0.506	0.506
		560/2	0.348	0.348
		कुल 3 किता	1.796	1.796
52	बलराम सिंह पिता रावत सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	696/1/2	0.835	0.835
		कुल 1 किता	0.835	0.835
53	सुल्तान सिंह पिता समराज सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	696/2/2	0.685	0.685
				कुल 1 किता
54	पेपकंवर बैवा राजेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह पिता राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	694/5/1	0.721	0.721
				कुल 1 किता
55	बेजनाथ पिता केशर सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	694/5/2/2	0.469	0.469
				कुल 1 किता
56	भंवरबाई पति अमृतसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	693/1/2	0.611	0.611
				कुल 1 किता
57	रामनारायण सिंह पिता दशरथ सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	683/1/1	1.223	1.223
		682/2/1	0.185	0.185
		664/1/1	0.369	0.369
		कुल 3 किता	1.777	1.777
58	देवराज सिंह पिता रामनारायण जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	683/1/2	1.222	1.222
		682/2/2	0.185	0.185
		664/1/2	0.370	0.370
		कुल 3 किता	1.777	1.777
59	गोपाल सिंह पिता रामनारायण सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	683/1/3	1.222	1.222
		682/2/3	0.185	0.185
		664/1/3	0.370	0.370
		कुल 3 किता	1.777	1.777

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
60	किशोर सिंह आ. दशरथ जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	682/1 ✓	0.520	0.520
		668/3 ✓	2.674	2.674
		677	2.137	2.137
		कुल 3 किता	5.331	5.331
61	वीरेन्द्र सिंह पिता राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	669/2 ✓	0.978	0.978
		678/2 -	0.379	0.379
		625 ✓	0.215	0.215
		624/2 ✓	0.190	0.190
		620/2/1 ✓	1.040	1.040
		618/2 -	0.244	0.244
		611 -	0.822	0.822
		555/1 ✓	0.885	0.885
		544/4 ✓	1.518	1.518
		कुल 9 किता	6.271	6.271
62	देवराज सिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	668/2/1/1	0.075	0.075
		667/1/2 ✓	0.135	0.135
		666/1/1 ✓	0.872	0.872
		कुल 3 किता	1.082	1.082
63	विजेन्द्र सिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	668/2/1/2 -	0.075	0.075
		667/1/3 ✓	0.136	0.136
		666/1/2 -	0.872	0.872
		कुल 3 किता	1.083	1.083
64	शिवराज सिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	668/2/1/3	0.074	0.074
		667/1/4 ✓	0.136	0.136
		666/1/3 ✓	0.873	0.873
		कुल 3 किता	1.083	1.083
65	कृष्णपाल सिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	668/2/1/4 ✓	0.074	0.074
		667/1/5 ✓	0.136	0.136
		666/1/4	0.873	0.873
		कुल 3 किता	1.083	1.083
66	प्रेमसिंह पिता दशरथ सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	667/1/1 ✓	1.000	1.000
		कुल 1 किता	1.000	1.000
67	नगेन्द्र सिंह पिता रामनाथ सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	667/2 -	1.543	1.543
		कुल 1 किता	1.543	1.543
68	हरपाल सिंह पिता रामनाथ सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	666/2/1 ✓	2.752	2.752
		665/1 ✓	1.948	1.948
		कुल 2 किता	4.700	4.700
69	जगपाल सिंह पिता रघुवीर सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	666/2/2/1 ✓	1.376	1.376
		665/2/1	0.094	0.094
		कुल 2 किता	1.470	1.470

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
70	शिवपाल सिंह पिता रघुवीर सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	666/2/2/2	1.376	1.376
		665/2/2	0.094	0.094
		कुल 2 किता	1.470	1.470
71	रघुवीर सिंह, नगेन्द्र सिंह, विक्रम सिंह, हरपाल सिंह, प्रताप सिंह, सत्येन्द्र सिंह पिता रामनाथ सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	666/2/5	0.072	0.072
		कुल 1 किता	0.072	0.072
72	परमाकुंवर बेवा रघुवीरसिंह जगपालसिंह, शिवपालसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	665/2/3	1.759	1.759
		कुल 1 किता	1.759	1.759
73	नारानसिंह पिता नाथूलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	663/1	0.307	0.307
		कुल 1 किता	0.307	0.307
74	हेमराज पिता नाथूलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	663/2	0.307	0.307
		कुल 1 किता	0.307	0.307
75	शिवचरण पिता नाथूलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	663/3	0.307	0.307
		कुल 1 किता	0.307	0.307
76	मुकेश पिता नाथूलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	663/4	0.306	0.306
		कुल 1 किता	0.306	0.306
77	सखन पिता प्रभुलाल हि. 1/3 भाग, जमना पिता प्रभुलाल हि. 1/3 भाग, रामचरण पिता प्रभुलाल हि. 1/3 भाग, जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	662	0.746	0.746
		657	0.190	0.190
		655	0.190	0.190
		640	0.089	0.089
		कुल 4 किता	1.215	1.215
78	दिलीप, कुमेर, छगन, हरिमजन, कमलाबाई, राजबाई पिता जमनालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	656	1.455	1.455
		654/1	0.506	0.506
		कुल 2 किता	1.961	1.961
79	दिलीप आ. जमनालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	654/2	0.759	0.759
		563/3/2	0.068	0.068
		557/3/2	0.158	0.158
		कुल 3 किता	0.985	0.985
80	द्रोपतीबाई पति सागरसिंह जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	298/1/2	0.152	0.152
		कुल 1 किता	0.152	0.152

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
81	नानजी पिता सेवाराम जाति लोदी पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	540/2 ✓	0.822	0.822
		298/1/1 ✓	0.153	0.153
		287 ✓	0.607	0.607
		कुल 3 किता	1.582	1.582
82	छोटेलाल पिता सेवाराम जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	540/3 ✓	0.828	0.828
		362 ✓	0.278	0.278
		369 ✓	0.164	0.164
		286 ✓	0.342	0.342
		कुल 4 किता	1.612	1.612
83	राघेश्याम पिता रामसिंह जाति लोदी पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़ भूमि स्वामी	539/1/1 ✓	0.316	0.316
		539/3/1 ✓	0.316	0.316
		538/1 ✓	0.325	0.325
		532 ✓	0.354	0.354
		481/1 ✓	0.092	0.092
		262/1 ✓	0.084	0.084
		260/1 ✓	0.392	0.392
		257/1 ✓	0.084	0.084
		373/1 ✓	0.097	0.097
		281/1 ✓	0.085	0.085
		9/2/1 ✓	0.051	0.051
		कुल 11 किता	2.196	2.196
84	भारत सिंह पिता रामसिंह जाति लोदी पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़ भूमि स्वामी	539/1/2 ✓	0.316	0.316
		539/3/2 ✓	0.316	0.316
		538/2 ✓	0.324	0.324
		481/2 ✓	0.093	0.093
		262/2 ✓	0.084	0.084
		260/2 ✓	0.392	0.392
		257/2 ✓	0.084	0.084
		373/2 ✓	0.097	0.097
		281/2 ✓	0.084	0.084
		कुल 9 किता	1.790	1.790
85	पदम सिंह पिता रामसिंह जाति लोदी पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़ भूमि स्वामी	539/1/3 ✓	0.316	0.316
		539/3/3 ✓	0.316	0.316
		538/3 ✓	0.325	0.325
		481/3 ✓	0.093	0.093
		262/3 ✓	0.085	0.085
		260/3 ✓	0.392	0.392
		257/3 ✓	0.085	0.085
		373/3 ✓	0.097	0.097
		281/3 ✓	0.084	0.084
		कुल 9 किता	1.793	1.793

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
86	निर्मय सिंह पिता मदनलाल जाति लोदी पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़ भूमि स्वामी	537 ✓	1.896	1.896
		536 ✓	0.126	0.126
		535 ✓	0.126	0.126
		534 ✓	0.126	0.126
		533	1.126	1.126
		480 ✓	0.202	0.202
		479 ✓	0.379	0.379
		469 ✓	0.215	0.215
		462	0.025	0.025
		454 ✓	0.240	0.240
		453 ✓	0.291	0.291
	कुल 11 किता	4.752	4.752	
87	गीताबाई पाले शिवचरण जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	531	0.190	0.190
		530	0.291	0.291
		467/3	0.026	0.026
		452	0.139	0.139
	कुल 4 किता	0.646	0.646	
88	नाथूलाल आ. कालू जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	529/1 ✓	0.196	0.196
		477/2	0.146	0.146
		475/1	0.088	0.088
		471/2	0.120	0.120
		642 ✓	0.582	0.582
		431	1.556	1.556
		421	1.328	1.328
	कुल 7 किता	4.016	4.016	
89	राधेश्याम पिता रामबगस जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	529/2/1	0.032	0.032
		477/4/2 ✓	0.024	0.024
		475/2/2 ✓	0.013	0.013
		471/1/1/2 ✓	0.020	0.020
		542/2/1	0.445	0.445
		541/2/2 ✓	0.736	0.736
	कुल 6 किता	1.270	1.270	
90	मोहनबाई बेवा लक्ष्मीनारायण राकेश समंदरसिंह पुत्रगण लक्ष्मीनारायण विमलाबाई राजकुमारी पुत्रिया लक्ष्मीनारायणा जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	529/2/2	0.033	0.033
		477/4/1 ✓	0.024	0.024
		475/2/1 ✓	0.013	0.013
		471/1/1/1	0.020	0.020
		542/2/2 ✓	0.453	0.453
		541/2/1 ✓	0.736	0.736
	कुल 6 किता	1.279	1.279	

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
91	रामचरण पिता छीतर जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	529/2/3	0.065	0.065
		529/3	0.066	0.066
		477/1/1	0.048	0.048
		477/3	0.049	0.049
		475/3	0.026	0.026
		474/2	0.031	0.031
		471/1/3	0.048	0.048
		471/3	0.040	0.040
		653/1	0.590	0.590
		653/4	0.590	0.590
		542/1	0.898	0.898
		542/4	0.898	0.898
		541/1	1.472	1.472
		541/4	1.472	1.472
	कुल 14 किता	6.293	6.293	
92	प्रभा कंवर पति महिपाल सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	528	0.076	0.076
		525	0.658	0.658
		524	0.607	0.607
		523	0.038	0.038
		522	0.126	0.126
	कुल 5 किता	1.505	1.505	
93	करण सिंह आ. देवालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	527	0.531	0.531
		526	0.420	0.420
		521/1	0.227	0.227
	कुल 3 किता	1.178	1.178	
94	मोतीलाल पिता पन्नालाल जाति धोबी पता नि. ग्राम ब्यावरा राजगढ़ (म.प्र.)	521/2	0.228	0.228
	कुल 1 किता	0.228	0.228	
95	करण सिंह आ. देवालाल, मु. कस्तुरी बाई बेवा देवालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	520	0.822	0.822
		519	0.089	0.089
		449	1.783	1.783
	कुल 3 किता	2.694	2.694	
96	मांगीलाल पिता भोना जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	518/1	0.099	0.099
	कुल 1 किता	0.099	0.099	
97	गुलाब पिता बालमुकन्द जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	518/2	0.197	0.197
	कुल 1 किता	0.197	0.197	
98	शिवकांत पिता लक्ष्मीनारायण हि. 1/2 भाग, राघवेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण हि. 1/2 भाग, जाति महाजन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	507	0.190	0.190
		506	0.215	0.215
	कुल 2 किता	0.405	0.405	
99	सरवन, गुलाब पिता मोहनलाल, बदामबाई बेवा मोहनलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	507/3	0.633	0.633
		452/1	0.082	0.082
	कुल 2 किता	0.715	0.715	

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
100	श्रीमति कैलाश कंवर पति राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	505	0.228	0.228
		631/2	0.136	0.136
		626/2	0.907	0.907
		503	0.051	0.051
		504	0.164	0.164
		कुल 5 किता	1.486	1.486
101	मांगीलाल, मथरालाल, शिवचरण, बेजनाथ पिता भोना जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	423/1	0.601	0.601
			कुल 1 किता	0.601
102	रघुवीरसिंह पिता देवीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	485	0.253	0.253
		473/1	0.127	0.127
		472	0.152	0.152
		467/2	0.057	0.057
		466/2	0.069	0.069
		635/3	0.135	0.135
		566/1	0.687	0.687
		549/1	0.628	0.628
		430/1	0.287	0.287
		422/1	0.885	0.885
		कुल 10 किता	3.280	3.280
103	धूल्या पिता भंवरिया जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	345/1	0.165	0.165
		324/1	0.184	0.184
		320/1	0.283	0.283
		319/1/2	0.187	0.187
		319/1/4	0.076	0.076
		कुल 5 किता	0.895	0.895
104	अमरलाल पिता भंवरिया जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	345/3	0.038	0.038
		324/2	0.183	0.183
		320/2	0.282	0.282
		319/1/1	0.167	0.167
		319/1/3	0.076	0.076
		कुल 5 किता	0.746	0.746
105	देवीलाल आ. नाथू हि.25, रामबगस, हरकिसन, रामचरण आ. छीतर, नाथू आ. कालू, करणसिंह आ. देवा, कस्तुरी बेवा देवा, हीरा बेवा नाथू हि.75, जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	478	0.250	0.250
			कुल 1 किता	0.250
106	हरकिसन पिता छीतर जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	477/1/2	0.048	0.048
		474/1	0.032	0.032
		429/1	1.012	1.012
		कुल 3 किता	1.092	1.092

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
107	जयसिंह पिता देवीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	476 ✓	0.139	0.139
		473/2 ✓	0.126	0.126
		467/1 ✓	0.119	0.119
		466/1 ✓	0.083	0.083
		463	0.101	0.101
		458 ✓	0.139	0.139
		457	0.051	0.051
		635/2	0.135	0.135
		566/3 ✓	0.687	0.687
		549/3 ✓	0.628	0.628
		430/3 ✓	0.287	0.287
		422/3 ✓	0.885	0.885
		कुल 12 किता	3.380	3.380
108	हेमराज पिता हरकिशन जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	471/1/2/1 ✓	0.020	0.020
		541/3	1.473	1.473
		601/2	0.120	0.120
		कुल 3 किता	1.613	1.613
109	पहलवान सिंह पिता हरकिशन जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	471/1/2/2 ✓	0.020	0.020
		653/3	0.590	0.590
		542/3	0.897	0.897
		कुल 3 किता	1.507	1.507
110	राजेन्द्र सिंह पिता शिवचरण जाति लोधी पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	470/1 ✓	0.054	0.054
		470/2 ✓	0.055	0.055
		470/3	0.055	0.055
		468/1 ✓	0.051	0.051
		468/2 ✓	0.051	0.051
		468/3	0.050	0.050
		कुल 6 किता	0.316	0.316
111	बाबूलाल पिता करनसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	465/1 ✓	0.016	0.016
		229 ✓	0.089	0.089
		378/1 ✓	0.142	0.142
		282/2 ✓	0.066	0.066
		400/2 ✓	0.070	0.070
		393/2	0.110	0.110
		कुल 6 किता	0.493	0.493
112	अर्जुनसिंह पिता करनसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	465/2 ✓	0.016	0.016
		378/3 ✓	0.142	0.142
		282/1 ✓	0.066	0.066
		400/3	0.089	0.089
		393/3 ✓	0.092	0.092
		कुल 5 किता	0.405	0.405

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
113	मोहन पिता करनसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	465/3 ✓	0.015	0.015
		402 ✓	0.101	0.101
		378/2 ✓	0.143	0.143
		400/1 ✓	0.040	0.040
		393/1 ✓	0.140	0.140
		282/4 ✓	0.067	0.067
		कुल 6 किता	0.506	0.506
114	बद्रीलाल पिता करनसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	465/4 ✓	0.016	0.016
		378/4 ✓	0.142	0.142
		282/3 ✓	0.067	0.067
		400/4 ✓	0.180	0.180
		कुल 4 किता	0.405	0.405
115	मंगुसिंह, हनमन्त सिंह, बलवीर सिंह, मूलसिंह आ. हरिसिंह, भंवरीबाई बेवा हरिसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	461 ✓	0.114	0.114
		436 ✓	1.467	1.467
		589 ✓	0.304	0.304
		कुल 3 किता	1.885	1.885
116	बापूलाल पिता जयसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	460/1 ✓	0.010	0.010
		155/1/1 ✓	0.161	0.161
		137/2/1 ✓	0.057	0.057
		568/2/1 ✓	0.187	0.187
		559/2/1 ✓	0.402	0.402
		278/2/1 ✓	0.145	0.145
		261/2/1 ✓	0.218	0.218
		132/2/1 ✓	0.026	0.026
		कुल 8 किता	1.206	1.206
117	कन्हैयालाल पिता जगरूप जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	460/2 ✓	0.019	0.019
		154/2 ✓	0.139	0.139
		137/1 ✓	0.114	0.114
		568/1 ✓	0.374	0.374
		559/1 ✓	0.803	0.803
		278/1 ✓	0.253	0.253
		261/1 ✓	0.437	0.437
		18 ✓	0.126	0.126
		132/1 ✓	0.050	0.050
		कुल 9 किता	2.315	2.315
118(A)	कल्याणसिंह, दिवानसिंह आ. रूगनाथ, केशर बाई बेवा रूगनाथ जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	456 ✓	0.101	0.101
		455 ✓	0.076	0.076
		406/3 ✓	0.506	0.506
		कुल 3 किता	0.683	0.683

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
118(B)	कल्याणसिंह पिता रूगनाथ हि. 1/3 भाग, दीवान सिंह पिता रूगनाथ हि. 1/3 भाग, मु. केशर बाई बेवा रूगनाथ हि. 1/3 भाग, जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	405/2/3	0.485	0.485
		कुल 1 किता	0.485	0.485
119	सोभागसिंह पिता चाँदसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	451 435/2 433/2	0.190 1.240 0.025	0.190 1.240 0.025
		कुल 3 किता	1.455	1.455
120	मुल्लोबाई बेवा रोडजी जाति लोधी पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़ भूमि स्वामी	450 ✓ 404/1 ✓ 397 ✓ 377 376	0.215 0.808 1.770 0.190 0.063	0.215 0.808 1.770 0.190 0.063
		कुल 5 किता	3.046	3.046
121	प्रतिसिंह, मनिया पिता गोपाल जाति लोदी पता टोडी ब्यावरा राजगढ़ (म.प्र. भूमि स्वामी)	448/1 ✓ 234/1 398/2 ✓ 394/1 ✓	0.063 0.165 0.601 0.183	0.063 0.165 0.601 0.183
		कुल 4 किता	1.012	1.012
122	सातूबाई बेवा देवचन्द, गुरुचरण, गोकलेश, कलाबाई, प्रकाशबाई, अनुसुईयाबाई, सुशीला बाई, शोरभबाई पिता देवचन्द जाति लोधी पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ भूमि स्वामी	448/2 303/3 604/2 603/1 ✓ 394/2 ✓ 375/1 374/1	0.063 0.013 0.264 1.322 0.184 0.057 0.057	0.063 0.013 0.264 1.322 0.184 0.057 0.057
		कुल 7 किता	1.960	1.960
123	नृपतसिंह, जगदीश, चैनसिंह, दीपाबाई पिता रणजीत सिंह मु. कलाबाई बेवा रणजीत सिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	447/1/1 ✓ 446/1 633/4/1 ✓ 617/2/2/1 613/4 ✓ 556/4/1 ✓ 552/4/1 441/1/1/1 ✓ 440/1/1 ✓ 58 ✓	0.212 0.063 0.033 0.188 0.057 0.112 0.129 0.042 0.015 0.164	0.212 0.063 0.033 0.188 0.057 0.112 0.129 0.042 0.015 0.164
		कुल 10 किता	1.015	1.015

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
124	कमलसिंह पिता खुशीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	447/1/2	0.213	0.213
		446/2	0.063	0.063
		633/4/2	0.034	0.034
		556/4/2	0.112	0.112
		552/4/3	0.129	0.129
		441/1/1/2	0.042	0.042
		440/1/2	0.015	0.015
		कुल 7 किता	0.608	0.608
125	गोपाल सिंह पिता खुशीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	447/1/3	0.213	0.213
		446/3	0.064	0.064
		633/4/3	0.034	0.034
		556/4/3	0.111	0.111
		552/4/2	0.128	0.128
		441/1/1/3	0.042	0.042
		440/1/3	0.014	0.014
		कुल 7 किता	0.606	0.606
126	शिम्भु सिंह पिता बद्रीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	447/2	0.276	0.276
		295/1	0.253	0.253
		633/1	0.034	0.034
		617/2/2/2	0.189	0.189
		613/1	0.019	0.019
		556/1	0.112	0.112
		552/3	0.023	0.023
		551/3	0.253	0.253
		441/1/2	0.043	0.043
		440/2	0.015	0.015
		59/3	0.375	0.375
		कुल 11 किता	1.592	1.592
127	रघुवीरसिंह पिता बद्रीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	447/3	0.277	0.277
		633/2	0.034	0.034
		556/2	0.112	0.112
		552/1	0.023	0.023
		551/1	0.253	0.253
		613/2	0.019	0.019
		441/1/3	0.042	0.042
		440/3	0.015	0.015
		36	0.101	0.101
		कुल 9 किता	0.876	0.876
128	गोलू नाबालिग पिता इमरतसिंह संरक्षक अमरीबाई बेवा इमरतसिंह हि. 1/2 भाग, समन्दरसिंह नाबालिग पिता इमरतसिंह संरक्षक अमरीबाई बेवा इमरतसिंह हि. 1/2 भाग, जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	447/4	0.276	0.276
		633/3	0.033	0.033
		617/2/2/3	0.189	0.189
		613/3	0.019	0.019
		556/3	0.112	0.112
		552/2	0.024	0.024
		551/2	0.253	0.253
		441/1/4	0.042	0.042
		440/4	0.015	0.015
59/2	0.375	0.375		
		कुल 10 किता	1.338	1.338

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
129(A)	रामबाबू पिता अर्जुन सिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	284/3 ✓	0.615	0.615
		288/2 ✓	0.200	0.200
		कुल 2 किता	0.815	0.815
129(B)	जगदीश पिता अर्जुन सिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	284/1 ✓	0.615	0.615
		288/3 ✓	0.200	0.200
		कुल 2 किता	0.815	0.815
129(C)	बनेसिंह पिता अर्जुन सिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	284/2 ✓	0.616	0.616
		288/1 ✓	0.200	0.200
		कुल 2 किता	0.816	0.816
130	रघुवीर, कल्लू, सुमेर आ. बलबाहदुर, भगवान सिंह आ. चैनसिंह, भवरबाई बेवा लालसिंह, कमला बेवा भंवरलाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	256 ✓	1.429	1.429
		254 ✓	1.670	1.670
		कुल 2 किता	3.099	3.099
131	निरपत सिंह पिता चौसरलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	255/1 ✓	0.405	0.405
		273	0.190	0.190
		265	0.228	0.228
		कुल 3 किता	0.823	0.823
132(A)	जगमोहन पिता मोतीलाल, शांतीबाई, सावित्रीबाई, धापूबाई पुत्री मोतीलाल प्यारीबाई बेवा मोतीलाल हि. 50 पैसे, जीतू, सोनू पिता भारतसिंह, कृष्णाबाई बेवा भारतसिंह, कल्याण सिंह, धनसिंह पिता हरिकिशन, द्रोपतीबाई पुत्री हरकिशन गयाबाई बेवा हरिकिशन हि. 50 पैसे, जाति लोधी पता नि. टोडी तहसील सुठालिया, राजगढ़	255/2	0.253	0.253
		289 ✓	0.405	0.405
		कुल 2 किता	0.658	0.658
132(B)	जगमोहन पिता मोतीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	254/2/2 ✓	0.456	0.456
		कुल 1 किता	0.456	0.456
133	धनसिंह पिता प्रभूलाल जाति लोदी पता टोडी, ब्यावरा, राजगढ़ भूमि स्वामी	255/3 ✓	0.443	0.443
		344/1 ✓	0.101	0.101
		कुल 2 किता	0.544	0.544
134	लक्ष्मण पिता देवीसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	254/1 ✓	0.835	0.835
		कुल 1 किता	0.835	0.835

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
135	धनसिंह पिता हरकिशन जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	254/2/1 ✓	0.379	0.379
		367 ✓	0.266	0.266
		364/4 ✓	0.063	0.063
		कुल 3 किता	0.708	0.708
136	जितु नाबालिक पिता भारतसिंह संरक्षक माता कृष्णाबाई बेवा भारतसिंह हि. 1/2 भाग, सोनु नाबालिक पिता भारतसिंह संरक्षक माता कृष्णाबाई बेवा भारतसिंह हि. 1/2 भाग, जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	363/4 ✓	0.031	0.031
		252/1 ✓	0.050	0.050
		258/2	0.304	0.304
		कुल 3 किता	0.385	0.385
137	सागर सिंह पिता बालमुकुन्द जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	363/3	0.031	0.031
		302/2 ✓	0.048	0.048
		296/2 ✓	0.379	0.379
		252/2 ✓	0.052	0.052
		370 ✓	0.164	0.164
		366 ✓	0.253	0.253
		365 ✓	0.051	0.051
		364/3 ✓	0.063	0.063
		कुल 8 किता	1.041	1.041
138	विजय सिंह पिता करणसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	363/2 ✓	0.032	0.032
		302/1	0.047	0.047
		364/1 ✓	0.064	0.064
		कुल 3 किता	0.143	0.143
139	जगमोहन पिता मोतीलाल हि. 1/2 भाग, जगरामप्यारी बेवा मोतीलाल हि. 1/2 भाग, जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	253/4 ✓	0.574	0.574
		363/1	0.032	0.032
		302/3	0.047	0.047
		297 ✓	0.025	0.025
		296/1 ✓	0.380	0.380
		294	0.139	0.139
		135/1	0.101	0.101
		134/1	0.063	0.063
		258/1 ✓	0.303	0.303
364/2 ✓	0.064	0.064		
		कुल 10 किता	1.728	1.728
140	लक्ष्मीनारायण पिता दयाराम जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	636/2	0.411	0.411
		20/1	0.506	0.506
		कुल 2 किता	0.917	0.917
141	त्रिलोक कुमार आ. दयाराम जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	636/1 ✓	0.411	0.411
		कुल 1 किता	0.411	0.411

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
142	जशोदीबाई पिता बालमुकंद जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	233 ✓	0.126	0.126
		230 ✓	0.316	0.316
		396 ✓	0.190	0.190
		395 ✓	0.367	0.367
		कुल 4 किता	0.999	0.999
143	हरीश नाबालिग पिता जयसिंह संरक्षक माता ममताबाई पत्नि जयसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	280/1 ✓	0.085	0.085
			कुल 1 किता	0.085
144	राजेन्द्रसिंह पिता शिवचरण हि. 1/2 भाग, दिनेशकुमार पिता शिवचरण हि. 1/2 भाग, जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	280/3 ✓	0.084	0.084
			कुल 1 किता	0.084
145	ना.बा. महेन्द्र सिंह, प्रीतम सिंह पिता रघुवीर सिंह सरपरस्त माता सुशीलाबाई पति रघुवीर सिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	280/2 ✓	0.084	0.084
			कुल 1 किता	0.084
146	करनसिंह पिता नाथूलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	241/2 ✓	0.246	0.246
			कुल 1 किता	0.246
147	प्रीतम सिंह पिता अर्जुनसिंह जाति लोधी पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़ भूमि स्वामी	240/1 ✓	0.100	0.100
		239/1/2 ✓	0.238	0.238
			कुल 2 किता	0.338
148	नवलसिंह पिता बंशीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	240/2 ✓	0.203	0.203
		239/1/1 ✓	0.037	0.037
		239/1/3 ✓	0.016	0.016
		239/2/1 ✓	0.084	0.084
		443/2/3 ✓	0.800	0.800
		443/3 ✓	0.300	0.300
		443/4 ✓	0.300	0.300
		442/3 ✓	0.070	0.070
		कुल 8 किता	1.810	1.810
149	विक्रम पिता बंशीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	240/3 ✓	0.203	0.203
		239/2/2 ✓	0.141	0.141
		443/2/2 ✓	0.300	0.300
		442/2 ✓	0.065	0.065
		कुल 4 किता	0.709	0.709
150	बनेसिंह पिता बालमुकुन्द जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	236 ✓	0.101	0.101
		235 ✓	0.126	0.126
		607/1 ✓	0.303	0.303
		443/1 ✓	0.340	0.340
		585/1 ✓	0.441	0.441
		कुल 5 किता	1.311	1.311

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
151	रणजीत सिंह पिता रामसिंह जाति लोदी पता नि. गजराज नगर इन्दोर भूमि स्वामी	234/2 ✓	0.164	0.164
		कुल 1 किता	0.164	0.164
152	जेबाबाई बेवा कंवरलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	232 ✓	0.013	0.013
		कुल 1 किता	0.013	0.013
153	फूलसिंह पिता रामसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	223/1 ✓ 354/2 ✓ 609/3/1 ✓	0.114 0.095 0.296	0.114 0.095 0.296
		कुल 3 किता	0.505	0.505
154	बद्रीलाल पिता रामसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	223/2 ✓ 609/3/2 ✓	0.114 0.296	0.114 0.296
		कुल 2 किता	0.410	0.410
155	नारान पिता मथरालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	222 ✓ 356/1 ✓	0.063 0.035	0.063 0.035
		कुल 2 किता	0.098	0.098
156	हजारीलाल पिता देवालाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	221 ✓	0.177	0.177
		कुल 1 किता	0.177	0.177
157	लक्ष्मीनारायण आ. शोभाराम जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	360 ✓ 355 ✓ 330 ✓	0.139 0.139 0.253	0.139 0.139 0.253
		कुल 3 किता	0.531	0.531
158	ना.बा. नेपाल सिंह, प्रीतम सिंह, मूलसिंह पिता बनेसिंह सर. माता रुकमणीबाई पति बनेसिंह जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	437/1 ✓ 102/1 ✓	0.212 1.012	0.212 1.012
		कुल 2 किता	1.224	1.224
159	चौसरलाल पिता किशनलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	618/4 ✓ 437/2 ✓	0.956 0.212	0.956 0.212
		कुल 2 किता	1.168	1.168
160	मोरसिंह पिता किशनलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	437/3 ✓	0.212	0.212
		कुल 1 किता	0.212	0.212
161	प्रेमनारायण पिता खुशीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	618/1/2 ✓ 441/2 ✓ 439 ✓ 437/4 ✓	0.477 0.089 0.063 0.060	0.477 0.089 0.063 0.060
		कुल 4 किता	0.689	0.689
162	हरबक्ष, नंदराम, धन्नालाल, कंवरलाल आ. श्रीलाल, माया देवा श्रीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	614 ✓ 609/1 ✓	0.089 0.591	0.089 0.591
		कुल 2 किता	0.680	0.680

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
163	रामचरण, गोपाल, बापूलाल पिता नंदराम, अयोध्या बाई बेवा नंदराम जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	609/2 ✓	0.592	0.592
		कुल 1 किता	0.592	0.592
164	राकेश, गोखलेश पिता जमनाला मु. लीलाबाई बेवा जमनालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	438/1 ✓	0.115	0.115
		कुल 1 किता	0.115	0.115
165	रंजीत सिंह आ. मांगीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	201 ✓	0.164	0.164
		कुल 1 किता	0.164	0.164
166	मागीलाल आ. भागीरथ जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	193 ✓	0.443	0.443
		कुल 1 किता	0.443	0.443
167	मोहनलाल पिता मिश्रीलाल जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	321/1 ✓ 319/2/1 ✓	0.084 0.169	0.084 0.169
		कुल 2 किता	0.253	0.253
168	प्रेमसिंह पिता मिश्रीलाल जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	321/3 ✓ 319/2/3 ✓ 312/1/3 ✓ 311/1 ✓	0.084 0.169 0.022 0.022	0.084 0.169 0.022 0.022
		कुल 4 किता	0.297	0.297
169	दौलतराम पिता भंवरलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	412/2 ✓ 411/1 ✓ 410/2 ✓ 409/1 ✓ 56/1/3 ✓	0.443 0.095 0.661 0.379 0.126	0.443 0.095 0.661 0.379 0.126
		कुल 5 किता	1.704	1.704
170	डमरू पिता हजारीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	412/1 ✓ 411/2 ✓ 410/1 ✓ 56/1/1 ✓	0.442 0.095 0.659 0.126	0.442 0.095 0.659 0.126
		कुल 4 किता	1.322	1.322
171	अर्जुनसिंह, रमेश, अभय सिंह, मोहनबाई, शांतिबाई पिता नाथूलाल मु. गुलाबबाई बेवा नाथूलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	144/1 ✓ 54 ✓ 51/1 ✓	0.481 0.164 0.632	0.481 0.164 0.632
		कुल 3 किता	1.277	1.277
172	शम्भूसिंह पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़	133/2 ✓	0.297	0.297
		कुल 1 किता	0.297	0.297
173	विजय सिंह पिता बंशीलाल हि. 1/3 भाग, जगमोहन सिंह पिता बंशीलाल हि. 1/3 भाग, मु. फूलबाई बेवा बंशीलाल हि. 1/3 भाग, जाति लोदी पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़	136/1 ✓ 133/1 ✓	0.028 0.120	0.028 0.120
		कुल 2 किता	0.148	0.148

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
174	पर्वतसिंह पिता करणसिंह हि. 1/2 भाग, बहादुरसिंह पिता शिम्भूसिंह हि. 1/2 भाग, प्रकाश बाई बेवा करणसिंह हि. 1/2 भाग, जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	156/1 ✓	0.158	0.158
		कुल 1 किता	0.158	0.158
175	गंगाधर आ. मांगीलाल जाति तेली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	382 ✓	0.190	0.190
		392/2 ✓	0.164	0.164
		380 ✓	1.619	1.619
		कुल 3 किता	1.973	1.973
176	मथरालाल आ. मांगीलाल जाति तेली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	357/2 ✓	0.506	0.506
		392/1 ✓	0.026	0.026
		कुल 2 किता	0.532	0.532
177	गुलाब सिंह पिता हजारीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	356/2 ✓	0.066	0.066
		53/1 ✓	0.063	0.063
		52/1 ✓	0.126	0.126
		कुल 3 किता	0.255	0.255
178	रामबाबू पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	354/1 ✓	0.095	0.095
		कुल 1 किता	0.095	0.095
179	नितेश नाबालिग पिता शिवचरण सिंह संरक्षक माता विमलाबाई पति शिवराज जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	343 ✓	0.316	0.316
		कुल 1 किता	0.316	0.316
180	ना.बा. धमेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण सर. पर. माता कृष्णाबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	352/2 ✓	0.253	0.253
		333 ✓	0.202	0.202
		कुल 2 किता	0.455	0.455
181	निरंजन सिंह पिता रूगनाथ, ग्यारसी बैवा रूगनाथ जाति लोदी पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़	563/1 ✓	0.136	0.136
		कुल 1 किता	0.136	0.136
182	मोहन सिंह पिता हजारीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	349/1 ✓	0.214	0.214
		53/4 ✓	0.063	0.063
		52/4 ✓	0.127	0.127
		कुल 3 किता	0.404	0.404
183	धारू पिता मथरालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	349/2 ✓	0.108	0.108
		349/3 ✓	0.108	0.108
		कुल 2 किता	0.216	0.216

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
184	अजय लोधी नाबालिग पिता अमरलाल संरक्षक पिता अमरतलाल पिता नर्बेसिंह जाति लोधी पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़	142/2	0.073	0.073
		कुल 1 किता	0.073	0.073
185	चंदर सिंह पिता हजारीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	142/1/1	0.109	0.109
		53/2	0.064	0.064
		52/2	0.126	0.126
		कुल 3 किता	0.299	0.299
186	रणजीतसिंह पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़	347	0.139	0.139
		346	0.405	0.405
		341	0.253	0.253
		कुल 3 किता	0.797	0.797
187	रंजीत पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	345/2	0.126	0.126
		कुल 1 किता	0.126	0.126
188	अमरलाल आ. नारान जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	344/2	0.101	0.101
		कुल 1 किता	0.101	0.101
189	प्रेमसिंह पिता मोतीलाल हि. 1/3 भाग, लक्ष्मीनारायण पिता मोतीलाल हि. 1/3 भाग, कृष्णपाल पिता मोतीलाल हि. 1/3 भाग, जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	342	0.228	0.228
		55/1	0.266	0.266
		कुल 2 किता	0.494	0.494
190	फूलसिंह पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़ भूमि स्वामी	340/1	0.108	0.108
		337	0.038	0.038
		338	0.354	0.354
		128/3	0.056	0.056
		123/3	0.050	0.050
		कुल 5 किता	0.606	0.606
	महायोग :-	कुल 633 किता	218.780	218.780

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 1296 / भू-अर्जन / 2021 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 20/37-82/2020-21 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-टोडी (I) के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री, सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम-टोडी (I)

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-ग्राम-टोडी (I) की भूमि की आवश्यकता।	187.891	187.891
	कुल योग :	187.891	187.891

—: अनुसूची (2) :—

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	सरजन सिंह पिता बंशीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	264 ✓	1.316	1.316
		263	0.228	0.228
		कुल 2 किता	1.544	1.544
2	तीजूबाई पति लक्ष्मन हि. 1/2 भाग, जालम पिता रामप्रसाद हि. 1/2 भाग, जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	283 ✓	0.215 ✓	0.215 ✓
		445 ✓	0.139	0.139 ✓
		361 ✓	0.177 ✓	0.177 ✓
		153/1 ✓	0.448 ✓	0.448 ✓
		कुल 4 किता	0.979	0.979

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
3	भंवरलाल, भूराजी, गंगाराम, देवसिंह पिता जगन्नाथ, कमलेश पिता रामप्रसाद गीता बहन रामप्रसाद हि. 50 पैसे जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1768 ✓	0.569 ✓	0.569 ✓
		कुल 1 किता	0.569	0.569
4	वीरेन्द्र सिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1766 ✓	0.417 ✓	0.417 ✓
		कुल 1 किता	0.417	0.417
5	हनुमंत सिंह पिता भारत सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.)	1765/1/1 ✓	0.759 ✓	0.759 ✓
		कुल 1 किता	0.759	0.759
6	विक्रमसिंह पिता भारतसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.)	1765/1/2 ✓	0.949 ✓	0.949 ✓
		कुल 1 किता	0.949	0.949
7	कृष्णपाल सिंह पिता भारत सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.)	1765/1/3 ✓	1.137 ✓	1.137 ✓
		कुल 1 किता	1.137	1.137
8	भवरसिंह पिता भारतसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1765/2 ✓	0.949 ✓	0.949 ✓
		कुल 1 किता	0.949	0.949
9	नन्द कंवर पत्नि हनुमंत सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1764/1 ✓	1.582 ✓	1.582 ✓
		कुल 1 किता	1.582	1.582
10	बलवीरसिंह पिता भगवानसिंह हि. 1/2 भाग, राजपाल सिंह पिता भगवानसिंह हि. 1/2 भाग, जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1764/2 ✓ 834 ✓ 702 ✓	0.643 ✓ 0.266 ✓ 0.177 ✓	0.643 ✓ 0.266 ✓ 0.177 ✓
		कुल 3 किता	1.086	1.086
11	अमरलाल पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1695/1 ✓	0.442 ✓	0.442 ✓
		कुल 1 किता	0.442	0.442
12	मोतीलाल आ. मोहनलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	798 ✓	1.303 ✓	1.303 ✓
		कुल 1 किता	1.303	1.303
13	रामभरोसा पिता मदनलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1694 ✓ 1698/8 ✓	0.101 ✓ 0.500 ✓	0.101 ✓ 0.500 ✓
		कुल 2 किता	0.601	0.601
14	नाथूसिंह पिता बापूलाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1693/1 ✓ 1692/1 ✓	0.317 ✓ 0.189 ✓	0.317 ✓ 0.189 ✓
		कुल 2 किता	0.506	0.506

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
15	केशरसिंह पिता पर्वतसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1693/2	0.392	0.392
		कुल 1 किता	0.392	0.392
16	अमृतसिंह पिता शिवनाथसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1693/3	0.580	0.580
		कुल 1 किता	0.580	0.580
17	भारतसिंह आ. भंवरलाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1693/4	0.506	0.506
		कुल 1 किता	0.506	0.506
18	चन्द्रसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	788/2	0.089	0.089
		787/1	0.114	0.114
		786/2	0.044	0.044
		785/1	0.189	0.189
		784/2	0.222	0.222
		782/1	0.139	0.139
		कुल 6 किता	0.797	0.797
19	बालकिशन पिता हजारीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	420/3	0.222	0.222
		कुल 1 किता	0.222	0.222
20	धनराजसिंह पिता देवबगस जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	420/2/1	0.221	0.221
		कुल 1 किता	0.221	0.221
21	श्यामसिंह, बलवीरसिंह, नरेन्द्रसिंह, विष्णुकुंवर पिता कल्याणसिंह मु. रूपकुंवर बेवा कल्याण सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1763	3.048	3.048
		1759/2	0.278	0.278
		1753	0.405	0.405
		कुल 3 किता	3.731	3.731
22	रोडिया पिता दोला जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1762	1.164	1.164
		1756	0.595	0.595
		1754	0.759	0.759
		कुल 3 किता	2.518	2.518
23	दयाबाई बेवा प्रेमनारायण जाति खाती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1758	0.632	0.632
		कुल 1 किता	0.632	0.632
24	धमेन्द्र सिंह पिता भारत सिंह जाति राजपूत पता नि. बिसोनिया भूमि स्वामी	1751	0.177	0.177
		कुल 1 किता	0.177	0.177
25	काशीराम पिता नाथूलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	1727/1	0.544	0.544
		कुल 1 किता	0.544	0.544

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
26	गीताबाई पत्नि ग्यारसी राम जाति मेहतर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	900/1/2 ✓	0.406 ✓	0.406 ✓
		कुल 1 किता	0.406	0.406
27	कमलाकवर पत्नि सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1737/1 ✓	0.031 ✓	0.031 ✓
		कुल 1 किता	0.031	0.031
28	सुरेन्द्र सिंह पिता भगवान सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1737/2 ✓	0.032 ✓	0.032 ✓
		कुल 1 किता	0.032	0.032
29	दुलीचंद पिता हरिनारायण जाति दर्जी पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.)	851/3 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
		कुल 1 किता	0.253	0.253
30	रामबाबू पिता भंवरलाल जाति दर्जी पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.)	1735 ✓	0.506	0.506 ✓
		कुल 1 किता	0.506	0.506
31	कल्लूसिंह पिता बलबहादुरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	687/2/4 ✓	0.342 ✓	0.342 ✓
		कुल 1 किता	0.342	0.342
32	सज्जन सिंह पंवार पिता श्री रणजीत सिंह पंवार जाति राजपूत पता निवासी कदवाली भूमि स्वामी	1729/1 ✓	0.515 ✓	0.515 ✓
		1729/2 ✓	0.515 ✓	0.515 ✓
		1729/4 ✓	0.516 ✓	0.516 ✓
		कुल 3 किता	1.546	1.546
33	सुरेन्द्र सिंह पिता सज्जन सिंह जाति राजपूत पता नि. कदवाली तह. घटया उज्जैन (म.प्र.)	1729/3 ✓	0.515 ✓	0.515 ✓
		कुल 1 किता	0.515	0.515
34	सरवन आ. प्रभूलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1728/1 ✓	0.278 ✓	0.278 ✓
		1657/1 ✓	0.632 ✓	0.632 ✓
		कुल 2 किता	0.910	0.910
35	जगन्नाथ पिता गनपत जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1728/2 ✓	1.012 ✓	1.012 ✓
		कुल 1 किता	1.012	1.012
36	भंवरलाल पिता हरिनारायण जाति दर्जी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1728/3 ✓	0.379 ✓	0.379 ✓
		कुल 1 किता	0.379	0.379

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
37	कैलाश आ. बंशीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1728/5/1 ✓	0.158 ✓	0.158 ✓
		1726/1/3 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
		797/2/1	0.071 ✓	0.071 ✓
		793/1/1 ✓	0.106 ✓	0.106 ✓
		कुल 4 किता	0.588	0.588
38	रामचरण पिता बंशीलाल जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1728/5/2 ✓	0.158 ✓	0.158 ✓
		797/2/2 ✓	0.072 ✓	0.072 ✓
		793/1/2 ✓	0.105 ✓	0.105 ✓
		862/3/2 ✓	0.059 ✓	0.059 ✓
		860/3/1/2 ✓	0.053 ✓	0.053 ✓
		872/2/2 ✓	0.183 ✓	0.183 ✓
		कुल 6 किता	0.630	0.630
39	रामबाबू पिता जमनालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1727/2 ✓	0.506 ✓	0.506 ✓
		कुल 1 किता	0.506	0.506
40	जमनालाल पिता काशीराम जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1726/1/1 ✓	1.075 ✓	1.075 ✓
		कुल 1 किता	1.075	1.075
41	बालमुकंद पिता जमनालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1726/1/2 ✓	0.379 ✓	0.379 ✓
		कुल 1 किता	0.379	0.379
42	लक्ष्मीनारायण पिता काशीराम जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1726/2 ✓	1.454 ✓	1.454 ✓
		कुल 1 किता	1.454	1.454
43	देवकी बल्लभ पिता मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1725/1/1/1 ✓	0.670 ✓	0.670 ✓
		922 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
		791/1 ✓	0.189 ✓	0.189 ✓
		930/1 ✓	0.126 ✓	0.126 ✓
		928 ✓	0.304 ✓	0.304 ✓
		790 ✓	0.417 ✓	0.417 ✓
		कुल 6 किता	1.959	1.959
44	दुर्गेशनन्दिनी पत्नि देवकीवल्लभ जाति ब्राह्मण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1725/1/1/2 ✓	1.265 ✓	1.265 ✓
		कुल 1 किता	1.265	1.265
45	भंवरलाल पिता मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1725/1/2 ✓	0.050 ✓	0.050 ✓
		कुल 1 किता	0.050	0.050

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
46	जमनालाल पिता खुमान जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1725/2 ✓	0.025 ✓	0.025 ✓
		1724/1 ✓	0.783 ✓	0.783 ✓
		904/2 ✓	0.250 ✓	0.250 ✓
		903/1 ✓	0.183 ✓	0.183 ✓
		कुल 4 किता	1.241	1.241
47	प्रेम पिता खुमान जाति लोदी पता टोडी ब्यावरा राजगढ़ (म.प्र.)	1724/2	0.710	0.710
		1723 ✓	0.101 ✓	0.101 ✓
		कुल 2 किता	0.811	0.811
48	राजेन्द्र सिंह पिता पर्वत सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1720/2 ✓	0.039 ✓	0.039 ✓
		कुल 1 किता	0.039	0.039
49	गजराज सिंह पिता पर्वत सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1720/1 ✓	0.189 ✓	0.189 ✓
		कुल 1 किता	0.189	0.189
50	दिनेश पिता कन्हैयालाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1714/1 ✓	0.265 ✓	0.265 ✓
		कुल 1 किता	0.265	0.265
51	जगदीश पिता कन्हैयालाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1714/2 ✓	0.266 ✓	0.266 ✓
		कुल 1 किता	0.266	0.266
52	अमरसिंह पिता कन्हैया हि. 1/3 भाग, गोकुल पिता कन्हैया हि. 1/3 भाग, प्रेम बेवा कन्हैया हि. 1/3 भाग, जाति बलाई पता नि. ग्रामभूमि स्वामी	884/2 ✓	0.506 ✓	0.506 ✓
		कुल 1 किता	0.506	0.506
53	रमेश, सुरेश, रामचरण, राधेश्याम, राजू पिता भंवरलाल, ललीताबाई पुत्री भंवरलाल, धापूबाई बेवा भंवरलाल जाति तेली पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़	1698/1 ✓	0.400 ✓	0.400 ✓
		कुल 1 किता	0.400	0.400
54	मांगीलाल पिता जालमपुरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1698/2 ✓	0.400 ✓	0.400 ✓
		कुल 1 किता	0.400	0.400
55	रोडिया पिता मिश्रीलाल जाति नाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1698/3 ✓	0.400 ✓	0.400 ✓
		कुल 1 किता	0.400	0.400
56	गोपाल, जगदीश, सोनू, जसोदी पिता कन्हैयालाल, धापूबाई बेवा कन्हैयालाल जाति नाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1698/4 ✓	0.400 ✓	0.400 ✓
		कुल 1 किता	0.400	0.400

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
57	जमन्या पिता नारान जाति नाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1698/6 ✓	0.400 ✓	0.400 ✓
		कुल 1 किता	0.400	0.400
58	कमलसिंह पिता प्रभूलाल जाति गाडरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1697/1 ✓	0.160 ✓	0.160 ✓
		1695/2/3 ✓	0.067 ✓	0.067 ✓
		1695/2/4 ✓	0.448 ✓	0.448 ✓
		1663/3 ✓	0.673 ✓	0.673 ✓
		कुल 4 किता	1.348	1.348
59	रामबाबू पिता प्रभूलाल जाति गाडरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1697/2 ✓	0.161 ✓	0.161 ✓
		1695/2/1 ✓	0.066 ✓	0.066 ✓
		1695/2/5 ✓	0.448 ✓	0.448 ✓
		1663/1 ✓	0.070 ✓	0.070 ✓
		कुल 4 किता	0.745	0.745
60	राधेश्याम पिता प्रभूलाल जाति गाडरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1697/3 ✓	0.160 ✓	0.160 ✓
		1695/2/2 ✓	0.067 ✓	0.067 ✓
		1695/2/6 ✓	0.447 ✓	0.447 ✓
		1663/2 ✓	0.320 ✓	0.320 ✓
		कुल 4 किता	0.994	0.994
61	भेरूसिंह पिता कमलसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1692/2/1 ✓	0.077 ✓	0.077 ✓
		कुल 1 किता	0.077	0.077
62	गजराज सिंह पिता नारायण सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	788/1 ✓	0.088 ✓	0.088 ✓
		787/2 ✓	0.114 ✓	0.114 ✓
		786/1 ✓	0.045 ✓	0.045 ✓
		785/2 ✓	0.190 ✓	0.190 ✓
		784/1 ✓	0.221 ✓	0.221 ✓
		782/2 ✓	0.139 ✓	0.139 ✓
		कुल 6 किता	0.797	0.797
63	कन्हैयालाल पिता भंवरलाल जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1666 ✓	0.544 ✓	0.544 ✓
		कुल 1 किता	0.544	0.544
64	देवसिंह आ. गंगाधर जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	565/2/1 ✓	0.244 ✓	0.244 ✓
		कुल 1 किता	0.244	0.244
65	छीतर पिता भंवरिया जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1659 ✓	0.787 ✓	0.787 ✓
		1658 ✓	1.075 ✓	1.075 ✓
		कुल 2 किता	1.862	1.862

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
66	कन्हैयालाल आ. लालचंद जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1657/2	0.645	0.645
		259	0.557	0.557
		कुल 2 किता	1.202	1.202
67	बनेसिंह पिता कन्हैयालाल जाति चमार पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़	1656	0.873	0.873
		कुल 1 किता	0.873	0.873
68	रमेश पिता कन्हैयालाल जाति चमार पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़	1651/2	0.455	0.455
		कुल 1 किता	0.455	0.455
69	महेन्द्रसिंह पिता भगवत सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	687/2/2/2	0.892	0.892
		कुल 1 किता	0.892	0.892
70	कृष्णपाल सिंह पिता भवरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	687/2/2/1/1	0.447	0.447
		कुल 1 किता	0.447	0.447
71	राजेन्द्र सिंह पिता भवर सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	687/2/2/1/2	0.446	0.446
		कुल 1 किता	0.446	0.446
72	भगवान सिंह पिता चेनसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	685/3	0.769	0.769
		687/1	3.737	3.737
		699	0.228	0.228
		कुल 3 किता	4.734	4.734
73	नंदराम पिता हजारीलाल हि. 1/2 भाग, रामप्रसाद पिता हजारीलाल हि. 1/2 भाग, जाति गाडरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	927	0.342	0.342
		कुल 1 किता	0.342	0.342
74	भंवरबाई पिता लालसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	811	0.063	0.063
		810/1	0.089	0.089
		कुल 2 किता	0.152	0.152
75	बलवीरसिंह पिता भगवानसिंह हि. 1/2 भाग, राजपालसिंह पिता भगवानसिंह हि. 1/2 भाग, जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	825	0.430	0.430
		818	0.202	0.202
		698	0.607	0.607
		688/2	3.288	3.288
		कुल 4 किता	4.527	4.527
76	उममेद सिंह पिता गजराज सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	697/1	0.379	0.379
		कुल 1 किता	0.379	0.379
77	हरपाल सिंह पिता समराज सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	697/2/1	0.190	0.190
		कुल 1 किता	0.190	0.190

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
78	तेजपाल सिंह पिता समराज सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	697/2/2	0.190	0.190
		689/1/2	0.870	0.870
		कुल 2 किता	1.060	1.060
79	देवराज पिता नाथू भबरीबाई बेवा नाथू जाति राजपूत पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	992/1	0.442	0.442
		कुल 1 किता	0.442	0.442
80	भवर बाई पिता लालसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	992/2	0.500	0.500
		कुल 1 किता	0.500	0.500
81	हरपाल सिंह, निरजपाल सिंह पिता मंगूसिंह मु. मानकंवर बाई बेवा मंगूसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	992/3	0.314	0.314
		कुल 1 किता	0.314	0.314
82	मदरूपसिंह पिता लालजी जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	992/4	0.314	0.314
		कुल 1 किता	0.314	0.314
83	मूलसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	992/5	0.314	0.314
		कुल 1 किता	0.314	0.314
84	नीरज कुंवर पत्नि कृष्णपाल सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	974	0.278	0.278
		969/1	1.657	1.657
		कुल 2 किता	1.935	1.935
85	हरिसिंह पिता जगनारायण सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	969/2/1	0.783	0.783
		कुल 1 किता	0.783	0.783
86	गोपाल सिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	969/2/2	1.265	1.265
		कुल 1 किता	1.265	1.265
87	गजेन्द्र सिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	969/2/3	1.265	1.265
		कुल 1 किता	1.265	1.265
88	करण सिंह पिता मायाराम जाति लोदा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	340/2	0.107	0.107
		कुल 1 किता	0.107	0.107
89	सियाराम शर्मा पिता घनश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण पता निवासी तहसील सुठालिया भूमि स्वामी	917/1	1.359	1.359
		916/1	0.316	0.316
		कुल 2 किता	1.675	1.675

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
90	रघुनंदन शर्मा पिता घनश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण पता निवासी तहसील सुठालिया भूमि स्वामी	917/2	1.358	1.358
		916/2	0.253	0.253
		कुल 2 किता	1.611	1.611
91	सुरेश पिता परस्या हि. 1/2 भाग, सुमीत्रा पत्नि सुरेश हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता ग्राम भूमि स्वामी	915/1	1.012	1.012
		कुल 1 किता	1.012	1.012
92	हरिकिशन पिता बिहारीलाल हि. 1/2 भाग, हरीसिंह पिता बिहारीलाल हि. 1/2 भाग, जाति गुर्जर पता टोडी ब्यावरा राजगढ़	914	0.101	0.101
		906/1	0.504	0.504
		564/1	0.370	0.370
		558/3/1	0.024	0.024
		434/2/1	0.463	0.463
		कुल 5 किता	1.462	1.462
93	मोहनदास पिता कन्हैयादास जाति बैरागी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	913	0.544	0.544
		912	0.101	0.101
		910	1.241	1.241
		909	0.228	0.228
		908	0.177	0.177
		कुल 5 किता	2.291	2.291
94	देवकी वल्लभ पिता मिश्रीलाल जाति शर्मा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	911	0.291	0.291
		904/1	0.500	0.500
		कुल 2 किता	0.791	0.791
95	चन्द्रसिंह पिता हरिकिशन हि. 1/2 भाग, कंचनसिंह पिता हरिकिशन हि. 1/2 भाग; जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	907	0.493	0.493
		कुल 1 किता	0.493	0.493
96	खुशीलाल पिता बिहारीलाल जाति गुर्जर पता टोडी ब्यावरा राजगढ़	906/2	0.306	0.306
		564/2	0.187	0.187
		558/3/2	0.012	0.012
		434/2/2	0.296	0.296
		कुल 4 किता	0.801	0.801
97	प्रेम पिता खुमान जाति लोदी पता टोडी ब्यावरा राजगढ़	904/3	0.249	0.249
		903/2	0.184	0.184
		कुल 2 किता	0.433	0.433
98	तुलसीराम, भरोसाराम, पप्पू, नरभेसिंह, शैतानबाई पिता छीतर हि. 50 पैसे, दुर्गाप्रसाद, महेश, बद्री, सुरेश, भागीरथ पिता दोला हि. 50 पैसे, जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	901	0.916	0.916
		482	0.405	0.405
		323	0.670	0.670
		306	0.164	0.164
		274	0.379	0.379
		कुल 5 किता	2.534	2.534

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
99	मदनमोहन पिता मिश्रीलाल जाति तम्बोली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	900/2 ✓	0.342 ✓	0.342 ✓
		855/2 ✓	1.176 ✓	1.176 ✓
		कुल 2 किता	1.518	1.518
100	कान्तिबाई पति अमरसिंह हि. 1/2 भाग, अमरसिंह पिता कन्हैयालाल हि. 1/2 भाग, जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	899/1	0.500 ✓	0.500
		कुल 1 किता	0.500	0.500
101	निरपत सिंह पिता भागीरथ जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	898	0.152	0.152
		897 ✓	0.152 ✓	0.152 ✓
		896/2	0.455	0.455
		कुल 3 किता	0.759	0.759
102	प्रकाश कंवर पति बलवीरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	896/1 ✓	0.671 ✓	0.671 ✓
		895 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
		कुल 2 किता	0.924	0.924
103	श्याम, राधेश्याम, लक्ष्मी नारायण, प्रेम, अनिता, सुनिता पिता भागीरथ मु. ललता बाई बेवा भागीरथ जाति तमोली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	894/1	0.164	0.164 ✓
		कुल 1 किता	0.164	0.164
104	श्यामसुन्दर पिता भागीरथ जाति तमोली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	894/2	0.333	0.333
		893/1 ✓	0.932	0.932
		कुल 2 किता	1.265	1.265
105	राधेश्याम पिता भागीरथ जाति तमोली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	894/3	0.334	0.334
		893/2	0.931 ✓	0.931 ✓
		कुल 2 किता	1.265	1.265
106	लक्ष्मीनारायण पिता भागीरथ जाति तमोली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	894/4 ✓	0.333 ✓	0.333 ✓
		893/3 ✓	0.932 ✓	0.932 ✓
		कुल 2 किता	1.265	1.265
107	बलराम सिंह आ. रघुनंदन सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	855/1 ✓	0.178	0.178
		874 ✓	0.506 ✓	0.506 ✓
		876 ✓	0.873	0.873 ✓
		कुल 3 किता	1.557	1.557
108	मांगीलाल पिता भोना जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	854/1 ✓	0.506 ✓	0.506 ✓
		854/2 ✓	0.215 ✓	0.215 ✓
		854/3/1 ✓	0.106 ✓	0.106 ✓
		कुल 3 किता	0.827	0.827

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
109	बेजनाथ पिता भोना जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	854/3/2 ✓	0.906 ✓	0.906 ✓
		कुल 1 किता	0.906 ✓	0.906
110(A)	छगनलाल पिता जमनालाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	853/1	0.240	0.240
		853/3	0.303 ✓	0.303 ✓
		848/1 ✓	0.063 ✓	0.063
		कुल 3 किता	0.606	0.606
110(B)	छगनलाल पिता जमनालाल जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	853/2	0.241 ✓	0.241 ✓
		कुल 1 किता	0.241	0.241
111	जगदीश पिता लालचंद जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	852/1 ✓	0.437 ✓	0.437 ✓
		850/1 ✓	0.025 ✓	0.025 ✓
		359/1 ✓	0.071 ✓	0.071 ✓
		310 ✓	0.101 ✓	0.101 ✓
		308 ✓	0.101 ✓	0.101 ✓
		307/4 ✓	0.556 ✓	0.556 ✓
		305 ✓	0.114 ✓	0.114 ✓
		303/2 ✓	0.202 ✓	0.202 ✓
		301/5 ✓	0.164 ✓	0.164 ✓
		399 ✓	0.126 ✓	0.126 ✓
		कुल 10 किता	1.897	1.897
112	बिहारी पिता बाबरू जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	852/2 ✓	0.090 ✓	0.090 ✓
		850/2 ✓	0.026 ✓	0.026 ✓
		314/1 ✓	0.026 ✓	0.026 ✓
		313/1 ✓	0.087 ✓	0.087 ✓
		307/1 ✓	0.076 ✓	0.076 ✓
		301/1 ✓	0.042 ✓	0.042 ✓
		कुल 6 किता	0.347	0.347
113	दयाराम पिता बाबरू जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	852/3 ✓	0.090 ✓	0.090 ✓
		850/3 ✓	0.025 ✓	0.025 ✓
		307/2 ✓	0.190 ✓	0.190 ✓
		301/4 ✓	0.041 ✓	0.041 ✓
		299/1 ✓	0.109 ✓	0.109 ✓
		कुल 5 किता	0.455	0.455
114	परबतसिंह पिता बाबरू जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	852/4 ✓	0.090 ✓	0.090 ✓
		850/4 ✓	0.025 ✓	0.025 ✓
		307/3 ✓	0.190 ✓	0.190 ✓
		301/2 ✓	0.041 ✓	0.041 ✓
		5/2/2 ✓	0.181 ✓	0.181 ✓
		9/1/1 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
		कुल 6 किता	0.780	0.780

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
115	बद्रीलाल पिता बाबरू जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	852/5 ✓	0.090 ✓	0.090 ✓
		851/1 ✓	0.949 ✓	0.949 ✓
		850/5 ✓	0.025 ✓	0.025 ✓
		849 ✓	0.392 ✓	0.392 ✓
		314/2 ✓	0.100 ✓	0.100 ✓
		313/2 ✓	0.090 ✓	0.090 ✓
		312/1/1 ✓	0.091 ✓	0.091 ✓
		301/3 ✓	0.041 ✓	0.041 ✓
		5/2/1 ✓	0.148 ✓	0.148 ✓
	कुल 9 किता	1.926	1.926	
116	रामबाबू पिता भंवरलाल जाति दर्जी पता टोडी ब्यावरा, राजगढ़	851/2 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
		कुल 1 किता	0.253	0.253
117	चैनसिंह पिता मूल सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	847/1 ✓	0.421 ✓	0.421 ✓
		857/1 ✓	0.070 ✓	0.070 ✓
		858/2 ✓	0.204 ✓	0.204 ✓
		846/2 ✓	0.680 ✓	0.680 ✓
	कुल 4 किता	1.375	1.375	
118	रघुवीरसिंह पिता मूलसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	847/2 ✓	0.085 ✓	0.085 ✓
		कुल 1 किता	0.085	0.085
119	हरिसिंह पिता मोहन सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	841 ✓	0.089 ✓	0.089 ✓
		690/6/1 ✓	0.471 ✓	0.471 ✓
		839/1 ✓	0.928 ✓	0.928 ✓
		836/3 ✓	0.547 ✓	0.547 ✓
		828/2 ✓	0.051 ✓	0.051 ✓
	कुल 5 किता	2.086	2.086	
120	हरिनारायण सिंह पिता दशरथ सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	684 ✓	3.920 ✓	3.920 ✓
		717/1 ✓	0.244 ✓	0.244 ✓
		664/2 ✓	1.167 ✓	1.167 ✓
	कुल 3 किता	5.331	5.331	
121	देवराज पिता नाथू भवरीबाई बेवा नाथू जाति राजपूत पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	685/1 ✓	3.010 ✓	3.010 ✓
		कुल 1 किता	3.010	3.010
122	कमलाबाई बेवा भंवरलाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	685/2/1 ✓	0.873 ✓	0.873 ✓
		687/2/1 ✓	0.359 ✓	0.359 ✓
	कुल 2 किता	1.232	1.232	
123	रघुवीर सिंह पिता बलबहादुर सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	685/2/3 ✓	0.291 ✓	0.291 ✓
		687/2/3 ✓	0.721 ✓	0.721 ✓
		810/2 ✓	0.151 ✓	0.151 ✓
	कुल 3 किता	1.163	1.163	
124	छोटीबाई बेवा भगवत सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	685/2/5 ✓	0.874 ✓	0.874 ✓
		कुल 1 किता	0.874	0.874

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
125	सुमेर सिंह पिता बलबहादुर सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	687/2/5	0.722	0.722
		625/2/2	0.291	0.291
		कुल 2 किता	1.013	1.013
126	राजेन्द्रसिंह पिता रघुवीर सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	688/1	0.506	0.506
		कुल 1 किता	0.506	0.506
127	लेखराज सिंह पिता गजराज सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	689/2/1	0.870	0.870
		कुल 1 किता	0.870	0.870
128	भवर सिंह पिता गजराज सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	689/2/2	0.869	0.869
		कुल 1 किता	0.869	0.869
129	दीपसिंह पिता कृष्णपाल सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	690/1/1/2	0.126	0.126
		691/1/1	0.478	0.478
		कुल 2 किता	0.604	0.604
130	किशन कँवर बेवा बिसन सिंह, बंशी कँवर, सुषमा कँवर पिन्दुकँवर पिता बिसन सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	690/1/2	0.835	0.835
		829/4	0.057	0.057
		828/1	0.050	0.050
		693/1/1	0.253	0.253
		कुल 4 किता	1.195	1.195
131	महेन्द्रसिंह पिता प्रभुनाथ सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	690/2/1	0.148	0.148
		891/1/1	0.710	0.710
		830/6/1	0.067	0.067
		828/4/1	0.013	0.013
		694/4/1	0.335	0.335
		कुल 5 किता	1.273	1.273
132	प्रेमसिंह पिता प्रभुनाथ सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	690/2/2	0.295	0.295
		कुल 1 किता	0.295	0.295
133	गोकुल सिंह पिता अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	690/3/2	0.222	0.222
		कुल 1 किता	0.222	0.222
134(A)	कुमेर सिंह पिता अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ भूमि स्वामी	690/3/1	0.221	0.221
		कुल 1 किता	0.221	0.221
134(B)	पुष्पा कंवर पुत्री नारायण जाति राजपूत पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ भूमि स्वामी	690/4	0.632	0.632
		842/2/2	0.708	0.708
		694/2	1.138	1.138
		कुल 3 किता	2.478	2.478
134(C)	देवराजसिंह पिता प्रहलादसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ भूमि स्वामी.	690/5	0.615	0.615
		831/3	0.089	0.089
		830/4	0.143	0.143
		कुल 3 किता	0.847	0.847

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
135	चन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	690/6/2 ✓	0.470 ✓	0.470 ✓
		829/5 ✓	0.057 ✓	0.057 ✓
		693/2 ✓	0.864 ✓	0.864 ✓
		कुल 3 किता	1.391	1.391
136	दयाल सिंह पिता विजय सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	690/7/1 ✓	0.576 ✓	0.576 ✓
		कुल 1 किता	0.576	0.576
137	शेतान सिंह पिता विजय सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	690/7/2 ✓	0.039 ✓	0.039 ✓
		691/2/2 ✓	0.283 ✓	0.283 ✓
		कुल 2 किता	0.322	0.322
138	जगदीश पिता रावत सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	690/8/1 ✓	0.604 ✓	0.604 ✓
		कुल 1 किता	0.604	0.604
139	देवराज सिंह पिता रावत सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	690/8/2 ✓	0.011 ✓	0.011 ✓
		691/1/2 ✓	0.057 ✓	0.057 ✓
		691/3 ✓	0.536 ✓	0.536 ✓
		कुल 3 किता	0.604	0.604
140	दयाकंवर पत्नी प्रेमसिंह जाति राजपूत पता टोड़ी ब्यावरा, राजगढ़	691/2/1 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
		कुल 1 किता	0.253	0.253
141	ना.बा. तेलपाल सिंह, संदीप सिंह पिता प्रेमसिंह सर. माता दयाकंवर पति प्रेमसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	692/1/2 ✓	0.560 ✓	0.560 ✓
		694/4/2 ✓	0.670 ✓	0.670 ✓
		कुल 2 किता	1.230	1.230
142	प्रताप सिंह पिता जालम सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	692/2 ✓	0.841 ✓	0.841 ✓
		कुल 1 किता	0.841	0.841
143	श्रीमति कैलाश कंवर पति महेन्द्र सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	692/3/2 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
		694/5/2/1 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
		कुल 2 किता	0.506	0.506
144	मोतीसिंह आ. भवरलाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	842/1/1 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
		829/1 ✓	0.144 ✓	0.144 ✓
		826/1 ✓	0.017 ✓	0.017 ✓
		कुल 3 किता	0.414	0.414
145	सुमेर सिंह पिता भवरलाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	842/1/2 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
		829/2 ✓	0.143 ✓	0.143 ✓
		694/1/1 ✓	0.350 ✓	0.350 ✓
		कुल 3 किता	0.746	0.746
146	शिवपाल सिंह आ. भवरलाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	842/3 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
		829/3/1 ✓	0.142 ✓	0.142 ✓
		826/3 ✓	0.017 ✓	0.017 ✓
		694/1/2 ✓	0.350 ✓	0.350 ✓
		कुल 4 किता	0.762	0.762

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
147	लक्ष्मण सिंह आ. शिभूसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	843/1 ✓	11.698 ✓	11.698 ✓
		843/2 ✓	2.035 ✓	2.035 ✓
		813 ✓	0.114 ✓	0.114 ✓
		729 ✓	0.519 ✓	0.519 ✓
		728 ✓	0.329 ✓	0.329 ✓
		726 ✓	0.939 ✓	0.939 ✓
		कुल 6 किता	15.634	15.634
148	रघुवीर सिंह पिता मूलसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	857/2 ✓	0.183 ✓	0.183 ✓
		858/3 ✓	0.091 ✓	0.091 ✓
		846/3 ✓	1.015 ✓	1.015 ✓
		कुल 3 किता	1.289	1.289
149	करन सिंह पिता मूलसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	858/1 ✓	0.274 ✓	0.274 ✓
		846/1 ✓	1.100 ✓	1.100 ✓
		कुल 2 किता	1.374	1.374
150	मूलचंद पिता कनीराम जाति मेहर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	862/1 ✓	0.118 ✓	0.118 ✓
		860/3/2 ✓	0.105 ✓	0.105 ✓
		872/3 ✓	0.367 ✓	0.367 ✓
		793/2 ✓	0.211 ✓	0.211 ✓
		कुल 4 किता	0.801	0.801
151	देवा पिता कनीराम जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	862/2 ✓	0.118 ✓	0.118 ✓
		860/2/2 ✓	0.105 ✓	0.105 ✓
		872/1 ✓	0.367 ✓	0.367 ✓
		836/1 ✓	0.750 ✓	0.750 ✓
		835 ✓	0.316 ✓	0.316 ✓
		797/3 ✓	0.143 ✓	0.143 ✓
		793/3 ✓	0.211 ✓	0.211 ✓
		कुल 7 किता	2.010	2.010
152	कैलाश आ. बंशीलाल जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	862/3/1 ✓	0.059 ✓	0.059 ✓
		872/2/1 ✓	0.184 ✓	0.184 ✓
		860/3/1/1 ✓	0.053 ✓	0.053 ✓
		कुल 3 किता	0.296	0.296
153	गोपी आ. कनीराम जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	860/1 ✓	1.227 ✓	1.227 ✓
		कुल 1 किता	1.227	1.227
154	बल्ला पिता गणपत हि. 1/4 भाग, जगा पिता गणपत हि. 1/4 भाग, हीरा पिता गणपत हि. 1/4 भाग, रामप्रसाद पिता गणपत हि. 1/4 भाग, जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	860/2 ✓	0.367 ✓	0.367 ✓
		861 ✓	0.329 ✓	0.329 ✓
		कुल 2 किता	0.696	0.696
155	पून्या, शंकर आ. नाथू कालू, पुन्या आ. सरबन, गुलाब बेवा सरबन जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	860/4 ✓	1.138 ✓	1.138 ✓
		कुल 1 किता	1.138	1.138

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
156	भरोसा पिता भबरलाल हि. 1/3 भाग, रंगलाल पिता भबरलाल हि. 1/3 भाग, मुलिया बेवा भबरलाल हि. 1/3 भाग, जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	859/1 ✓	0.339 ✓	0.339 ✓
		873/1 ✓	0.278 ✓	0.278 ✓
		871 ✓	0.126 ✓	0.126 ✓
		864/1 ✓	0.016 ✓	0.016 ✓
		863/4 ✓	0.278 ✓	0.278 ✓
		796/1 ✓	0.013 ✓	0.013 ✓
		795/2 ✓	0.098 ✓	0.098 ✓
		794/2 ✓	0.139 ✓	0.139 ✓
	कुल 8 किता	1.287	1.287	
157	हरकिशन पिता प्यारा जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	859/2 ✓	0.338 ✓	0.338 ✓
		873/3 ✓	0.278 ✓	0.278 ✓
		864/4 ✓	0.142 ✓	0.142 ✓
		863/3 ✓	0.278 ✓	0.278 ✓
		796/4 ✓	0.013 ✓	0.013 ✓
		795/5 ✓	0.090 ✓	0.090 ✓
		794/3 ✓	0.139 ✓	0.139 ✓
	कुल 7 किता	1.278	1.278	
158	प्रभूलाल पिता प्यारा हि. 1/2 भाग, हरकिशन पिता प्यारा हि. 1/2 भाग, जाति बलाई पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	859/3 ✓	0.338 ✓	0.338 ✓
		864/2 ✓	0.142 ✓	0.142 ✓
		873/2 ✓	0.278 ✓	0.278 ✓
		863/1 ✓	0.279 ✓	0.279 ✓
		796/3 ✓	0.013 ✓	0.013 ✓
		795/4 ✓	0.098 ✓	0.098 ✓
		794/4 ✓	0.139 ✓	0.139 ✓
	कुल 7 किता	1.287	1.287	
159	प्रभूलाल आ. प्यारा जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	859/4 ✓	0.339 ✓	0.339 ✓
		873/4 ✓	0.279 ✓	0.279 ✓
		864/3 ✓	0.143 ✓	0.143 ✓
		863/2 ✓	0.278 ✓	0.278 ✓
		796/2 ✓	0.012 ✓	0.012 ✓
		795/3 ✓	0.089 ✓	0.089 ✓
		794/1 ✓	0.140 ✓	0.140 ✓
	कुल 7 किता	1.280	1.280	
160	भम्मा, कल्लू, रमेश आ. दया, पुनिया बाई बेवा दया जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	875/1 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
	कुल 1 किता	0.253	0.253	
161	ना.बा. ओमप्रकाश पिता ग्यास्या, अयोधया बाई बेवा ग्यास्या सर माता स्वयं पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	875/2 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
		881/3 ✓	0.054 ✓	0.054 ✓
		877/2 ✓	0.320 ✓	0.320 ✓
	कुल 3 किता	0.627	0.627	
162	राधेश्याम आ. हरिया जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	875/3 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
		881/2 ✓	0.055 ✓	0.055 ✓
		877/3 ✓	0.321 ✓	0.321 ✓
	कुल 3 किता	0.629	0.629	
163	अनवर खां पिता नूरखां जाति मुसलमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	885/1 ✓	0.582 ✓	0.582 ✓
		808 ✓	0.126 ✓	0.126 ✓
		कुल 2 किता	0.708	0.708

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
164	अमरसिंह पिता कन्हैया हि. 1/3 भाग, गोकूल पिता कन्हैया हि. 1/3 भाग, प्रेम बेवा कन्हैया हि. 1/3 भाग, जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	885/2 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
		कुल 1 किता	0.253	0.253
165	बलवीर सिंह पिता प्रभुनाथ जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	886	1.265 ✓	1.265 ✓
		891/1/2 ✓	0.788 ✓	0.788 ✓
		कुल 2 किता	2.053	2.053
166	गजेन्द्र सिंह आ. दशरथ जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	720 ✓	0.734 ✓	0.734 ✓
		719/4 ✓	2.175 ✓	2.175 ✓
		659 ✓	0.316 ✓	0.316 ✓
		543 ✓	0.379 ✓	0.379 ✓
		कुल 4 किता	3.604	3.604
167	प्रेमसिंह पिता बालमुकुन्द जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1286/2 ✓	0.019 ✓	0.019 ✓
		कुल 1 किता	0.019	0.019
168	गंगाधर पिता घोसयलाल जाति भोई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1286/1 ✓	0.133 ✓	0.133 ✓
		कुल 1 किता	0.133	0.133
169	किशनलाल, मोतीलाल आ. भंवरलाल हि. 40, मोरसिंह, करन सिंह, मोहनलाल, चन्दन, जगदीश आ. सोजीराम, उमराव बेवा सोजीराम हि. 40 भूमि स्वामी, रामकिशन आ. गोरेलाल हि. 10, उमराव आ. जगन्नाथ, सुआ, कस्तुरी आ. जगन्नाथ हि. 10, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	567 ✓	0.708 ✓	0.708 ✓
		420/1 ✓	0.162 ✓	0.162 ✓
		कुल 2 किता	0.870	0.870
170	मांगीलाल पिता गुलाबसिंह हि. 1/2 भाग, देवीसिंह पिता गुलाबसिंह हि. 1/2 भाग, जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	569/2 ✓	0.506 ✓	0.506 ✓
		419/1 ✓	0.303 ✓	0.303 ✓
		कुल 2 किता	0.809	0.809
171	मानसिंह आ. प्यार जी जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	570 ✓	0.911 ✓	0.911 ✓
		418 ✓	0.772 ✓	0.772 ✓
		कुल 2 किता	1.683	1.683
172	सुमेरसिंह, अजबसिंह, राजेश, संतोष बाई पिता जगन्नाथ मु. कृष्णाबाई बेवा जगन्नाथ जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	558/2/1 ✓	0.172 ✓	0.172 ✓
		कुल 1 किता	0.172	0.172
173	अमृत पिता गंगाधर, धापू बेवा गंगाधर जाति गाडरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1134/1 ✓	0.145 ✓	0.145 ✓
		1133/1 ✓	0.158 ✓	0.158 ✓
		कुल 2 किता	0.303	0.303
174	जगदीश पिता प्रभूलाल जाति गाडरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1134/2/1 ✓	0.049 ✓	0.049 ✓
		1133/2/1 ✓	0.052 ✓	0.052 ✓
		कुल 2 किता	0.101	0.101

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
175	गणपत पिता प्रभूलाल जाति गाडरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1134/2/2 ✓	0.049 ✓	0.049 ✓
		1133/2/2 ✓	0.053 ✓	0.053 ✓
		कुल 2 किता	0.102	0.102
176	दोलतराम पिता प्रभूलाल जाति गाडरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1134/2/3 ✓	0.048	0.048
		1133/2/3	0.053	0.053
		616 ✓	0.455	0.455
		कुल 3 किता	0.556	0.556
177	लक्ष्मीनारायण पिता रामकिशन हि. 1/2 भाग, कुमेरसिंह पिता रामकिशन हि. 1/2 भाग, जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	334 ✓	0.215 ✓	0.215 ✓
		कुल 1 किता	0.215	0.215
178	सीताराम, सत्यनारायण पिता भंवरलाल हि. 40 पैसे, भागीरथ, मिश्रीलाल, जगन्नाथ पिता बद्रीलाल हि. 60 पैसे, जाति तमोली पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	610 ✓	1.138 ✓	1.138
		कुल 1 किता	1.138	1.138
179	सुधादेवी बेवा रामकुमार जाति ब्राह्मण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	930/2 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
		791/2 ✓	0.190 ✓	0.190 ✓
		789	0.417 ✓	0.417
		कुल 3 किता	0.860	0.860
180	अमित कुमार पिता राम कुमार जाति ब्राह्मण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	929	0.266	0.266
		923 ✓	0.139 ✓	0.139 ✓
		कुल 2 किता	0.405	0.405
181	कृष्णपाल सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	926 ✓	0.493 ✓	0.493 ✓
		कुल 1 किता	0.493	0.493
182	चंचलपुरी, शिवपुरी, कलाबाई, मोहन, सुशीला पिता कन्हैयालाल मु. रामकली बेवा कन्हैयालाल, मांगीलाल, अमरलाल, छोटेलाल पिता जालमपुरी जाति पुरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	925 ✓	0.114 ✓	0.114 ✓
		924 ✓	0.304 ✓	0.304 ✓
		कुल 2 किता	0.418	0.418
183	महेन्द्र सिंह, प्रेमसिंह, बलवीर सिंह पिता प्रभुनाथ सिंह, राधाकवर, सुगनकवर, लाडकवर, कृष्णाकवर पिता प्रभुनाथ सिंह, चंदांकवर बेवा प्रभुनाथ सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	891/1/3 ✓	0.645	0.645
		889/2	0.076	0.076
		830/6/2 ✓	0.135	0.135
		828/4/2 ✓	0.025	0.025
		कुल 4 किता	0.881	0.881
184	बलराम सिंह पिता रघुनंदनसिंह हि. 1/2 भाग, गोविन्द कुंवर बेवा रघुनंदनसिंह हि. 1/2 भाग, जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	888 ✓	0.240 ✓	0.240 ✓
		887 ✓	0.810 ✓	0.810 ✓
		कुल 2 किता	1.050	1.050

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
185	लक्ष्मी कवर पत्नी बलराम सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	884/1 ✓	0.470 ✓	0.470 ✓
		कुल 1 किता	0.470	0.470
186	बलवीरसिंह पिता हरिसिंह हि. 1/2 भाग, मूलसिंह पिता हरिसिंह हि. 1/2 भाग, जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	884/3 ✓	0.694 ✓	0.694 ✓
		कुल 1 किता	0.694	0.694
187	जानकी बेवा भागीरथ जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	883	0.152 ✓	0.152 ✓
		882 ✓	0.797 ✓	0.797 ✓
		880 ✓	0.354 ✓	0.354 ✓
		879/1	0.167	0.167
		कुल 4 किता	1.470	1.470
188	रमेश पिता दयाराम हि. 1/2 भाग, पुनिया बाई बेवा दयाराम हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	881/1 ✓	0.055 ✓	0.055 ✓
		कुल 1 किता	0.055	0.055
189	जगन्नाथ पिता मदनलाल जाति चमार पता राजगढ़ (म. प्र.)	879/2 ✓	0.367 ✓	0.367 ✓
		878 ✓	0.228 ✓	0.228 ✓
		870 ✓	0.152 ✓	0.152 ✓
		कुल 3 किता	0.747	0.747
190	कल्लू आ. दयाराम जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	877/1 ✓	0.320 ✓	0.320 ✓
		कुल 1 किता	0.320	0.320
	महायोग :-	कुल 431 किता	187.891	187.891

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-389—भू-अर्जन—2021

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 जनवरी 2021

1

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-F-22/03/2017-18/ल.सि./31/1358 भोपाल, दिनांक 19/06/2018 की छायाप्रति संलग्न है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "लघु सिंचाई योजना" बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पांडुर्गा	ग्राम- कुकडीखापा, प0ह0न-64 ब.न.-47 रा.नि.मं. -पांडुर्गा	रकबा-0.433 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पांडुर्गा जिला छिन्दवाड़ा	डोलनाला जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
शुद्धि-पत्र

गुना, दिनांक 20 जनवरी 2021

क्र.-08—भू-अर्जन-2021.— सुठालिया सिंचाई परियोजना अंतर्गत गुना जिले के ग्राम खैराड एवं रघुनाथपुरा की निजी भूमि डूब में आने से नवीन भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार भू-अर्जन कार्यवाही के लिए धारा 11 की अनुसूचियां मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, दिनांक 1 जनवरी 2021 में पृष्ठ क्रमांक 87 से 106 तक भूमि का विवरण प्रकाशन किया गया है। उक्त प्रकाशित राजपत्र में पृष्ठ क्रमांक 87 पर अनुसूची 1 में त्रुटिवश तहसील मक्सूदनगढ़ के स्थान पर तहसील राघौगढ़ एवं राजपत्र के पृष्ठ क्रमांक 91 पर तहसील मक्सूदनगढ़ के स्थान पर तहसील राघौगढ़ एवं जिला गुना के स्थान पर जिला राजगढ़ अंकित हो गया है।

अतः उक्त प्रकाशित राजपत्र के पृष्ठ क्रमांक 87 पर शब्द तहसील राघौगढ़ के स्थान पर तहसील मक्सूदनगढ़ पढ़ा जावे तथा राजपत्र के पृष्ठ क्रमांक 91 पर शब्द तहसील राघौगढ़ के स्थान पर तहसील मक्सूदनगढ़ व शब्द जिला राजगढ़ स्थान पर जिला गुना पढ़ा जावे। शेष अनुसूची 1 एवं 2 यथावत रहेगी।

कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर.

गुना, दिनांक 23 जनवरी 2021

क्रमांक 13 / भू-अर्जन/2020 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 02/अर्ज/2020-21 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-मक्सूदनगढ़, जिला-गुना के ग्राम-खैराड के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावसा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/ 34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार, पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

-: अनुसूची (1) :-

तहसील : मक्सूदनगढ़

जिला : गुना

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम-खैराड

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-खैराड की भूमि की आवश्यकता।	113.676	107.119
	कुल योग :-	113.676	107.119

-: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	अपेक्षा पुत्री नारायण सिंह पता नि. काजीखेड़ा भूमि स्वामी	674/12	1.187	1.187
2	अमर सिंह पुत्र गोरधन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	504/2/1/2	0.288	0.288
3	मोहकमसिंह पुत्र भमर सिंह हि. 3/7 भाग, अमरसिंह पुत्र गोरधनलाल हि. 4/7 भाग, जाति लोधी पता नि. काजीखेड़ा भूमि स्वामी	504/2/ख/मिन-1	0.245	0.245

4	कलिया बाई वेवा मदनलाल, करन सिंह पुत्र मदनलाल, गुडडी बाई, रामबाई पुत्रियां मदनलाल, छमाबाई वेवा बद्रीलाल, सोनू पुत्र बद्रीलाल सिंगारबाई अनीताबाई पुत्रीया बद्रीलाल जगन्नाथ, रतनलाल, विजय सिंह पुत्रगण प्रथी जाति लोदी हि. 1/4 भाग पता नि. रघुनाथपुरा भूमि स्वामी दरयाबसिंह पुत्र विनयसिंह जाति राजपूत 223/596 भाग इन्दरभानसिंह पुत्र विनयसिंह जाति राजपूत 56/149 भाग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	499	0.596	0.596
5	इन्दरसिंह पुत्र राम प्रसाद, भगवत सिंह, जमना लाल, रामनारायण पुत्र खुशीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम जगनाथपुरा भूमि स्वामी	486/1	0.564	0.564
6	कमरलाल, रामचरण, मदनलाल पुत्रगण रूगनाथ जाति बसोड़ पता निवासी ग्राम शाहपुर भूमि स्वामी	678/2	1.000	1.000
7	कमलेश पुत्र विजयसिंह पता निवासी ग्राम दयारामपुर भूमि स्वामी	686/1/क	0.209	0.209
8	कैलाश, सुरेश, महेश, दिनेश, शम्भू पुत्रगण जमनालाल, बबलीबाई, गुडडीबाई, प्रेमबाई पुत्रीयां जमनालाल, नारानीबाई बेवा जमनालाल जाति राव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	486/2	0.627	0.627
9	कैलाशनारायण पुत्र हरिबगस हि. 0.105 हे. राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण हि. 0.209 हे. जाति साहू गुलाब सिंह पुत्र धूरेलाल हि. 0.209 हे. मदन सिंह पुत्र जमनालाल हि. 0.104 हे. जाति लोधी पता निवासी ग्राम शाहपुर भूमि स्वामी	666/1/ख/1	0.627	0.627
10	खुस्सीलाल पुत्र भागरीरथ जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	484/1	0.627	0.627
11	खेमचंद पुत्र प्रथी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	503/1	0.548	0.548
12	राम प्रसाद पुत्र प्रथी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	496/2	0.736	0.736
13	गंगाराम पुत्र गिरधारी जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	501/3/1	0.209	0.209
14	गंगाराम पुत्र मोहनलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम वनियाडेडी भूमि स्वामी	501/1/3	0.418	0.418
		501/1/4	1.160	1.160
		कुल 2 किता	1.578	1.578
15	गुलाब सिंह पुत्र हरिसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम दयारामपुरा भूमि स्वामी	686/1/ख	0.209	0.209
16	चन्दाबाई वेवा हजारी, लाखन सिंह, भारत सिंह, नवल सिंह पुत्रगण हजारी, गुडडी बाई पुत्री हजारी जाति बुजुआ पता निवासी ग्राम शाहपुर भूमि स्वामी	674/8	1.000	1.000

17	छोट्या पुत्र प्यारेलाल जाति मेहतर पता नि. बनियाटोड़ी भूमि स्वामी	666/1/ग	2.000	0.400
18	जगन पुत्र भागीरथ जाति बुजुआ पता नि. शाहपुर भूमि स्वामी	676/2	0.836	0.836
19	जगन्नाथ पुत्र भमरजी जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	501/3/2	0.453	0.453
		501/4	0.749	0.749
		कुल 2 किता	1.202	1.202
20	जनक सिंह पुत्र हरिसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम दयारामपुरा भूमि स्वामी	686/1/ग	0.209	0.209
21	जमनालाल हरिसिंह पुत्र कालुराम, शान्ति बाई पुत्री कालुराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	490/2	2.561	2.561
22	जमनालाल पुत्र किशनलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	504/3/ख/मिन-2	0.156	0.156
23	जमनालाल पुत्र भागीरथ जाति लोधा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	484/3	0.195	0.195
		485/2	0.080	0.080
		कुल 2 किता	0.275	0.275
24	जमनालाल पुत्र कालुराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	504/1	1.500	1.500
25	जसवंत सिंह पुत्र नारान सिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	689/1	0.627	0.627
		504/2/1/4	0.288	0.288
		कुल 2 किता	0.915	0.915
26	जितेन्द्र पुत्र सुरेश चन्द्र जाति पालीवाल पता निवासी ग्राम सुठालिया भूमि स्वामी	495/1/मिन-2	1.045	1.045
27	देवी सिंह, बालकिशन पुत्रगण फूलसिंह, बादाम बाई पुत्री फूलसिंह, धापूबाई वेवा फूलसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	484/4	0.195	0.195
		485/3	0.080	0.080
		कुल 2 किता	0.275	0.275
28	देवीलाल पुत्र फुन्दी पता निवासी ग्राम कांजीखेडा भूमि स्वामी	674/6	1.000	1.000
29	देवीसिंह पुत्र सुन्दरलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	678/3	0.418	0.418
		684/1	0.418	0.418
		कुल 2 किता	0.836	0.836
30	दौलतराम पुत्र भेलाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	500/मिन-2	0.418	0.418
31	दौलत सिंह पुत्र भोलाराम पता निवासी ग्राम कांजीखेडा भूमि स्वामी	491/2/1	0.050	0.050
		492/2	3.543	3.543
		501/1/1	0.627	0.627
		कुल 3 किता	4.220	4.220

32	द्रोपतीबाई पत्नि दोलतसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	501/3/3	0.087	0.087
		501/2	0.749	0.749
		कुल 2 किता	0.836	0.836
33	द्रोपतीबाई पत्नि दोलतसिंह पता निवासी ग्राम कांजीखेड़ा भूमि स्वामी	488	1.682	1.682
34	धनराज सिंह पुत्र सुन्दरलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	678/1/क/मिन-1	0.209	0.209
35	धनसिंह पुत्र करनसिंह जाति राव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	487	0.878	0.878
36	नन्दराम पुत्र मौजीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	504/2/ख/मिन-2	0.105	0.105
37	नरवदीबाई बेवा दयाराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम काजीखेड़ा भूमि स्वामी	491/2/2	0.050	0.050
38	नारान सिंह पुत्र किसना जाति चमार भूमि स्वामी	504/3/ख/मिन-3	0.079	0.079
39	नारान सिंह पुत्र मानसिंह पता निवासी ग्राम शाहपुर भूमि स्वामी	674/4	1.000	1.000
40	नारायण सिंह पुत्र शंकरलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम दयारामपुरा भूमि स्वामी	677	0.042	0.042
41	मु. हल्कीबाई बेवा हीरालाल, जयनारान, राधेश्याम पुत्र हीरालाल, निम्माबाई, कलाबाई, कमलाबाई, पुष्पाबाई भूमि स्वामी पुत्रियां हीरालाल जाति बाढई पता नि. शाहपुर भूमि स्वामी	674/7	1.000	1.000
42	पून्या पुत्र गंगाराम पता निवासी ग्राम कांजीखेड़ा भूमि स्वामी	668/1	1.045	1.045
43	रामभरोषा पुत्र मथरालाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	504/3/ख/मिन-1	0.079	0.079
44	प्रेमनाथ पुत्र चम्पानाथ जाति सपेरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	666/1/क/2	1.135	1.135
45	प्रेमनारायण पुत्र जमनालाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	676/1	1.035	1.035
		675/3	0.815	0.815
		कुल 2 किता	1.850	1.850
46	प्रेमनारायण पुत्र मोतीलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	669/1/मिन-3	0.273	0.273
47	प्रेमबाई पत्नि मांगीलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	677/मिन-2	1.254	1.254
		674/11	1.000	1.000
		कुल 2 किता	2.254	2.254
48	प्रेमबाई बेवा मथरालाल, भरोसा, जसरथ पुत्रगण मथरालाल, प्रेमबाई, मांगीबाई पुत्री मथरालाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	502/2	1.233	1.233
49	प्रेमसिंह पुत्र छोटेलाल पता निवासी ग्राम शाहपुर भूमि स्वामी	678/4	1.000	1.000

*150	बद्रीलाल पुत्र अमरलाल जाति मेर पता निवासी ग्राम शाहपुर भूमि स्वामी	682	0.240	0.240
51	भमरया उर्फ फूलसिंह पुत्र नारान जाति मेहतर पता नि. बनियाटोड़ी भूमि स्वामी	666/1/घ	2.000	0.600
52	भमरसिंह, जगदीश सिंह पुत्रगण प्रेमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	666/1/क/1	0.865	0.865
		666/1/ख/2	0.418	0.418
		कुल 2 किता	1.283	1.283
53	भरोसा जसवंत पुत्रगण मथरालाल, प्रेमबाई देवा मथरालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	502/1	1.233	1.233
54	मदनलाल पुत्र रूगनाथ पता निवासी ग्राम शाहपुर भूमि स्वामी	674/10	1.000	1.000
55	मदनलाल पुत्र नाथूलाल पता निवासी ग्राम दयारामपुरा भूमि स्वामी	685	1.076	0.753
		686/2	0.836	0.836
		कुल 2 किता	1.912	1.589
56	मांगीलाल पुत्र राधाकिशन जाति लोधी पता निवासी ग्राम रघुनाथपुरा भूमि स्वामी	494/2	0.627	0.627
57	मांगीलाल पुत्र छोटया जाति लोधी पता निवासी ग्राम रघुनाथपुरा भूमि स्वामी	500	1.672	1.672
58	मांगीलाल, धीरज सिंह, रामचरण पुत्रगण प्रभूलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम राजपुरा भूमि स्वामी	683/2	0.836	0.836
		681/1	0.016	0.016
		683/3	0.476	0.476
		कुल 3 किता	1.328	1.328
59	माखनसिंह पुत्र दयाराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	492/1/2	1.772	1.772
60	मांगीलाल पुत्र हरिराम पता निवासी ग्राम दयारामपुरा भूमि स्वामी	675/2/1	0.637	0.637
61	समरसिंह ना.वा. पुत्र मिथुन सिंह, शम्भूसिंह पुत्र रूपसिंह पता निवासी ग्राम कादीखेडा भूमि स्वामी	495/2	1.881	1.881
62	अमरसिंह पुत्र गोरधनलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	504/2/1/3	0.287	0.287
63	मोतीलाल पुत्र गोरधन जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	678/1/क/मिन्न-2	0.209	0.209
		504/2/1/1	0.287	0.287
		कुल 2 किता	0.496	0.496
64	मोरबाई पत्नि प्रेमनारायण जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	669/2	0.821	0.821
		669/1/मिन्न-2	0.273	0.273
		कुल 2 किता	1.094	1.094
65	मोहनबाई पत्नि नन्दकिशोर जाति सेन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	675/1	0.627	0.627

66	रघुवीर सिंह पुत्र हरिसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम दयारामपुरा भूमि स्वामी	686/1/घ	0.209	0.209
67	रमेश पुत्र जमनालाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम शाहपुर भूमि स्वामी	681/2/मिन-2	0.097	0.097
		683/1	1.311	1.311
		684/3	1.000	0.900
		कुल 3 किता	2.408	2.308
68	राधेश्याम पुत्र हरिराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	675/2/2	0.638	0.638
69	राम प्रसाद पुत्र भागीरथ जाति लोधी पता निवासी ग्राम रघुनाथपुरा भूमि स्वामी	484/2	0.195	0.195
		485/1	0.080	0.080
		कुल 2 किता	0.275	0.275
70	राम प्रसाद पुत्र प्रथी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	503/2	0.549	0.549
71	राम प्रसाद, जमनालाल, खुस्सीलाल पुत्रगण भागीरथ हि. 3/4 भाग, धापूबाई बेवा फूलसिंह, बालकिसन, देवीसिंह पुत्र फूलसिंह बादाम बाई पुत्री फूलसिंह हि. 1/4 भाग, जाति लोधी पता नि. रघुनाथपुरा समान भाग भूमि स्वामी	493	2.048	2.048
72	राममरोसा उर्फ रामलाल पुत्र चम्पानाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	666/1/ख/3	0.955	0.955
73	लाखनसिंह पुत्र दयाराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	492/1/1	1.771	1.771
		501/1/2	0.627	0.627
		कुल 2 किता	2.398	2.398
74	बहादूर सिंह पुत्र जगन्नाथ पता निवासी ग्राम रूगनाथपुरा भूमि स्वामी	498	0.637	0.637
75	शंकरलाल, नानजी पुत्रगण अमरसिंह जाति मेर पता निवासी ग्राम शाहपुर भूमि स्वामी	681/2/मिन-1	0.233	0.233
76	शंभू सिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम कादीखेड़ा भूमि स्वामी	495/1/मिन-1	0.575	0.575
77	शिवचरण पुत्र किशनलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम रघुनाथपुरा भूमि स्वामी	494/1	0.993	0.993
78	सुन्दरलाल पुत्र गोर्धन पता निवासी ग्राम रूगनाथपुरा भूमि स्वामी	678/1/ख	1.045	1.045
79	हरबक्श पुत्र नाथूलाल पता निवासी ग्राम दयारामपुरा भूमि स्वामी	674/2	1.000	1.000
80	हरीप्रसाद पुत्र छीतर पता निवासी ग्राम दयारामपुरा भूमि स्वामी	674/9	1.000	1.000
81	हीरालाल पुत्र गोर्धन जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	687/2	0.763	0.763

82	खेमचंद पुत्र प्रथी जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	496/1/1	0.368	0.368
83	लक्ष्मीकवर पत्नी इंद्रभान जाति राजपूत पता गुना भूमि स्वामी	496/1/2	0.369	0.369
84	उछवबाई पत्नि चन्दनसिंह पता नि. ग्राम कादीखेड़ा भूमि स्वामी	666/19	1.000	0.700
		666/20	1.000	0.900
		कुल 2 किता	2.000	1.600
85	उधम सिंह पुत्र करन सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम काजीखेड़ा भूमि स्वामी	668/2	1.024	1.024
86	शैतानर्वा पत्नि सूरतसिंह पता नि. कादीखेड़ा भूमि स्वामी	670/1	1.663	1.663
87	मांगीलाल पुत्र हरिराम पता नि. ग्राम दयारामपुरा भूमि स्वामी	670/2/1	1.593	1.593
88	राधेश्याम पुत्र हरिराम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	670/2/2	1.594	1.594
89	कैलाश नारायण पुत्र हरबगस पता नि. शाहपुर भूमि स्वामी	672/1/1	0.878	0.878
90	बेनीप्रसाद पुत्र हरबगस जाति साहू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	672/1/2	0.878	0.878
91	छगनलाल पुत्र हरबगस जाति साहू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	672/1/3	0.878	0.878
92	पवनकुमार पुत्र हरबगस पता नि. ग्राम शाहपुर भूमि स्वामी	672/1/4	0.878	0.878
93	राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण पता नि. शाहपुर भूमि स्वामी	672/2/1	1.777	1.777
94	ललताबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	672/2/2	0.104	0.104
95	श्रीमति ललतादेवी पत्नी लखीचन्द जाति साहू पता नि. ग्राम ब्यावरा जिला-राजगढ़ भूमि स्वामी	672/3	1.045	1.045
96	जमनालाल पुत्र छीतर पता नि. काजीखेड़ा भूमि स्वामी	674/1	0.836	0.836
97	गोपाल सिंह पुत्र शंकरलाल भूमि स्वामी	679/1/1	0.329	0.329
98	फतेसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	679/1/2	0.329	0.329
99	बन्टी पुत्र हरिप्रसाद जाति धोबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	679/1/3	0.329	0.329
100	सुन्दरलाल पुत्र गोखनलाल जाति लोधी पता नि. रघुनाथपुरा भूमि स्वामी	679/2/क	0.381	0.381
101	शिबू पुत्र जगन्नाथ जाति लोधी पता नि. ग्राम दयारामपुरा भूमि स्वामी	679/2/ख/1	0.380	0.380

102	करनसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	679/2/ख/2	0.381	0.381
103	भारतसिंह पुत्र रामचरन पता नि. दयारामपुरा भूमि स्वामी	679/3	1.142	1.142
104	मदनलाल पुत्र नाथूलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम दयारामपुरा भूमि स्वामी	684/2/1	0.200	0.200
105	पर्वतसिंह पुत्र नाथूलाल जाति लोधी पता नि. दयारामपुरा भूमि स्वामी	684/2/2	0.209	0.209
106	कमरलाल पुत्र नाथूलाल पता नि. दयारामपुरा भूमि स्वामी	684/2/3	0.091	0.091
107	सुन्दरलाल पुत्र गोरधन पता नि. ग्राम रूगनाथपुरा भूमि स्वामी	687/1	0.763	0.763
108	जानकीलाल, महेश, जयपालसिंह पुत्रगण रामप्रसाद, रामकन्या पुत्री रामप्रसाद, सरदारबाई बेवा रामप्रसाद जाति बृजुआ पता नि. शाहपुर भूमि स्वामी	689/2/क	0.278	0.278
109	नारानसिंह पुत्र गोरधन जाति लोधी पता नि. ग्राम रघुनाथपुरा भूमि स्वामी	689/2/ख/1	1.015	1.015
110	कुंतीबाई बेवा रामबाबू हि. 1/2 भाग, पुष्कर ना.बा. पुत्र रामबाबू संरक्षक कुंतीबाई जाति लोधी हि. 1/2 भाग, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	689/2/ख/2	1.015	1.015
		689/2/ख/3	1.015	1.015
		689/2/ख/4	1.015	1.015
		कुल 3 किता	3.045	3.045
111	लीलाबाई पुत्री हरबगस पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	690/1	0.227	0.227
112	नन्दकिशोर पुत्र राधेश्याम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	690/2/1	0.162	0.162
		691/3/1	0.667	0.667
		कुल 2 किता	0.829	0.829
113	राकेश पुत्र राधेश्याम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	690/2/2	0.162	0.162
		691/3/2	0.667	0.667
		कुल 2 किता	0.829	0.829
114	हीरालाल पुत्र राधेश्याम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	690/2/3	0.160	0.160
		691/3/3	0.667	0.667
		कुल 2 किता	0.827	0.827
115	राजू पुत्र देवीसिंह जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	691/3/मिन-2	0.836	0.836
116	पप्पू उर्फ प्रेमनारायण संतोष, हिम्मतसिंह पुत्रगण देवीलाल हि. 0.458 गुलाबसिंह पुत्र देवीलाल हि. 0.781 जाति साहू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	691/2/मिन-1	1.239	0.372

117	मोतीसिंह पुत्र गोस्वधन जाति लोधी पता गुना भूमि स्वामी	691/2/मिन-2	0.782	0.235
118	गोपालकंवर पुत्री विजयसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	691/2/मिन-3	1.885	0.566
119	भैरोसिंह पुत्र सुन्दरलाल जाति लोधी पता नि. दयारामपुरा भूमि स्वामी	701/1/ख	0.500	0.500
		701/2	0.271	0.271
		कुल 2 किता	0.771	0.771
120	लाखन पुत्र सुन्दरलाल जाति लोधी पता निवासी गुना भूमि स्वामी	490/1/1	0.283	0.283
121	गोकुलप्रसाद पुत्र सुन्दरलाल जाति लोधी पता निवासी गुना भूमि स्वामी	490/1/2	0.283	0.283
122	सोनू पुत्र सुन्दरलाल जाति लोधी पता निवासी गुना भूमि स्वामी	490/1/3	0.284	0.284
123	मांगीलाल पुत्र नारान जाति लोधी पता निवासी गुना भूमि स्वामी	490/1/4	0.425	0.425
124	राकेश पुत्र नारान जाति लोधी पता निवासी गुना भूमि स्वामी	490/1/5	0.425	0.425
125	जशरत पुत्र धीरजसिंह जाति लोधी पता निवासी गुना भूमि स्वामी	490/1/6	0.425	0.425
126	गणपत पुत्र धीरजसिंह लोधी पता निवासी गुना भूमि स्वामी	490/1/7	0.425	0.425
127	चन्द्रसिंह पुत्र देवसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	666/23	0.836	0.836
128	सुन्दरलाल पुत्र गोस्वधनलाल निवासी ग्राम भूमि स्वामी	702/1	1.045	1.045
	महायोग :-	कुल 158 किता	113.676	107.119

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राघोगढ़, जिला - गुना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 15 / भू-अर्जन / 2020 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 04/अ 82/2020-21 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-मक्सूदनगढ़, जिला-गुना के ग्राम-राजपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील : मक्सूदनगढ़

जिला : गुना

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम-राजपुरा

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-राजपुरा की भूमि की आवश्यकता।	34.225	27.401
कुल योग :		34.225	27.401

—: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	रामप्रसाद पुत्र गनपत जाति सहर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	41/1/घ	0.500	0.450
		कुल 1 किता	0.500	0.450
2	बजेसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	61/1	0.841	0.294
		कुल 1 किता	0.841	0.294

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
3	मु. गुलाबबाई बेवा चैनसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी कमल, शंकर, सूरजसिंह सन्तीबाई पिता चैनसिंह पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	61/2/क	1.045	0.888
		66	0.293	0.293
		91	0.366	0.146
		कुल 3 किता	1.704	1.328
4	भमरलाल रंगलाल पुत्रगण पन्नालाल कैलाशबाई भूरियाबाई भगवतीबाई मानोरबाई पुत्रियां पन्नालाल कपूरीबाई बेवा पन्नालाल जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	61/2/ख	0.993	0.844
		कुल 1 किता	0.993	0.844
5	मथरालाल पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	60/1	0.480	0.144
		68/2	1.317	1.317
		80	0.209	0.209
		83/4	1.150	0.173
		84	0.303	0.303
		90/2	0.170	0.136
		90/6	0.032	0.026
		कुल 7 किता	3.661	2.307
6	जगन्नाथ पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	60/2	0.481	0.192
		75/2/क/2	0.343	0.343
		70/2	1.129	1.129
		68/1	0.221	0.221
		82	0.167	0.167
		83/1	1.045	0.941
		90/3	0.170	0.136
		90/4	0.140	0.112
		98	0.721	0.577
कुल 9 किता	4.417	3.818		
7	गुलाबबाई धापूबाई पुत्रिया कासीराम जाति मेर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	58/2	0.209	0.188
		कुल 1 किता	0.209	0.188
8	रमेश चन्दनसिंह पुत्रगण प्रेमसिंह जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	57	0.303	0.045
		कुल 1 किता	0.303	0.045
9	उमरावबाई बेवा आशाराम शान्तीलाल रामप्रसाद पुत्र आशाराम जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी नारानीबाई समंतीबाई धापूबाई पुत्रियां आशाराम जाति लोधी पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	78	0.230	0.230
		65	0.460	0.460
		कुल 2 किता	0.690	0.690

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
10	भमरलाल, मांगीलाल पुत्र गंगाराम जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	77	0.972	0.972
		88/1	3.762	3.574
		कुल 2 किता	4.734	4.546
11	भमरलाल पुत्र गंगाराम जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	76	0.209	0.209
		कुल 1 किता	0.209	0.209
12	रामचरण पुत्र गंगाराम जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	75/1	0.627	0.627
		कुल 1 किता	0.627	0.627
13	देवसिंह पुत्र मांगीलाल अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	75/2/क/1	0.157	0.157
		70/1	0.470	0.470
		कुल 2 किता	0.627	0.627
14	श्रीकृष्ण पुत्र छीतर जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	74/1	0.042	0.042
		कुल 1 किता	0.042	0.042
15	मु. वादामबाई बेवा ऊंकारलाल जाति लोधी नि. ग्राम भूमि स्वामी जयसिंह पुत्र ऊंकारलाल जाति लोधी नि. ग्राम भूमि स्वामी कोशल्या, सरजू पुत्रीया ऊंकारलाल जाति लोधी नि. ग्राम सामान भाग भूमि स्वामी	74/2	0.042	0.042
		कुल 1 किता	0.042	0.042
16	मांगीलाल पुत्र छीतर जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	74/3	0.042	0.042
		कुल 1 किता	0.042	0.042
17	हेमराज पुत्र भमरलाल बसन्तीबाई पुत्रीया भमरलाल गुलाबबाई बेवा भमरलाल जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	74/4	0.042	0.042
		कुल 1 किता	0.042	0.042
18	रामबाई पुत्र छीतर जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	74/5	0.031	0.031
		कुल 1 किता	0.031	0.031
19	जमनालाल पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	73/1/1	0.090	0.090
		63/2/1	0.180	0.180
		कुल 2 किता	0.270	0.270

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
20	रामप्रसाद पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	73/1/2	0.090	0.090
		63/2/2	0.179	0.179
		कुल 2 किता	0.269	0.269
21	शंकरसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	73/1/3	0.091	0.091
		63/2/3	0.179	0.179
		कुल 2 किता	0.270	0.270
22	छोटेलाल पुत्र मनीराम जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	73/2/1	0.136	0.136
		कुल 1 किता	0.136	0.136
23	भूलीबाई बेवा नेनकराम लाखनसिंह पुत्र नेनकराम जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	73/2/2	0.136	0.136
		कुल 1 किता	0.136	0.136
24	हीरालाल पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	72	0.314	0.314
		68/3	2.966	2.966
		83/2	1.254	0.314
		90/1	0.170	0.136
		90/5	0.060	0.048
		कुल 5 किता	4.764	3.778
25	नारानसिंह पुत्र प्रथीसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	71/1	0.135	0.135
		88/2/1	0.162	0.049
		कुल 2 किता	0.297	0.184
26	हजारीलाल पुत्र प्रथीसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	71/2	0.136	0.136
		88/2/2	0.162	0.049
		कुल 2 किता	0.298	0.185
27	करनसिंह पुत्र प्रथीसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	71/3	0.136	0.136
		88/2/3	0.162	0.049
		कुल 2 किता	0.298	0.185
28	बद्रीलाल पुत्र प्रथीसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	71/4	0.136	0.136
		88/2/4	0.162	0.049
		कुल 2 किता	0.298	0.185
29	केशरबाई बेवा काशीराम जाति मेर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	58/1	0.334	0.117
		कुल 1 किता	0.334	0.117

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
30	मीराबाई बेवा सुन्दरलाल मनोहरसिंह, शिवराजसिंह, पुत्रगण सुन्दरलाल, रानीबाई नाबा पिता सुन्दरलाल नाबा सरमां जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	63/1	0.836	0.836
		कुल 1 किता	0.836	0.836
31	अमरसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	63/2/4	0.180	0.180
		कुल 1 किता	0.180	0.180
32	अजबसिंह पुत्र रामबाबू जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	63/2/5	0.179	0.179
		कुल 1 किता	0.179	0.179
33	रामसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	63/2/6	0.179	0.179
		कुल 1 किता	0.179	0.179
34	जमनालाल, कन्हैयालाल चम्पालाल भगवानसिंह पुत्रगण हीरालाल मोनबाई पुत्री हीरालाल जाति लोदी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	32	0.052	0.052
		कुल 1 किता	0.052	0.052
35	हीरालाल मथरालाल जगन्नाथ पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	79	0.073	0.073
		90/7	0.010	0.008
		कुल 2 किता	0.083	0.081
36	अनारबाई बेवा देवीसिंह भारतसिंह बनेसिंह विशनसिंह दरयावसिंह पुत्रगण देवीसिंह कमलाबाई सुमनबाई लीलाबाई पुत्रीया देवीसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	81	0.209	0.209
		85	0.669	0.669
		86	0.010	0.010
		कुल 3 किता	0.888	0.888
37	गोपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	97/2	2.090	1.672
		कुल 1 किता	2.090	1.672
38	नानजी पुत्र कालूराम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	97/3	1.045	0.523
		कुल 1 किता	1.045	0.523
39	फूलसिंह पुत्र मनीराम जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	99/1	0.360	0.234
		कुल 1 किता	0.360	0.234
40	सूरजबाई बेवा बापूलाल रामचरण नैनजीराम धीरपसिंह लख्मीचन्द पुत्रगण बापूलाल जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	99/2	0.361	0.235
		कुल 1 किता	0.361	0.235

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
41	गोपी, गंगाराम, पून्या, गनेशराम, नानजी पिता कालूराम जाति सहर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी रामप्रसाद जमनालाल रहीस पुत्रगण गोपीलाल धापूबाई रूपाबाई कान्तिबाई पुत्रिया गोपीलाल भमरीबाई बेवा गोपीलाल भूमि स्वामी घोसीबाई पु. कालूराम जाति सहर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी जडयाबाई बेवा कालूराम जाति सहर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	24	0.752	0.376
		कुल 1 किता	0.752	0.376
42	मोहनप्रसाद पुत्र उधमसिंह जाति ब्राहमण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	25	0.136	0.082
		कुल 1 किता	0.136	0.082
	महायोग :-	कुल 75 किता	34.225	27.401

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राघोगढ़, जिला - गुना के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

प्र.क्र.-66-अ-82-भू-अर्जन-शेखपुर-उ.म.रे-2017-18-मुरैना-1030

मुरैना, दिनांक 21 जनवरी 2021

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम-शेखपुर, तहसील-कैलारस, उपखण्ड-सदलगाढ़, जिला-मुरैना में कुल सर्वे क्रमांक 11 कुल रकबा 0.714 हेक्टेयर एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है। अतः जिला-मुरैना, तहसील-कैलारस के ग्राम-शेखपुर, प0ह0नं0-50, रा0नि0वृत्त0-02 में उक्त परियोजना के लिये 0.714 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

कस.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	277/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.078	नरेन्द्र कुमार राजकिशोर विवेक पुत्रगण अमरसिंह जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
2	277/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.077	रामजीलाल पुत्र कुन्दन हि0 26/51 टीकाराम पुत्र कुन्दन हि0 20/51 जाति जाठव रघुवीर पुत्र राजराम हि0 5/51 जाति त्यागी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
3	278/5	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.005	जसबन्त पुत्र सामलिया जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी।
4	278/6	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.098	अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी।
5	291/5	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.056	भागीराम पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी।
6	293/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.129	भागीराम पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी।
7	294	शासकीय पट्टेदार	कृषिभूमि	0.052	रूपा पुत्र पतिराम जाति त्यागी शासकीय पट्टेदार।
8	295/1/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.074	अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी।
9	295/1/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.057	भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी।
10	296/6/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.019	भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी।
11	296/6/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.069	अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी।
कुल 11 सर्वे नं. में				0.714	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-क्यू-भू-अर्जन-2020-21

विदिशा, दिनांक 22 जनवरी 2021

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा-11 की उपधारा-1 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होगी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग- विदिशा के कार्यालय में कर सकेगा।

अनुसूची (01)

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
विदिशा	विदिशा	बामनखेड़ा	निजी भूमि 0.060 हेक्टेयर	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, विदिशा सम्भाग, विदिशा	पैरवारा मार्ग से बामनखेड़ा पहुँच मार्ग निर्माण में आ रही ग्राम बामनखेड़ा की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विदिशा/भू अर्जन अधिकारी अनुविभाग, विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची-02

पैरवारा मार्ग से बामनखेड़ा पहुँच मार्ग निर्माण हेतु मार्ग में आ रही ग्राम बामनखेड़ा की अशासकीय भूमि के अधिग्रहण हेतु

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हे० में			प्रस्तावित क्षेत्र जो सम्पादित किया जाना है		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	केदार बाबू पुत्र लालाराम	143/1	0.251		0.251	0.006		0.006
2	गौरीशंकर पुत्र कोमल प्रसाद	143/2	0.021		0.021	0.002		0.002
3	शिवनारायण पुत्र चिरोजी लाल	112/2	1.097		1.097	0.022		0.022
4	प्रवेश नारायण पुत्र जवाहर लाल	115/2	1.944		1.944	0.011		0.011
5	सत्यनारायण पुत्र जवाहर लाल	112/1/2	0.424		0.424	0.005		0.005
6	श्रीनारायण पुत्र जवाहर लाल	112/1/1	0.674		0.674	0.008		0.008
		83	0.230		0.230	0.003		0.003
7	संतोष बाबू, सुभाष बाबू पुत्र कागता प्रसाद	113	0.334		0.334	0.003		0.003
	महायोग		4.975	0.000	4.975	0.060	0.000	0.060

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

प्र.क्र.—03—अ—82—2020—21—1133

श्योपुर, दिनांक 28 जनवरी 2021

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है। कि, लोक प्रयोजनार्थ (चम्बल सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु) ग्राम तुलसेफ प.ह.न. 54 राजस्व निरीक्षक व वृत्त 02 तहसील श्योपुर उपखण्ड श्योपुर जिला श्योपुर मे कुल रकबा 3.068 हेक्टेयर भूमि आपेक्षित है, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम तुलसेफ प.ह.नं 54 राजस्व निरीक्षक व वृत्त 02 तहसील श्योपुर उपखण्ड श्योपुर जिला श्योपुर मे उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

19 भूमि का वर्णन

- क. जिला — श्योपुर
ख. तहसील — श्योपुर
ग. ग्राम — तुलसेफ
घ. लगभग क्षेत्रफल — 3.068 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं—

स.क	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर मे	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	173/877/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.075	महावीर पुत्र बजरंगलाल जाति बैरागी निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व 16.47
2.	115/865/7	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.036	पन्नालाल, शम्भूदयाल, शंकरलाल, रघुवीर प्रसाद पुत्रगण श्रीया जाति नाई निवासी ग्राम, बद्रीबाई, भगोती, छोरी, चामना पुत्रिया श्रीया जाति नाई स.भा. भूमिस्वामी भू. रा. 7.50
3.	117/2/878/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.181	कमलकिशोर पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व 14.88
4.	486 मिन 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.202	दाखाबाई बेवा सुग्रीव, पवन पुत्र सुग्रीव, कविता पुत्री सुग्रीव मीणा समान भाग निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व 15.58
5.	485	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.069	पुरुषोत्तम पुत्र हजारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. 41.75
6.	465/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.012	कैलाश पुत्र फल्लू जाति बैरवा नि.ग्रा. दुकाल्याखेड़ा भूमिस्वामी भू राजस्व 1.70

7.	463/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.112	सियाराम पुत्र हजारी जाति मीणा निवासी ग्राम तुलसेफ भूमि स्वामी भू राजस्व 16.00
8.	463/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.112	प्रभू पुत्र हजारी जाति मीणा निवासी ग्राम तुलसेफ भूमि स्वामी भू राजस्व 16.00
9.	169/873/1/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.054	जयराम पुत्र रामनिवास जाति मीणा निवासी ग्राम भूमि स्वामी
10.	169/873/ख	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.054	काशीराम पुत्र रामनिवास जाति मीणा नि.ग्रा. भूमि स्वामी भू राजस्व 755/2 के अनुसार
11.	169/873/ग	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.054	मु. तुलसा बेवा रामनिवास, रामलक्ष्मी, रामकन्या, प्रकाशी पुत्रीया रामनिवास जाति मीणा निवासी भूमि स्वामी भू.रा-755/2
12.	141/854	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.033	रामप्रसाद, गोपाल पुत्रगण नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम हिरनीखेड़ा समान भाग भूमि स्वामी भू.राजस्व 4.62
13.	148/861	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.041	रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ पुत्र भीमराज निवासी ग्राम हिरनीखेड़ा भूमि स्वामी भू राजस्व 3.38
14.	147/860	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.153	रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ पुत्र भीमराज निवासी ग्राम हिरनीखेड़ा भूमि स्वामी भू राजस्व 12.57
15.	146/859	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.089	गोपीलाल, प्रकाश पुत्रगण छीतया जाति बेरवा निवासी ग्राम भूमि स्वामी भ.रा. 30.50
16.	150/863	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.096	डंडोबाई बेवा हरजी देवीराम, जगदीश, पुत्रगण हरजी, प्रेमबाई कमली पुत्रीया हरजी जाति मीणा निवासी ग्राम हिरनीखेड़ा भूमि स्वामी भू.रा. 22.60
17.	375/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.064	रामसिया पुत्री रामपसंद जाति मीणा निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. 1.30
18.	376/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.077	सत्यनारायण पुत्र गणेशया जाति खाती नि.ग्रा. भूमि स्वामी भू.रा. 8.00
19.	378	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031	सूरजया पुत्र मोती जाति मीणा नि.ग्रा. भूमि स्वामी भू.रा. शा. 196
20.	377मि.1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.038	रामभरत पुत्र शम्भूदयाल जाति मीणा निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. 7.00
21.	426	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094	शंभू पुत्र नारायण, गीताबाई पुत्री नारायण, जग्गीबाई बेवा नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम स.भ. भूमि स्वामी भू.रा. शा. 284
22.	429/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.027	महावीर पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तुलसेफ भूमि स्वामी भू राजस्व 8.70
23.	428	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.032	मांगीलाल पुत्र शंभूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भूमि स्वामी भ.रा.शा. 237
24.	425	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.100	रामपति बेवा महावीर, गिराज, गोलू पुत्रगण महावीर राधे श्यामकिला पुत्रीया महावीर जाति मीणा नि.ग्रा. भूमि स्वामी भू.रा. शा. 17/2
25.	418	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.114	रूपसिंह, दीनदयाल पुत्रगण चतरू जाति मीणा निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. शा. 12, 13
26.	598	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.142	रामस्वरूप पुत्र कल्याण बजरंगी पुत्री कल्याण, जाति मीणा निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. शा. 154

27.	602 मिन 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.064	धनपाल पुत्र माधौ जाति मीणा निवासी ग्राम स. भ. भूमिस्वामी भू.रा. शा. 261
28.	597/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.011	प्रेमशंकर पुत्र मंशाराम जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. 534
29.	603/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.068	माणकचंद पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा 8.52
30.	604 क	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042	माणकचंद पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा 1.00
31.	603/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.068	बनवारी पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा 8.52
32.	612	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.216	मोहनलाल पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा शा. 467
33.	613	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.008	सियाराम पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तुलसेफ भूमिस्वामी भू.रा शा. 259/1
34.	611	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.020	रवीशंकर पुत्र मंशा जाति मीणा नि.ग्रा. भूमिस्वामी हिस्सा 1.233, हनुमान पुत्र मोहनलाल जाति मीणा हिस्सा 0.366 भूमिस्वामी भू.रा शा. 261
35.	694	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.044	दुलीचंद रामबलवान पुत्रगण काडू जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा. 5.00
36.	695	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105	दुलीचंद रामबलवान पुत्रगण काडू जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा. 618
37.	645	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.055	कैलाश, रामविलास, मलखान पुत्रगण गेंदया कमली, रामसिया पुत्री गेंदया जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा.शा. 133
38.	646	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.089	रामस्वरूप पुत्र परसराम जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. 1.46
39.	644	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.116	राजेन्द्र पुत्र शंभू जाति मीणा नि.ग्रा. भूमिस्वामी भू.रा. शा. 80 मिन 2
40.	107/879	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.033	सीताराम पुत्र मथुरा कल्याणी पुत्री मथुरा जाति बैरवा नि.ग्रा. भूमिस्वामी भू.राजस्व 2.50
41.	108/880	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.036	कल्याण पुत्र बद्री जाति मीणा निवासी हिरनीखेड़ा रामलीला बेवा रामसिंह जाति मीणा स.भा. भूमिस्वामी भू.रा. 18.35
42.	140/803	शा.पट्टे से भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.00	मड्डूलाल, रामस्वरूप पुत्रगण शंकरया शान्ती पुत्री शंकरया जाति बैरवा नि.ग्रा. शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी भू.रा. 2.25
कुल कित्ता				3.068	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है। अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
 4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
- विशेष:- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिए भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिए भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र.क्र.-04-अ-82-2020-21-1131

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है। कि, लोक प्रयोजनार्थ (चम्बल सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु) ग्राम रामगांवड़ी प.ह.न. 55 राजस्व निरीक्षक व वृत्त 02 तहसील श्योपुर उपखण्ड श्योपुर जिला श्योपुर में कुल रकबा 0.340 हेक्टेयर भूमि आपेक्षित है, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम रामगांवड़ी प.ह.नं 55 राजस्व निरीक्षक व वृत्त 02 तहसील श्योपुर उपखण्ड श्योपुर जिला श्योपुर में उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

19 भूमि का वर्णन

- क. जिला - श्योपुर
 ख. तहसील - श्योपुर
 ग. ग्राम - रामगांवड़ी
 घ. लगभग क्षेत्रफल - 0.340 हेक्टेयर
 भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं-

स.क	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	336	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.076	गोवरिया पुत्र घोरया पांचो पुत्री घोरया जाति बेरवा निवासी ग्राम समान भाग भूदान भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित 14.50

2	338	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.095	हरीमोहन पुत्र मायाराम जाति मीना निवासी ग्राम लोड भूमि स्वामी भू-राजस्व 19.40
3	339	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.169	नागाराम पुत्र चतरूलाल जाति मीना निवासी ग्राम लूड भूमिस्वामी भू-राजस्व 38.07
कुल किता- 3				0.340 हेक्टेयर	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है। अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न दभूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
विशेष:- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिए भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिए भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला-धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-5669-भू-अर्जन-2020.

धार, दिनांक 06 जुलाई 2020

प्रारंभिक अधिसूचना

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013))

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में थाना तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम घुड़दलिया तहसील कुक्षी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (01)

ग्राम - घुड़दलिया		तहसील - कुक्षी		
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	थाना तालाब योजना में प्रभावित होने से	0.655	0.000	0.655
	योग	0.655	0.000	0.655

अनुसूची (02)

थाना तालाब योजना में अन्तर्गत प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - घुड़दलिया

तहसील - कुक्षी

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का रकबा				अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर)		
		खसरा क्रमांक	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सूरपसिंह पिता नानका जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	68/1	0.655	0.000	0.655	0.655	0.000	0.655
	योग:-		0.655	0.000	0.655	0.655	0.000	0.655

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

पत्र क्र.-02-भू-अर्जन-2021.

सतना, दिनांक 2 जनवरी 2021

उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाईन (541 कि.मी.) निर्माण हेतु निम्नलिखित ग्रामों के भूअर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे:-

ग्राम का नाम	तहसील का नाम	अर्जित रकबा
1	2	3
बगहा	रघुराजनगर	1.858 हे०
करही कोठार	रघुराजनगर	0.026 हे०
करही पवाई	रघुराजनगर	0.153 हे०
करही हरमल्ला	रघुराजनगर	1.407 हे०
खैरा	रघुराजनगर	0.622 हे०
गिदुरी	रघुराजनगर	0.370 हे०

उपरोक्त ग्रामों के भूअर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 का प्रकाशन 09/08/19 को किया गया था, इस प्रकार 09/08/2020 को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। इस अवधि के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूअर्जन अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 द्वारा अवधि विस्तारित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 माह की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है। 04 माह की अवधि पूर्व में बढ़ाई जा चुकी है, किन्तु उक्त अवधि में भी युक्ति-युक्ति सर्वेक्षण न हो पाने से अधिनिर्णय पारित नहीं होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी रघुराजनगर द्वारा पुनः 02 माह की अवधि विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त ग्रामों के अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु दिनांक 09/12/2020 से आगे 02 माह की अवधि विस्तारित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं अपर सचिव मध्यप्रदेश
राजस्व विभाग**

क्र.-03A-82-18-19-158.

सागर, दिनांक 5 जनवरी 2021

मोजा सलैया खुर्द पटवारी हल्का नं. 08 तहसील ~~खुर्द~~

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि को, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :-	बण्डा परियोजना बण्डा बांध
(2) भूमि का विवरण :-	
1. जिला	सागर
2. तहसील	बंडा
3. ग्राम	सलैया खुर्द
4. पटवारी हल्का नं.	08
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	150.980 हेक्टेयर

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हे. में.	अर्जित भूमि (रकबा हे.में.)	भूमि का प्रकार
1	कल्पना पति सुनील कुमार साहू पता सा कटरा सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2	1.610	1.610	
2	अर्जुन सिंह पिता शालगराम यादव सा मोठी राजुल पिता राजेन्द्र प्रसाद राजोरियासा गोपालगंज सागर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4	1.610	1.610	
			5/2	1.210	1.210	
3	अमोल पि. खुमान काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/1	0.400	0.400	
4	लोटन पि. सरू पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	1.610	1.610	
5	रमेश पिता मंगल मुन्नीबाई बसंतीबाई पुत्री मंगल पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7	1.610	1.610	
6	जगदीश पि.हरिनारायण पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8	1.640	1.640	

7	नबू पिता परसादी ललताबाई पुत्री परसादी पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	10/1	1.210	1.210	
8	बहादुर सिंह पिता रूपसिंह राजपूत पता नि. हटा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	10/2	0.400	0.400	
9	सत्यनारायण पि. कन्छेदी भागबाई प्रागबाई पुत्री कन्छेदी जसरथ छोटेलाल शिवराज पिता रूपसींग उर्फ रामसींग उर्मिला पुत्री रूपसींग उर्फ रामसींग रामप्यारी बेबा रूपसींग उर्फ रामसींग पता सा. उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/1	1.730	1.730	
10	दुरगसींग देशराज उदयभान पिस. दशरथ पता सा. उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/2	1.720	1.720	
11	अशोककुमार पि. रामशरण पता नि. उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	1.400	1.400	
12	भवसिंग पि. पप्पू गुड्डी ना.वा.पि. पप्पू पालक भाई भवरसिंग पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15	1.210	1.210	
13	काशीबाई वेवा धनुवा पता नि. उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	16	0.110	0.110	
			20	0.080	0.080	
			82	0.110	0.110	
			232	0.910	0.910	
14	जाहर पि. धंसा पता नि. बहरोल व भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17	1.400	1.400	
15	देवेन्द्र पुष्पेन्द्रसिंह पिस. देवभानसिंह चन्द्रकांता ववा देवभानसिंग पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18	0.180	0.180	
			21	0.630	0.630	
			244	1.210	1.210	
16	रेखारानी जोजे कल्याण शोभा रानी जोजे शेवराम पता नि. शंकरगढ़ सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23	1.610	1.610	
17	तेजराम पिता गनपत उर्फ गम्पे पटेल पता नि. सलैयाखुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	24/1/1	0.150	0.150	
			28/2	0.130	0.130	
			43/4	0.080	0.080	
			43/7	0.400	0.400	
			43/8	0.460	0.460	
			74/2	0.590	0.590	
18	काशीराम पिता गनपत उर्फ गम्पे पटेल पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	24/2	0.140	0.140	
			28/4	0.130	0.130	
			43/2	0.710	0.710	
			43/10	0.220	0.220	
			74/1	0.600	0.600	
19	बिहारी रामप्रसाद पिस. श्यामलाल शांतीबाई वेवा श्यामलाल शारदाबाई गुलाबबाई पुत्री श्यामलाल पटेल पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28/1	0.130	0.130	
			43/1	1.200	1.200	
			43/5	0.100	0.100	
			43/9	0.220	0.220	

20	नोनीबाई देवा जयराम अशोक महेश महेन्द्र पिस. जयराम मालती पु. जयराम पटैल पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28/3	0.130	0.130	
			43/3	0.630	0.630	
			43/6	0.080	0.080	
			43/11	0.220	0.220	
			74/3	0.590	0.590	
21	पुनू पंचू पिस. गन्दुवा लक्की बारीबाई पुत्री गन्दुवा नि. बहरोल ईश्वरबाई प्रेमबाई पुत्री गनपत पता नि. चन्द्रपुरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	29	0.700	0.700	
			31	0.430	0.430	
			48	0.510	0.510	
22	पुनू पंचू पिस. गन्दुवा लक्की बारीबाई पुत्री गन्दुवा पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	30	0.920	0.920	
23	दयाराम प्यारेलाल धुन्हे हल्काई पिस. परमसुख पटैल पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	32	0.900	0.900	
24	देवीसींग पिता कीरतसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/1	0.030	0.030	
			44/1	1.120	1.120	
			68/1	0.590	0.590	
			89/1	0.170	0.170	
			144/1	0.220	0.220	
			218/1	0.640	0.640	
			222/1/1	0.400	0.400	
25	रामकुमार भाईसहाब मेघराज पिता बलराम सावित्री बे. बलराम राजेश्रवरी पिता बलराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/2	0.030	0.030	
			89/2	0.170	0.170	
26	कुशुमबाई पति राजाराम पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	34	0.060	0.060	
27	कोशिल्याबाई पिता हल्के पता सलैया खुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी भीकमसींग देशराज राजासींग पिता गुलाबसींग गंगाबाई देवा गुलाबसींग पता सलैया खुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी गजराजसींग पिता मलखानसींग पता सलैया खुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी सुदामाबाई पुत्री हल्के पता सलैया खुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी कडोरी पुत्र हल्के पता सलैया खुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	35	0.620	0.620	
			36	0.520	0.520	
28	शोमासींग पिता हल्के पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	37/1	0.550	0.550	
			195/1	0.520	0.520	
29	हीरासींग पिता हल्के पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	37/2	0.430	0.430	
			195/2	0.640	0.640	
30	रतनबाई देवा खेतसींग भूपेन्द्र प्रवेन्द्र ना.वा.पि. खेतसींग बबीता वा. आरती पुष्पा ना.वा.पुत्री खेतसींग पा माँ रतनबाई देवा खेतसींग प्रहलाद पि. पर्वतसींग बड़ी बहू उर्फ बेटीबाई देवा पर्वतसींग पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38	0.700	0.700	
			65	0.660	0.660	
			181	0.450	0.450	
			195/3	1.150	1.150	
			198/1	0.200	0.200	

31	भबूदे जगन्नाथ पि. भग्गे बना पुत्री भग्गे सीताराम शालकराम मलखान पि. गनेश फूलबाई मल्लोबाई पुष्पाबाई पुत्री गनेश पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39	0.120	0.120	
32	राजाराम नदराम रामदीन प्यारेलाल पिता बारेलाल पता नि. बम्होरीहुडडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40	0.130	0.130	
33	भबूदे जगन्नाथ पि. भग्गे सीताराम शालकराम मलखान पि. गनेश गोराबाई बेवा गनेश फूलबाई मल्लोबाई प्रभाबाई भूमि स्वामी पुत्री गनेश पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	41	0.130	0.130	
34	तिजई पिता पंचू सियाबाई कमलाबाई पुत्री पंचू छोटे रगनाथ राम पिस. दूडे मथुराबाई वेवा मन्नू रोहण वा. जग्गो मल्ली सुखवती ना.वा.पु. मन्नू वली नौ मथुराबाई वेवा मन्नू रामकली वेवा. हरवंशी, रतीबाई पुत्री हरीसींग पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42	0.130	0.130	
35	सावित्री वेवा बलराम राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	44/2/1	0.240	0.240	
36	पर्वतसींग उर्फ उजयारसींग पि. महाराजसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	44/3	0.190	0.190	
			45/3	0.210	0.210	
			61/1	0.800	0.800	
			61/2	0.300	0.300	
			96/3	0.530	0.530	
			116	0.030	0.030	
			126/1	0.060	0.060	
			126/2	0.060	0.060	
			131/2	0.150	0.150	
			144/2	0.210	0.210	
			203	0.270	0.270	
			204/1	0.470	0.470	
205/1	0.140	0.140				
37	रमेश पिता मोहन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45/1	0.210	0.210	
			61/4	0.290	0.290	
			96/1	0.530	0.530	
			130/2	0.020	0.020	
			131/1	0.150	0.150	
			159	0.320	0.320	
			204/2	0.230	0.230	
			205/2	0.070	0.070	
38	कल्लोबाई जोजे उजयारसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45/2	0.210	0.210	
			61/3	0.300	0.300	
39	शेरसींग गोदनसींग पि. जनकसींग भवरसींग पि. पप्पू बारी बहू वेवा पल्लू गुड्डीबाई पुत्री पप्पू शिवसींग परताप ईदल लखन पिता भगुन्त राधाबाई वेवा भगुन्तसींग पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	46	1.060	1.060	
40	दरयान पि. परमसुख पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	47	0.500	0.500	

41	गजराजसिंग पिता नोनेजू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	49	0.310	0.310	
			51	0.300	0.300	
			112	0.030	0.030	
			114	0.040	0.040	
			125	0.060	0.060	
			163	0.100	0.100	
			167	0.410	0.410	
			200	0.470	0.470	
42	इमरत पिता नोनेजू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50	0.310	0.310	
			109	0.080	0.080	
			121	0.070	0.070	
			160	0.100	0.100	
			164	0.510	0.510	
			201	0.600	0.600	
43	साहबसिंग पिता उमराव पता सलैया खुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी गुलझारसिंग पिता उमराव पता सलैया खुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी भूरे पिता उमराव पता सलैया खुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सुमित सोमपाल ना बा पिटपिट सुमन नाबा पुत्री पिटपिट वली व खुद मां पुत्री धनबाई बेवा पिटपिट पता सा देह मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी हनमत पिता उमराव पता सलैया खुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी भूरीबाई बेवा उमराव पता सलैया खुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	52	0.310	0.310	
			69	0.470	0.470	
			110	0.060	0.060	
			127	0.070	0.070	
			221	0.530	0.530	
44	बाबूसिंग पिता रतनसिंग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53/1	1.100	1.100	
			87/1	1.400	1.400	
			90/1	0.190	0.190	
			223/1	1.230	1.230	
			223/2	1.000	1.000	
45	मुन्नीबाई पति देवेन्द्रसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53/2	0.020	0.020	
46	प्रतीकसिंह ना.वा.वल्द व वली विजयसिंह वल्द बलवन्तसिंह पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53/3	1.200	1.200	
			168/1	0.060	0.060	
			178/1	2.340	2.340	
47	रामराज ना बा पिता जनकसिंह पता निवासी कुल्ल सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	54/1	2.300	2.300	
48	जनकसिंग पिता गजराजसिंग पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	54/2/1	1.150	1.150	
49	दुर्जनसिंग पि. फूलूसिंग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	57/1	0.350	0.350	
			138	0.520	0.520	
			191	0.500	0.500	
50	अरविन्द पिता रामविशाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	57/2	1.600	1.600	

51	वीरसींग पिता रूपसींग पता सलैयाखुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/42 भाग भूमि स्वामी उदयमान पिता रूपसींग पता सलैया खुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी नरेन्द्रसिंह पिता रूपसींग पता सलैया खुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी भगवानसींग पिता रूपसींग पता सलैया खुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी इंद्राजसिंह पिता रूपसींग पता सलैया खुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी मझली बिन्ना पुत्री रूपसींग पता सलैया खुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी हल्की बिन्ना पुत्री रूपसींग पता सलैया खुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58/1	2.260	2.260	
			145	0.060	0.060	
			180/1	0.060	0.060	
52	रूपसींग पिता उदयत वीरसींग भगवानसींग निरनसींग इन्द्रराज उदयमान पिस. रूपसींग बड़ीबिन्ना मझलीबिन्ना हल्कीबिन्ना पुत्री रूपसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58/2	0.820	0.820	
53	शांतीबाई जोजे गनेश पटैल पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58/3	0.400	0.400	
			178/2	2.400	2.400	
			179	0.070	0.070	
			180/2	0.090	0.090	
54	गोविंद पिता घनश्याम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58/4	0.390	0.390	
55	शिवराजसींग भूपेन्द्रसींग गनेशसींग खिलानसींग पि. मर्दनसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59/1	0.950	0.950	
			59/6	0.100	0.100	
			113/1	0.020	0.020	
			135/1	0.130	0.130	
			169	0.040	0.040	
			176/1	0.150	0.150	
			176/2	0.040	0.040	
			188/2	0.190	0.190	
240	1.340	1.340				
56	सागर ना बा बल्द वली अरविन्द्र सिंह पिता राधेसिंह पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59/2	0.760	0.760	
			70	0.270	0.270	
			133	0.110	0.110	
			135/2	0.130	0.130	
			213	0.050	0.050	
			219/1	0.120	0.120	
			219/2	0.290	0.290	
57	बारसींग पिता खलकसींग लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59/3,	0.810	0.810	
			59/7 -			
			0.10			
			113/2	0.170	0.170	
			135/3	0.080	0.080	
			188/1	0.190	0.190	
			188/4	0.170	0.170	
197/1	0.410	0.410				
202/2	0.200	0.200				

58	भगवत पिता देवीसींग चदाबाई पुत्री देवीसींग गिरजाबाई बेवा देवीसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59/4	0.710	0.710	
			59/8	0.100	0.100	
			113/3	0.020	0.020	
			140	0.320	0.320	
			197/3	0.410	0.410	
			202/3	0.080	0.080	
			206	0.150	0.150	
59	बृजरानी बेवा छोटेलाल कल्याण पिता छोटेलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59/5	0.720	0.720	
			59/9	0.100	0.100	
			113/4	0.020	0.020	
			135/4	0.260	0.260	
			188/3	0.180	0.180	
			197/2	0.410	0.410	
60	लटकनसींग पि. अरजनसींग ग्याबाई बेवा अरजनसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	60	1.690	1.690	
			97	1.370	1.370	
			117	0.030	0.030	
			119	0.020	0.020	
			120	0.020	0.020	
			128	0.060	0.060	
			129	0.050	0.050	
61	घनश्याम पिता पल्लू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	62	2.710	2.710	
			93	0.550	0.550	
			99	0.210	0.210	
			100	1.940	1.940	
			152	0.370	0.370	
			155	1.040	1.040	
62	शिवराजसींग पिता मर्दनसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	63/1	0.370	0.370	
			68/2	0.290	0.290	
			68/3	0.290	0.290	
			184	0.100	0.100	
			186	0.250	0.250	
63	नम्रता सिंह पत्नि विजयसिंह राजपूत पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	63/2	0.370	0.370	
64	तिलकसींग पि. रूपसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	66	0.850	0.850	
65	घनश्याम पि. पल्लू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	67	0.810	0.810	
			103	0.010	0.010	
66	गम्बर पिता खूबसींग पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75/1	0.550	0.550	
67	राजमहेन्द्र सिंह पिता खूबसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75/2	0.550	0.550	

68	राधाबाई रुक्मिन बाई उर्मिलाबाई पुत्री खूबसिंह तुलसाबाई बेवा खूबसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75/3	0.050	0.050	
69	सुनीला पति राजेश सराफ पता सा. पुरव्याऊ टोरी सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76	0.120	0.120	
			83	0.080	0.080	
			84	0.350	0.350	
			87/2	1.240	1.240	
			90/2	0.190	0.190	
70	प्यारेलाल वल्द तिजई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77	1.060	1.060	
			85	0.080	0.080	
71	इमरत पि. भावसींग पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86	0.830	0.830	
72	उजयारसिंग पि. जसरथसींग पता. नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88	0.220	0.220	
			196/1	1.480	1.480	
73	हरीसींग पिता महाराजसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	96/2	0.530	0.530	
			130/1	0.030	0.030	
			131/3	0.140	0.140	
74	गनेश पि. खुन्ना नि. जबलपुर देवसींग पि. कीरतसींग रामकुमार भाईसाब मेधराज पि. बलराम वली सावित्री वेवा बलराम राजेश्वरी पिता बलराम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	98	0.220	0.220	
			238	0.700	0.700	
75	श्री विन्दावन बाग मंदिर गोपालगंज ट्रस्ट सागर अक् अध्यक्ष प्रबंधक समिति अतिकले. महो. सागर देवस्थान	भूमि स्वामी	101	0.040	0.040	
			102/ब	0.600	0.600	
76	देवीसींग पिता कीरतसींग रामकुमार भाईसाब मेधराज पिस. बलराम सावित्री वेवा बलराम राजेश्वरी पुत्री बलराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104	0.010	0.010	
77	टेकचंद संतोष पिस. डालचंद सुषमा माया प्रभा पि. डालचंद पता नि. बण्डा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	106	0.050	0.050	
			239	1.280	1.280	
78	हरीशंकर पि. जालम नि. बम्होरी जगदीश नर्मदाबाई वेवा मर्दन भूपेन्द्र शिवराज गनेश खिलान पिस. मर्दनसींग बड़ीबैन सावित्री गुडडी डब्डी नन्नी पिस. मर्दनसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	107	0.120	0.120	
			108	0.010	0.010	
79	रमजू पिता नोनेजू उजयारसींग वल्द महाराजसींग लोधी सा. सलैया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	111	0.070	0.070	
			118	0.040	0.040	
			122	0.070	0.070	
			162	0.080	0.080	
			166	0.380	0.380	
80	फूलबाई उर्फ फूलाबाई पति अमान पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	134	0.040	0.040	
			136	0.080	0.080	
			137	0.350	0.350	
81	अमान पिता रामदयाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	139	0.200	0.200	
			227	0.500	0.500	
			228/2	0.740	0.740	
			234/2	0.290	0.290	

82	कपूरीबाई पत्नि धरमसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	141	0.220	0.220	
83	चन्द्रमान ना.वा.पि. वली लटकनसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	146	0.060	0.060	
84	धनीराम पि. नंदू सुहागरानी जोजे धनीराम पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150/1	0.300	0.300	
85	धनू पि. ननू पंचोबाई जोजे धनू पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150/2	0.300	0.300	
86	बाबूलाल पि. मुन्डा ललताबाई जोजे बाबूलाल पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150/3	0.300	0.300	
87	सीताराम पि. मुन्डा चतरा-बाई जोजे सीताराम पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150/4	0.300	0.300	
88	बिहारी पि. फूला चन्दाबाई जोजे बिहारी पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150/5	0.300	0.300	
89	हल्लू पि. फूला पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150/6	0.300	0.300	
90	मुन्ना पि. भूरे शीलबाई जाजे मुन्ना पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150/7	0.300	0.300	
91	गिरधारी पि. भूरे कल्लोबाई जोजे गिरधारी पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150/8	0.300	0.300	
92	कुन्जन पि. किशोरा प्रभाबाई जोजे कुन्जन पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150/9	0.300	0.300	
93	नारान पि. धूदरा रामबाई जोजे नारान पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150/10	0.300	0.300	
94	हरनाम पि. कडोरी बबीता बाई जोजे हरनाम पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150/11	0.300	0.300	
95	संदीप सौरभ ना.ना.पि.तुलसी राघारानी जोजे तुलसी पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150/12	0.300	0.300	
96	दुरजन पि. ननू कांटीबारी जोजे दुरजन पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150/13	0.300	0.300	
97	दयाराम पि. पल्लू मजली बहू जोजे दयाराम पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150/14	0.300	0.300	
98	शेखर पि. अमोल सजली बहू जोजे शेखर पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150/15	0.300	0.300	
99	बलराम सुखसींग गुडडु पिता भुजबल संदीप बा धनीराम हल्ले भैया नाबा वली व खुद मा मजली बहू वेवा दिनेश सजोबाई पुत्री दिनेश पता सा. उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	153	0.410	0.410	
			156	1.050	1.050	
			212	1.680	1.680	
			217	0.080	0.080	
100	निर्मयसिंह पिता धरमसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	161	0.080	0.080	
101	साहबसींग, गुलझार सींग पि. उमराव सींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	165	0.380	0.380	
102	गुलसाबाई पति रूपनारायण पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	168/2	0.800	0.800	
103	साहबसींग कोमलसींग विश्वनाथ राजकुमार पिस. हरीसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	177	1.550	1.550	

104	विमलाबाई देवा चैनसींग नीलेस नीतेश ना.वा.पिस. चैनसींग बड़ीबेन रश्मि ना.वा. पुत्री चैनसींग पालक माँ विमलाबाई देवा चैनसींग शीलाबाई पुत्री गुलझारसींग पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	182/1	0.220	0.220	
105	ललताबाई पति हम्मीरसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	182/2	0.210	0.210	
			198/2/2	0.130	0.130	
106	शारदा बाई पति बहादुर पता नि. मगरुधा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	182/3	0.220	0.220	
			182/4	0.220	0.220	
			198/2/1	0.120	0.120	
			198/2/3	0.120	0.120	
107	किरणबाई हल्लीबाई पुत्री वीरसींग बलवत सिंह पिता उमराव सिंह पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	183	1.430	1.430	
			189	1.330	1.330	
108	रूपनारायण पिता रामचरण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	185	1.180	1.180	
			229	1.790	1.790	
			230	0.500	0.500	
			236	0.030	0.030	
			241	0.110	0.110	
			242	0.780	0.780	
109	कल्याण पिता मोतीलाल पता नि. ग्राम सेवा खातेदार ग्राम नौकर	भूमि स्वामी	187	0.370	0.370	
110	संतोष पिता रूपनारायण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	190	0.450	0.450	
111	साहबसींग पि. उमरावसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	192	0.300	0.300	
112	राजासिंह पिता गुलझार सिंह जाति लोधी पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	193	0.370	0.370	
113	बिहारी, नंनेमाई संतोष पि. गनेश पता नि. उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	196/2	0.520	0.520	
114	प्यारेलाल वल्द तिजई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	199	0.730	0.730	
			208/1	0.240	0.240	
			209	0.100	0.100	
			210/1	0.200	0.200	
115	मनोजकुमार पिता सुखनंदन पता सा. कटरा बाजार सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207	0.560	0.560	
			208/2	0.330	0.330	
			210/2	0.200	0.200	
			222/1/2	0.200	0.200	
			222/2	0.400	0.400	
116	बलराम पिता भुजबल यादव पता सा. उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	211/1	0.190	0.190	
			211/2	0.060	0.060	
117	श्री देव महादेयजी मंदिर देह मुह. अति.कले.एवं अध्येतर प्रबंधक समिति श्री विन्द्रावन बाग मंदिर ट्रस्ट गोपाल पता गंज सागर देवस्थान	भूमि स्वामी	214	0.210	0.210	
			216	1.690	1.690	
118	टेकचंद पिता डालचंद जेन पता निवासी उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	218/2	0.640	0.640	
119	मोहनसींग पिता करनसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	226	0.800	0.800	
120	जगत कृष्णपाल पिस. धनीराम यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	228/1	0.900	0.900	
			234/1	0.290	0.290	
			235/1	0.270	0.270	

121	नत्थीबाई सावित्री बाई पुत्री गनेशसिंग विकास नाबा पिता करनसिंग प्रियन्का प्रीति बा रोशनी नाबा पिता करनसिंग वली व खुद माँ बड़ी बहू वेवा करनसिंग राजा रोहित बूजेश नाबा पिता धनसिंग वली व खुद माँ राजकुमारी उर्फ हल्की बहू वेवा धनसिंग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	231	0.760	0.760	
122	उजयारसिंग पिता दशरथ वृजराणी वेवा दशरथ मुलाबाई नन्नीबाई पुत्री दशरथ पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	233	0.360	0.360	
123	प्रकाशचंद पिता सुखनंदन पता सा. कटरा बाजार सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	235/2	0.600	0.600	
124	भुजबल पि. भदई नि. उल्दन गनेश पि. खुन्ना पता नि. जबलपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	237	0.360	0.360	
125	हल्की बहू वेवा हीरासिंग हरपाल महाराजसिंग पिस. हीरासिंग पुनाबाई ज्ञानबाई रामकली भागवती सुनीता पुत्री हीरासिंग पता नि. उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	243	0.710	0.710	
126	रूपरानी पति राजू जाति पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	24/1/2	0.260	0.260	
127	प्रखर पिता संतोष जैन पता सा देह सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	44/2/2	0.500	0.500	
			222/2/	0.200	0.200	
128	ढँकसींग पिता प्रहलादसिंग पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	54/2/2	1.140	1.140	
कुल:-			311	150.980	150.980	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बंडा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बंडा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं ~~प्रशासक~~ के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष/कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बंडा में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बंडा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-21-अ-82-18-19-भू-अर्जन-21-895.

सागर, दिनांक 30 जनवरी 2021

मौजा डहकुली पट.ह.नं.-10 तहसील बण्डा

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी समाहित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

(1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीघ्र कार्य
(2) भूमि का विवरण

1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	बण्डा
3. ग्राम	:	डहकुली
4. पट.ह.नं.-	:	10
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	24.320 हे.

:: अनुसूची - 01 ::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में.)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शमसिंह पिता मरदन सिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2	0.170	0.000	0.170	0.000	-
			20	0.580	0.000	0.580	0.000	-
2	देवेन्द्रसींग पिता करमसींग पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3	0.400	0.000	0.400	0.000	-
			10/2	0.540	0.000	0.540	0.000	-
3	रंधीरसींग जसरथसींग नंनेसींग पिता किशोरसींग वीरसींग पिता परतापसींग कुर्वरवाई बेबा परतापसींग राजबाई गीताबाई पु. परतापसींग सतेन्द्र पिता नारानसींग राजकुमारी बेबा नारानसींग डोलनसींग पिता पंचमसींग सुखसींग महाराजसींग कल्याणसींग पिस.फूलसींग बाई पुत्री फूलसींग गोपीबाई बेबा फूलसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी छुट्टीसींग इमरतसींग शिवराजसींग जाहरसींग बदनसींग, सुम्मेरसींग पिता सूरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8	1.130	0.000	1.000	0.130	-
			34	1.400	0.000	1.400	0.000	-

4	प्रहलादसींग, जालमसींग पितादरयावसींगस, देवीसिंह जनकसिंह, जगतसिंह पितागुलझारसिंह, अमरसिंह ना.वा. भूमि स्वामी परम पूरन पिता मंगलसींग जानकीबाई पुत्री मंगलसींग सुखसींग महाराजसींग कल्याणसींग पिता फूलसींग बाई पुत्री फूलसींग गोपीबाई बेवा फूलसींग वीरसींग पिता परतापरामकुँवर बाई बेबा परतापसींग राजबाई गीताबाई पुत्री परतापसींग सतेन्द्र नावा० पिता नारान सींग पा० व खुद मॉ राजकुमारी बेबा नारानसींग डालसींग पिता पंचमसींग करनसींग लक्ष्मणसींगपिता त्रिलोकसींग भूमि स्वामी गुलझारसिंह, ननीबहू बेबा गुलझारसिंह भूमि स्वामी रम्माबाई पुत्री भोपाल सिंहरंधीर सिंह, जसरथसिंह, ननेसिंह, उजयारसिंह पिता भूमि स्वामी किशोरसिंह, मेंदाबाई, दुर्गाबाई, रतीबाई, गंगाबाई पुत्री किशोरसिंह, शंकरसींगरामसींग, मूरतसींग पिता भूमि स्वामी मर्दनसींग, पिस. धीरजसींग छुट्टीसींग इमरतसींग, शिवराजसींग जाहरसींग सुम्मेरसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी बदनसींग पिस. सूरजसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4	0.730	0.000	0.730	0.000	कोहा 3
5	लखनसिंह पिता परमसिंह लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	1.250	0.000	1.200	0.050	कोहा 7 रैजा 2 अमरुद 4
6	प्रहलादसिंह वल्द दरयावसिंह लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9	1.250	0.000	1.200	0.050	रैजा 2
			48	0.420	0.000	0.420	0.000	—
7	भूरेसींग पिता धीरजसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	10/1	0.540	0.000	0.540	0.000	—
8	मूरतसिंह पिमरदनसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11/1	0.760	0.000	0.760	0.000	—
			23	0.350	0.000	0.350	0.000	—
9	परतापसींग फूलसींग बलीसींग पिस. भगवानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12/1	0.200	0.000	0.200	0.000	—
10	जनकसींग पिता उमरावसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12/2	0.190	0.000	0.190	0.000	—
			13/1	0.920	0.000	0.900	0.020	सागोन 1
11	इमरतसिंह पिता मलखानसिंह पता डहकुली बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी गोविंद भरत बदन पिता मलखासिंह पता डहकुली बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी बेनीबाई पुत्री मलखानसिंह पता डहकुली बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12/3/1	0.350	0.000	0.350	0.000	—
12	मुस्कान पुत्री सुनीलकुमार पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12/3/2	0.230	0.000	0.230	0.000	—
13	निखिल नावा. पिता गजेन्द्र पिता परताप सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12/4	0.200	0.000	0.200	0.000	—
14	डालसींग पिता उमरावसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/3	0.300	0.000	0.300	0.000	—
15	मलखान पिता रघुनाथ पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14/1	0.200	0.000	0.180	0.020	—
16	डालसींग पिता उमराव पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14/2	0.160	0.000	0.140	0.020	—

17	हल्कूसिंह गिरवरसिंह पिता गजराजसिंग कलू पिता गुलाबसिंह पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14/3	0.440	0.000	0.420	0.020	
18	प्रतापसिंग बल्ली पिता भगवानसिंग पता बन्डा बन्डा सागर सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14/4	0.080	0.000	0.060	0.020	
19	पर्वतसिंह पिता छोटेसिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	16	0.150	0.000	0.150	0.000	-
20	देवीसिंग जनकसिंग जगतसिंग पिस. गुलझारसिंग नरेश अनुज नावा. पि. अमरसिंग खुशबू नावा. पि. अमरसिंग पालक वखुद मों सरोजबाई वे. अमरसिंग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/1	0.060	0.000	0.000	0.060	-
			22	0.300	0.000	0.300	0.000	-
			26/1	0.110	0.000	0.110	0.000	-
21	जालमसिंग पिता दरयावसिंग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/2	0.050	0.000	0.000	0.050	-
			26/2	0.100	0.000	0.100	0.000	-
22	रतनेश ना. बा. वल्द वली सुम्मेरसिंग वली चाचा शिवराजसिंग पिता सूरतसिंग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18	0.390	0.000	0.390	0.000	-
23	कमलेश पिता शंकरसिंह पता सागर मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी बहादुर पिता शंकरसिंह पता सागर मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी छोटेसिंग पिता शंकरसिंह पता सागर मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी खिलान पिता शंकरसिंह पता सागर मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी श्रीबाई पुत्री शंकरसिंह पता सागर मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी सुमत्राबाई पुत्री शंकरसिंह पता सागर मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी गुलाबाई बेवा शंकरसिंह पता सागर मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19	0.300	0.000	0.300	0.000	-
24	राजाराम पिता रंधीरसिंग नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21	0.280	0.000	0.280	0.000	-
25	मानसिंग पिता जसरथ सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25	0.230	0.000	0.230	0.000	-
			30	0.560	0.000	0.560	0.000	-
26	पूरनसिंह पिता मंगलसिंह नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	27	0.190	0.000	0.190	0.000	-
			44	0.850	0.000	0.850	0.000	-
27	लालसिंग पिता धीरतसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28	0.410	0.000	0.410	0.000	-
28	महराजसिंह पिता फूलसिंह नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31	0.370	0.000	0.300	0.070	-
			42/1	0.690	0.000	0.690	0.000	-
29	बदनसिंह पिता सूरतसिंह पता सा. सागर 1/2 भाग हरीसिंह पिता इमरतसिंह सा. सागर 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33	0.360	0.000	0.360	0.000	-
30	विवेकसिंह पिता करनसिंह पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	41/1	0.100	0.000	0.100	0.000	-
31	लक्ष्मण सिंह पिता त्रिलोक सिंह पता निवासी गाम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	41/2	0.510	0.000	0.510	0.000	-
32	सुखसिंग पिता फूलसिंग सा. डहकुली बंडा सागर मध्यप्रदेश	भूमि स्वामी	42/2	0.680	0.000	0.680	0.000	-
33	पर्वत सिंह पिता छोटेसिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45/1	0.340	0.000	0.310	0.030	-
34	परमसिंग पिता मंगलसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45/2	0.190	0.000	0.190	0.000	-
35	छुट्टीसिंग इमरतसिंग शिवराजसिंग जाहरसिंग, सुम्मेरसिंग बदनसिंग पिस. सुम्मेरसिंग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	47	0.470	0.000	0.470	0.000	-

36	रंधीरसिंह पिता किशोरसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	49	1.220	0.000	1.200	0.020	-
37	भागबाई पुत्री उजयारसिंह पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी फूलबाई बेवा उजयारसिंह पता सादेह बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53/1	0.350	0.000	0.350	0.000	-
38	बलवंत सिंह पिता इमरत सिंह अजय पिता जाहर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53/2	0.800	0.000	0.800	0.000	कोहा 1
39	कल्यानसींग पिता फूलसींग पता सा डहकुली बंडा सागर	भूमि स्वामी	54	1.470	0.000	1.470	0.000	-
कुल योग:-			52	24.320	0.000	23.760	0.560	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या (ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय

- सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
 - (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
 - (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
 - (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
 - (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा

- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर-35 में खसरा नंबर 270 रकबा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- 4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 03/03/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-17-अ-82-18-19-भू-अर्जन-21-896.

मौजा पिडरूवा पट.ह.नं.-07 तहसील बण्डा

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी समाहित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

(1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीघ्र कार्य

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : बण्डा
3. ग्राम : पिडरूवा
4. पट.ह.नं.- : 07
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 12.010 हे.

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में.)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गोपाल , हेमराज पिता गरीबे सा0 देह पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/27	1.200	1.200	0.000	0.000	कुआ पक्का-1 खैर-2 छेवला-5 जांचेर-1 पीपल-1 कोहा-2 अस्तो-1
2	मुलुवा पिता छिम्मे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/28	1.200	0.000	0.000	1.140	-
3	सकूरा पिता छुड्डा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/29	1.200	0.000	1.200	0.000	बहेडा-1 छेवला-1
4	कलू पिता सुक्ले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/30	1.000	0.650	0.000	0.000	कुआ पक्का-1 साज-2 रेंजा-2

5	जूजा पिता नथू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/34	1.200	0.000	1.200	0.000	छेवला-9खैर-1को हा-3बहेडा-1 पीपल-1 किरवारा-1 कांकेर-1बेल-2
6	अलमू पिता गुन्चे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/35	1.200	0.000	0.600	0.000	धौ-2 खैर-2 छेवला-2 घाटो-1 बरगद-1 जांचेर-1
7	बबलू पिता कच्छेदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/37	1.200	0.860	0.000	0.000	कुआ कच्चा-1 साज-3 अस्तो-2 बहेडा-4 गुंजा-1 कोहा-1 पीपल-1 छेवला-2
8	कलू पिता गंगा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/38	1.200	0.000	1.200	0.000	छेवला-1
9	इमरतीबाई बेवा शिबू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/39	1.200	0.000	1.180	0.000	छेवला-2 रेंजा-1कोहा-1
10	अच्छेलाल पिता चिमन पता पिडरूवा बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी केशरबाई पुत्री चिमन पता पिडरूवा बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी गनेशीबाई पुत्री चिमन पता पिडरूवा बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी रामलाल पिता चमन पता पिडरूवा बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी रामकली पुत्री चमन पता पिडरूवा बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी सुन्दर पिता चमन पता पिडरूवा बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी श्यामलाल सीताराम पिता हरीलाल पता पिडरूवा बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी महाराजसिंह पिता सुखसींग पता पिडरूवा बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी बेनीबाई बेवा सुखसींग पता पिडरूवा बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी गुलाबसिंह पिता हीरासींग पता पिडरूवा बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी जगदेव पिता कीरत पता पिडरूवा बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी जयसींग पिता रतनसींग पता पिडरूवा बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी दरयावसींग पिता हीरासींग पता पिडरूवा बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी नत्थीबाई बेवा कीरत पता पिडरूवा बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी हरदेव पिता कीरत पता पिडरूवा बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2152/1	3.100	0.000	1.350	0.000	खैर-1

11	हम्मीर सिंह मगतसिंह रगवीर सिंह पिता इमरतसिंह पता सा देह सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2152/2	0.670	0.000	0.670	0.000	रैंज-1खैर-1
12	हरीबाई पति शंभूप्रसाद पता सा. परसोरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2153	0.270	0.000	0.000	0.270	-
			2156	0.490	0.000	0.000	0.490	-
कुल योग :-			13	15.130	2.710	7.400	1.900	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।

- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर-35 में खसरा नंबर 270 रकवा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 15/03/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-24-अ-82-18-19-भू-अर्जन-21-897.

मौजा पडवार पट.ह.नं.-14 तहसील बण्डा

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सम्भावित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

(1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य

(2) भूमि का विवरण

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | बण्डा |
| 3. ग्राम | : | पडवार |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 14 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 109.840 हे. |

:: अनुसूची ::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	चतुर्भुज उर्फ विष्णुसिंह पिता अर्जुनसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2	1.780	0.000	1.780	0.000	बैसी 1 खैर 2
			13	1.450	0.000	1.450	0.000	-
2	खूबसींग उर्फ रज्जू पिता अर्जुनसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3	2.540	0.000	2.540	0.000	बहेडा 1 हडुवा 1 छेवला 1 सेमर 1 कंजी 1 रेजा 1
			12	1.450	0.000	1.450	0.000	बबूल 1 रैजा 1 छेवला 1

3	चंदनसिंह पिता अर्जुनसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4	0.300	0.000	0.300	0.000	
			5	0.870	0.000	0.870	0.000	छेवला 1 इमली 1 पीपल 1 शीसम 1 साज 1
			6	1.400	0.000	1.400	0.000	साज 3 खैर 3
			8	1.450	0.000	1.450	0.000	—
4	बीरसिंह पिता अर्जुनसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7	1.460	0.000	1.460	0.000	सेमर 1 नीम 1 पीपल 1 खैर 2
			22/1	0.650	0.000	0.640	0.010	—
5	प्रहलादसींग पिता गुलाबसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9	0.390	0.000	0.390	0.000	—
6	यसवंतसींग पिता गुलाबसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	10	0.190	0.000	0.190	0.000	—
			11	0.130	0.000	0.130	0.000	—
7	किशनसिंह पिता खेतसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14/1	0.630	0.000	0.340	0.000	—
8	टेकसिंह पिता गजराजसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14/2	0.240	0.000	0.240	0.000	—
9	अनतराम पिता रामदयाल यादव पता निवासी ग्राम बमाना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14/3	0.400	0.000	0.400	0.000	—
10	संजयसींग पिता पंचमसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15/1	0.010	0.000	0.000	0.010	—
			16/1	0.190	0.000	0.180	0.000	—
			359/3	0.120	0.110	0.000	0.010	अमरुद 2 आम 1 कदम्ब 1 बबूल 2 बांसगिरा 1 कुआ पक्का-1
11	देवसींग अमोलसींग पिस. गन्धर्वसींग हरबाई देवा गन्धर्वसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15/2	1.520	0.000	0.220	0.000	—
			375/2	0.220	0.000	0.220	0.000	छेवला 1
			376/2	0.190	0.000	0.190	0.000	—
12	पंचम पिता भबूदसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15/3	0.010	0.000	0.000	0.010	—
13	रामदयाल पिता सेमल यादव पता निवासी बमाना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	16/3	0.800	0.000	0.560	0.000	—
14	इमरत पिता भबूदे शांतिबाई पुत्री देवीसिंह पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17	0.200	0.000	0.200	0.000	—
			18/1	0.550	0.000	0.550	0.000	रैजा 3
15	इमरत पिता भबूदे पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/2	0.320	0.000	0.320	0.000	—
16	गुलाबबाई जौजे पदमसींग लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19/1	0.780	0.000	0.780	0.000	—
17	लालसींग पि.कल्यानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19/2	0.770	0.000	0.770	0.000	—
			26/2	0.150	0.000	0.150	0.000	—

18	इमरतसींग रामलाल पिता धीरे पटेल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20	0.620	0.000	0.620	0.000	-
19	धीरे पिता सुक्के काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21	0.530	0.000	0.530	0.000	-
20	श्रीबाई जोजे बीरसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	22/2	0.560	0.000	0.550	0.010	-
			23/2	0.800	0.000	0.800	0.000	-
			381/2	0.480	0.000	0.480	0.000	-
21	वीरसींग पिता पहारसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23	1.280	0.000	1.280	0.000	बबूल 1 रैजा 2
22	सीताराम पिता वीरसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	24	0.200	0.000	0.190	0.010	-
23	पद्मसींग पिता कल्यानसींग पता सागर मध्य प्रदेश सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26/1	0.140	0.130	0.000	0.010	कुआ पक्का-1
24	सीताराम पि.वीरसींगलोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	27	0.330	0.000	0.330	0.000	नीम 1 सेमर 1 रैजा 1
			28	0.730	0.720	0.000	0.010	अमरुद 4 बैरी 1 रैजा 2 शीसम 1 कुआ पक्का-1
25	जनकसिंह पिता बारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	29	0.090	0.000	0.090	0.000	-
			30	0.800	0.000	0.800	0.000	-
26	हल्काई गनेश राकेश अशोक पिता धीरज सींग देवीसिंह पितापरमसिंह लोधी विधाबाई बेबा धीरजसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31	0.780	0.000	0.780	0.000	रैजा 2
27	सावित्री जोजे इमरतसींगलोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	32	1.480	1.470	0.000	0.010	अमरुद 7 बहेरा 2 रैजा 2 नीम 2 कुआ पक्का-1
28	इमरतसींग पिता भबूदे राजूसींग पिता इमरत लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33	0.810	0.000	0.810	0.000	बैरी 2 रैजा 2 सागोन 1
			46	0.570	0.000	0.210	0.000	-
			310	0.700	0.000	0.700	0.000	-
			311	1.100	0.000	0.220	0.000	-
29	इमरतसींग पिता भबूदसींग लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	34	0.530	0.000	0.530	0.000	आम 1 अमरुद 1 नीबू 3 रैजा 2
			35	0.170	0.000	0.170	0.000	-

31	रमेश पिता धांधू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	36/1	0.100	0.090	0.000	0.010	बेल 1 नीबू 3 अमरुद 2 बैरी 6 अण्डी 1 रैजा 1 सूलबबूल 2 छेवला 1 कोहा 1 कुआ पक्का-1
			37/1	0.620	0.600	0.000	0.020	पीपल 1
32	अवधरानी बेवा परसादी पता पडवार बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सही कौशिल्याबाई पुत्री परसादी पता पडवार बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सही श्रीराम पिता भांदू पता पडवार बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी सही रामसेवक पुत्र भांदू पता पडवार बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी सही	भूमि स्वामी	36/2	0.050	0.000	0.050	0.000	-
33	राजेन्द्र राजेश पिता सुखसाहब पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	36/3	0.080	0.000	0.080	0.000	-
			37/3	0.620	0.000	0.620	0.000	-
34	इमरतीबाई जो.उजयारसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	37/2	0.620	0.000	0.620	0.000	-
35	मुलाबाई बेवा धीरजसींग पता सागर मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी जगतसींग पिता नन्हेंलाल पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी प्रानसींग पिता नन्हेंलाल पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी राजेन्द्र पिता धीरजसींग पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी शिवपाल पिता धीरजसींग पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी देवी पुत्री धीरजसींग पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी माया पुत्री धीरजसींग पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश लोटन पिता वीरसींग पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी द्रोपती पुत्री वीरसींग पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी अनीता पुत्री वीरसींग पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी सुम्नो बेवा वीरसींग पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38/1	1.180	0.000	0.600	0.000	-

36	मुलाबाई बेवा धीरजसींग पता सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी राजेन्द्र पिता धीरजसींग पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी शिवपाल पुत्र धीरजसींग पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी देवी पुत्री धीरजसींग पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी माया पुत्री धीरजसींग पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38/2	0.400	0.000	0.010	0.000	-
37	राजेन्द्रसिंह पिता जनकसिंह पता पडवार सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	44/1	0.320	0.000	0.080	0.000	बबूल 1
38	श्यामबाई पत्नी जनकसिंह पता पडवार सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45	0.520	0.000	0.210	0.000	-
39	देवीसींग पिता परमसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	47	0.590	0.000	0.350	0.000	रैजा 1
			312/1	0.480	0.000	0.450	0.030	रैजा 1 बबूल 1
40	राधेलाल पि. पिडू पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64	0.600	0.000	0.540	0.000	रैजा 1
41	मंगलसींग वल्द नत्थूसींग लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	65	4.440	0.000	3.320	0.040	बैरी 3
			66	0.610	0.000	0.610	0.000	-
			67	1.990	1.980	0.000	0.010	बबूल 3 रैजा 1 पीपल 1 कुआ पक्का 1
42	विक्रम पिता खलकसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68/1	0.780	0.270	0.000	0.010	बबूल 2 रैजा 1 कुआ पक्का-1
43	महेश पिता रोहनलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	300	0.730	0.000	0.730	0.000	-
			320/2	0.370	0.000	0.370	0.000	-
44	सतेन्द्र सिंह पिता लक्ष्मणसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	301	0.070	0.000	0.070	0.000	-
			302	0.520	0.500	0.000	0.020	कोहा 1 रैजा 1 बबूल 1 कुआ कच्चा 1
			317/3	0.310	0.000	0.200	0.000	-
			318/3	0.470	0.000	0.470	0.000	बैरी 1 बबूल 1 नीम 1 खैर 1 छेवला 2 सेमर 1
45	हल्काई गनेश राकेश अशोक पिता धीरज सींग विधाबाई बेबा धीरजसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	312/2	0.490	0.000	0.480	0.010	-

46	पूरनसींग पिता जसरथसींग पता पडवार बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी स्वीकृत जमनाबाई बेवा जसरथसींग पता पडवार बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	314	0.930	0.000	0.930	0.000	रैजा 1
			358/1	1.450	0.000	0.920	0.000	बबूल-3 रैजा-1 बैरी-1
			382	0.250	0.000	0.250	0.000	-
			383	0.110	0.000	0.110	0.000	-
47	उमेश पिता गुपालचमार पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	315/1	0.190	0.000	0.180	0.000	-
48	कलू पिता हल्लू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	315/2	0.200	0.000	0.170	0.000	-
49	राघवेन्द्र पिता रामदयाल पता बमाना सागर सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	315/3	0.400	0.000	0.070	0.000	-
50	खुमान पिता कन्छेदी लालनाई पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	316	0.320	0.000	0.260	0.000	-
			319	0.470	0.000	0.470	0.000	-
			321	0.690	0.000	0.690	0.000	-
51	उपेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मणसींग लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/1	0.770	0.000	0.170	0.000	-
			318/1	0.560	0.000	0.560	0.000	-
52	डालसिंह पिता लक्ष्मणसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/2	0.670	0.000	0.120	0.000	-
			318/2	0.460	0.000	0.460	0.000	बबूल 1
53	जगदीश पिता रोहनलाल पता पडवार सागर सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	320/1	0.380	0.000	0.380	0.000	-
54	चन्द्रभानसिंह पिता महेन्द्रसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	322	1.540	0.000	1.540	0.000	-
			339/2	0.070	0.000	0.070	0.000	-
			340	1.250	0.000	1.250	0.000	-
			341	1.200	0.000	1.200	0.000	-
55	योगेन्द्रसिंह पिता वीरेन्द्रसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	323	1.500	0.000	1.500	0.000	-
			329/2	0.900	0.000	0.900	0.000	-
56	गजेन्द्रसिंह चन्द्रभानसिंह आशा विमला उषा पिता महेन्द्रसिंह पता पडवार बंडा सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	324	0.340	0.000	0.340	0.000	-
			325	1.050	0.000	1.050	0.000	-
			328	0.320	0.000	0.320	0.000	-
			331	0.360	0.000	0.360	0.000	-
			339/1	1.000	0.000	1.000	0.000	-
57	गजेन्द्रसिंह पिता महेन्द्रसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	327	0.320	0.000	0.320	0.000	-
			332	0.970	0.000	0.970	0.000	-
			333	0.730	0.000	0.730	0.000	-
			334	1.280	0.000	1.280	0.000	इमली 1
58	वीरेन्द्रसिंह पिता भूपेन्द्रसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	329/1	0.280	0.000	0.280	0.000	-
			330	0.410	0.000	0.410	0.000	-
			336/2	0.290	0.000	0.290	0.000	-
			337	0.210	0.000	0.210	0.000	-
			348	0.260	0.000	0.260	0.000	-
59	शैलेन्द्रसिंह पिता वीरसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	335	0.030	0.000	0.000	0.030	-
			336/1	1.320	0.000	1.320	0.000	रैजा 1
			338	0.650	0.000	0.650	0.000	-

60	देवेन्द्रसिंह पिता भूपेन्द्रसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	342	1.410	0.000	1.410	0.000	बबूल 1
			344	0.250	0.000	0.250	0.000	-
			347	0.650	0.000	0.650	0.000	-
			350	1.000	0.000	1.000	0.000	बबूल 1
61	रमबाई पुत्री पुटई पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	352/1	0.740	0.000	0.720	0.020	बबूल 3
62	लीलाबाई बेबा धनसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	352/2	1.000	0.000	1.000	0.000	बबूल 1
63	मेघराज पिता पधारसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	352/3	0.240	0.000	0.240	0.000	बबूल 1
			380	0.250	0.240	0.000	0.010	कुआ कच्चा-1
			381/1	0.040	0.000	0.000	0.040	-
			410/1	0.680	0.000	0.680	0.000	बैरी 1 बबूल 1
64	सरोजबाई पति बहादुरसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	353	0.250	0.000	0.240	0.010	-
			354/1	0.150	0.000	0.150	0.000	बबूल 1
65	विश्वनाथ पिता वीरसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	354/2	0.400	0.000	0.400	0.000	रैजा 1
66	कमलाबाई पति सुल्तानसींग उर्फ कौशलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	354/3	0.800	0.000	0.800	0.000	-
			355	1.890	1.800	0.000	0.090	कुआ कच्चा-1
67	अरविन्द्र पिता पल्लूराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	354/4	0.290	0.000	0.290	0.000	-
68	काशीबाी जोजे पन्चू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	356/1	0.330	0.000	0.330	0.000	-
69	कुन्जीलाल पिता लल्लूराम पता सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी गिरधारी पिता लल्लूराम पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	356/2	0.320	0.000	0.320	0.000	-
70	गजेन्द्रसिंह चन्द्रभानसिंह आशा विमला उषा पिता महेन्द्रसिंह पता पडवार बन्डा सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	357	0.110	0.000	0.110	0.000	-
			377	0.220	0.000	0.220	0.000	-
			412	0.170	0.000	0.170	0.000	-
			413	0.200	0.000	0.200	0.000	-
			414	0.130	0.000	0.130	0.000	-
71	पार्वती पत्नी उत्तर पता सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी पीयूष नाबालिग पिता उत्तर संरक्षक पार्वती पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी प्रिंस नाबालिग पिता उत्तर संरक्षक पार्वती पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	359/1	0.330	0.000	0.250	0.000	-
			375/1	0.230	0.000	0.230	0.000	-
			376/1	0.180	0.000	0.180	0.000	-
72	राजेन्द्र विकास पिता निजाम सींग कुवर बाई बेबा निजामसींग पता 1निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	359/2	0.600	0.000	0.540	0.000	-
			385/1	0.370	0.000	0.370	0.000	-
73	भगवानसींग पिता पंचमसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	387/1	0.400	0.000	0.400	0.000	-
74	गेंदाबाई जोजे बाबूलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	372/1	0.880	0.000	0.750	0.000	-
75	इन्द्राबाई जोजे मानसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	372/2	0.880	0.000	0.820	0.000	-

76	बहादुरसींग पिता पर्वत सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	373	1.070	1.050	0.000	0.020	अमरुद 7 आम 2 बेल 1 इमली 1 बैरी 12 अग्रेजी इमली 2 कुआ पक्का 1 कुआ कच्चा-1
77	सुल्तानसींग उर्फ कौशलसींग पिता कीरतसींग लोधी सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	374	0.220	0.000	0.220	0.000	-
78	उत्तर पिता पंचम पता पडवार बन्डा सागर सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	383/1	0.280	0.000	0.280	0.000	-
79	जीवन उर्फ कलू पिता पर्वत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	385/2	0.370	0.000	0.370	0.000	-
			386/3	0.150	0.000	0.150	0.000	बबूल 1
80	उत्तरसींग पिता पचमसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	386/1	0.280	0.000	0.280	0.000	-
81	परवतसींग पिता बडूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	386/2	0.270	0.000	0.270	0.000	-
			387/2	0.400	0.000	0.400	0.000	-
82	सुनीता बाई प्रतिन लाखनसींग प्रीति पति तरवर सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	391	2.500	0.000	2.500	0.000	बैरी 1 रैजा 7 बबूल 3 खैर 1 पीपल 1
			398	0.500	0.000	0.500	0.000	-
83	चैनसिंह पिता संतोषसिंह पता पडवार सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	393/1	0.150	0.000	0.150	0.000	-
			450/1	0.430	0.000	0.080	0.000	रैजा 4
			451/1	0.310	0.000	0.310	0.000	पीपल 1
84	उदयसिंह पिता संतोषसिंह पता पडवार सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	393/2	0.150	0.000	0.150	0.000	-
			451/2	0.300	0.000	0.300	0.000	-
85	रघुनाथसिंह रूपसिंह अवधेशसिंह दुर्गेशसिंह पिस.कुन्जनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	394	0.180	0.000	0.180	0.000	-
			404	0.260	0.000	0.260	0.000	-
			444	1.050	0.000	0.220	0.000	-
			446	0.580	0.000	0.580	0.000	-
			448	0.370	0.000	0.370	0.000	रैजा 1
			636	0.100	0.000	0.090	0.000	-
			637	0.070	0.000	0.070	0.000	-
86	उजयारसिंह पिता उमवराव सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	395/1	0.100	0.000	0.100	0.000	-
			447/1	0.080	0.000	0.080	0.000	-
87	इन्दल बहादुरसींग राजेन्द्र देशराज भोपाल पिता रंधीरसींग सतेन्द्र पुष्पेन्द्र पिता शीतलसींग राजकुमारी बेबा शीतलसींग जितेन्द्र शैलेन्द्र पिता साहबसींग विमलाबाई बेबा साहबसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	395/2	0.090	0.000	0.090	0.000	-
			403	0.990	0.000	0.990	0.000	-
			443	0.600	0.000	0.020	0.000	-
			447/2	0.090	0.000	0.090	0.000	-
88	धीरजसिंह पिता रतनसिंह लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	396	0.530	0.000	0.530	0.000	-
			449	1.780	0.260	0.000	0.010	अमरुद 2 ऊमर-2 कुआ पक्का-1
89	पुष्पलता पुत्री नारानसींग ताराबाई बेबा नारान सींग निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	397	0.530	0.000	0.530	0.000	-

90	कुन्जनसींग पिता जोधनसींगरधीरसींग पिता उमरावसींग उजयारसींग पिता उमराव भूमि स्वामी लोटनसींग धीरजसींग पितारतनसींग पूरन मकुन्द छोटे पिता तुलसी राम गिरजाबाईविधवा तुलसीराम भूमि स्वामी दौलत रगवीरबलू पिता प्यारेलाल प्रभू सिंह पिता नन्हू सोनाबाई भूमि स्वामी पिन्तुबाई पुत्री भगुन्तसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	399	0.920	0.000	0.920	0.000	-
			400	0.140	0.000	0.140	0.000	-
			401	0.310	0.000	0.310	0.000	बैरी 1
91	भोपालसींग पिता रन्धीरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	402	0.890	0.000	0.890	0.000	-
92	मगल ध्रुव पिता मूरतसींगसहोदा बेवा मूरतसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/1	1.090	0.000	1.090	0.000	बबूल 1
93	मानसींग पिता त्रिलोकसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/2	0.050	0.000	0.050	0.000	-
			406	0.330	0.000	0.330	0.000	-
			423	0.580	0.080	0.000	0.010	कुआ पक्का-1
94	लाखनसींग पिता रगबीरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/3	0.380	0.000	0.380	0.000	-
			407	0.520	0.510	0.000	0.010	कुआ पक्का-1
			409/1	0.180	0.000	0.180	0.000	-
95	भगवानसींग पिता प्रानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/4	0.080	0.000	0.080	0.000	-
96	भगतसिंह पिता बलू बृजरानी देवा बलू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	408/1	0.250	0.000	0.250	0.000	-
			409/2	0.090	0.000	0.090	0.000	-
97	ऊदमसिंह पिता बलू बृजरानी देवा बलू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	408/2	0.260	0.000	0.260	0.000	बबूल 1
			409/3	0.080	0.000	0.080	0.000	-
98	अनीता बाई पति राकेश कुमार जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	415	0.230	0.000	0.230	0.000	-
			416/2	0.780	0.000	0.780	0.000	-
99	हाकमसिंह पिता शिवसिंह पता पडवार बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग रामसिंह पिता शिवसिंह पता पडवार बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग लालसिंह पिता शिवसिंह पता पडवार बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग लक्ष्मणसिंह पिता शिवसिंह पता सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	416/1	0.880	0.000	0.880	0.000	रैजा 1 बबूल 1
100	लाखनसींग तरबरसींग पिस. निरंजनसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	417	4.730	4.050	0.000	0.030	जामुन 2 आम 1,बेल 1 अमरुद 5 बैरी 1,बबूल 4 खैर 2,कोहा 5 बांसधिरा 4 रैजा 1 यूकेलिपटस 2 शीसम 3 कुआ पक्का-1
101	शिवसींग पिता त्रिलोकसींग गफलूसींग शेरसींग खुमानसींग टीकाराम पिता दौलतसींग रामबाई बेवा दौलतसींग पूरनसींग मकुन्दसींग छोटे पिता तुलसीराम रानीबहू उर्फ गिरिजाबाई विधवा तुलसिया पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	418	0.310	0.000	0.180	0.000	-
			419	0.080	0.000	0.000	0.070	-
			420/1	0.100	0.000	0.100	0.000	बबूल 1

102	गफवू पिता दौलत पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	420/2	0.110	0.000	0.100	0.000	-
103	उदयमान इन्द्रमान जगमान पिस. थानसीग कलाबाई वैथानसीग कलाबाई वैथानसीग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	421	0.200	0.000	0.200	0.000	-
104	शिवराजसिंह पिता त्रिलोकसीग लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	422	0.570	0.290	0.000	0.010	कुआ पक्का-1
105	भगवानसीग पिता प्रानसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	445	1.510	0.000	1.500	0.000	बबूल 1
106	कोमलसीग पिता भगुन्तसीग पता पडवार बन्डा सागर सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	452	0.210	0.000	0.050	0.000	-
107	पहाडसिंह पिता भबूदेसिंह पता पडवार बन्डा सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	638	0.990	0.000	0.720	0.000	बबूल 1 रैजा 2
108	कड़ोरी ना.वा.पिता बहादुरपालक मां ताराबाई जोजे बहादुरसिंह लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	646	0.980	0.000	0.680	0.000	खैर 1
109	बहादुर सिंह पिता फूलसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	647	0.300	0.000	0.270	0.000	-
110	पहारसीग पिता भबूदसीग लोधी पता सा.झिला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	648	1.340	0.000	1.230	0.000	-
	कुल योग :-		206	124.590	14.150	95.090	0.600	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या (ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी सहाय या

- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अत्यंत सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कुब्रिस्तान या शवदाह गृह

- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर-35 में खसरा नंबर 270 रकबा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 11/03/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-22-अ-82-18-19-भू-अर्जन-21-898.

मौजा निमोन पट.ह.नं.-15 तहसील बण्डा

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सम्भावित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

(1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : बण्डा
3. ग्राम : नीमोन
4. पट.ह.नं.- : 15
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 36.220 हे.

:: अनुसूची ::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.में.)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4		6	7	8	9
1	लोटनसींग पिता औतारफूलसींग गुलझारसींग पिता भगुन्तसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2	1.090	0.000	1.090	0.000	-
2	गुलझारसींग पिता भगुन्तसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3	0.340	0.000	0.340	0.000	रेंजा-1
			11	0.900	0.160	0.000	0.000	कुआ पक्का
3	भरतसींग उर्फ प्रानसींग पिता भोपालसींग पता सा.बेसली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4	0.310	0.000	0.310	0.000	-
			7/2	0.240	0.000	0.230	0.000	-
			8	0.800	0.000	0.460	0.000	-
4	प्रतापसिंह वल्द मलखानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/1	0.080	0.000	0.080	0.000	-
5	प्रहलादसींग पिता मलखानसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/2	0.080	0.000	0.080	0.000	-
6	श्यामसिंह सरोज कलावती बा निशा नाबा. पिस विन्द्रावन पा व खुदमा ज्ञानबाई बेवा विन्द्रावन पता नीमोन बंडा सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/3	0.080	0.000	0.080	0.000	-
			36/1	0.100	0.000	0.060	0.000	-
			210/4	0.170	0.000	0.080	0.000	-

7	गिरजाबाई जोजे अमोलसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	0.190	0.000	0.190	0.000	—
8	भगवानसिंह पिता हीरासिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/1	1.000	0.000	1.000	0.000	—
9	कुन्जनसींग वल्द खिलानसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	0.160	0.140	0.000	0.000	बबूल-3
			15	0.410	0.400	0.000	0.000	—
			18	0.160	0.150	0.000	0.010	बबूल-1 शोबबूल-8 कोहा-1 करोंदा-5 झाड़ अमरुद-1 नीबू-1 जामुन-1 कुआ कच्चा -1
10	अमोलसींग पिता मंगलसींग लोधी पता सां. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	16	0.580	0.560	0.000	0.020	बबूल-1 इमली-1 आंवला-2 अमरुद-4 आम-1 कुआ पक्का -2
11	जयबाई जोजे कुन्जन सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/1	0.200	0.000	0.200	0.000	रेंजा-1 बेरी-1
12	विपत पि. दीरसींग पता नीमोन बंडा सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/2	0.480	0.000	0.480	0.000	खैर-1 रेंजा-3
			22/4	0.250	0.240	0.000	0.010	कुआ पक्का -1
			24/2	0.560	0.000	0.300	0.000	—
13	विजय पिता दरयाव पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19/1/ 1	0.240	0.210	0.000	0.030	कुआ पक्का-1 बबूल-1 शोबबूल-10 खैर-1 नीम-1 छेवला-3 बांसभिरा-1 अमरुद-1 बेरी-2
			22/1/1	0.950	0.940	0.000	0.010	केम-1 बबूल-1 रेंजा-6 बहेरा-1 बेरी-2 अमरुद-1 आम-1 कुआ पक्का-1
14	अकित पिता मुलू पता नीमोन सागर मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी पूरन पिता मुलू पता नीमोन सागर मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी गुडडीबाई बेवा मुलू पता नीमोन 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19/1/ 2	0.240	0.000	0.240	0.000	—

15	पुष्पेन्द्र पिता नारायणसींग पता नीमोन बंडा सागर संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19/2/1	0.120	0.000	0.120	0.000	बबूल-1 खैर-1 रैजा-7
16	भगवानसिंह पिता महाराजसिंह पता बडकुआ सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19/2/2	0.120	0.000	0.120	0.000	-
			19/2/3	0.240	0.000	0.240	0.000	-
17	महेन्द्र पिता गुलाव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/1	0.100	0.090	0.000	0.010	रैजा-4 बबूल-2 बेरी-1 कुआ पक्का-1
			20/4	0.200	0.000	0.200	0.000	-
			42/2	0.070	0.000	0.070	0.000	-
18	मुलाम पिता नारानजू देवेन्द्र सुजान पिता थानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/2	0.220	0.000	0.200	0.020	-
19	चन्द्रवती जोजे गुलाव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/3	0.200	0.000	0.200	0.000	-
20	सरदारसिंह पिता जनकसिंह लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21	0.140	0.000	0.140	0.000	बबूल-1
21	पूरन पिता मुलू पता नीमोन बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी अंकित पिता मुलू पता नीमोन बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी गुडडीबाई बेवा मुलू पता नीमोन बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	22/1/2	1.710	1.700	0.000	0.010	कुआ पक्का -1
22	गुडडी पत्नि उत्तम पता नीमोन सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	22/2	0.800	0.790	0.000	0.010	रैजा-4 कुआ पक्का -1
23	बबूलू पिता वीरसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	22/3	0.400	0.000	0.380	0.000	रैजा-1 बेरी-1
24	लोटनसींग रामसींग परतापसींगपिता औतारसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23/1	0.490	0.000	0.010	0.000	-
25	ममता बाई पति नरेन्द्र सिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23/2	0.480	0.000	0.130	0.000	-
26	प्रेमनारायण पिता भगवान सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	35	0.810	0.000	0.290	0.000	रैजा-1
			211	0.580	0.000	0.560	0.000	रैजा 1
27	भगवानसिंह पिता रूपिया पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39/1	0.650	0.000	0.460	0.000	बेरी-1
28	प्रेमसींग पिता राजकुमार सौर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39/2	0.090	0.000	0.090	0.000	-
29	राजेशसिंह पिता भगवानसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40/1	0.150	0.000	0.150	0.000	-
30	साहवसिंह मदन पिता भीकम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40/2	0.150	0.000	0.150	0.000	बबूल 2
31	लाखन पि लटकन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42/1	0.210	0.000	0.210	0.000	-
32	रूपसिंह पिता आधारसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42/3	0.070	0.000	0.070	0.000	-
			134	0.100	0.000	0.010	0.000	-
33	निरतापसिंह पिता आधारसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42/4	0.070	0.000	0.070	0.000	बबुल-1

34	संतोष पिता खिलान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	46	0.370	0.000	0.370	0.000	बबूल-1
			55/2	0.750	0.180	0.000	0.000	-
35	राजेन्द्रसिंह नारायणसिंह पिस. भीकमसिंह पता. सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	49	0.560	0.000	0.560	0.000	बबूल-1 रेंजा-3
36	रामाधर पिता धनीराम सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55/1	1.490	0.000	0.050	0.000	बेरी-1
37	प्रेमनारायण पिता खिलान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55/3	0.750	0.000	0.140	0.000	-
38	शोरसीग राघवेन्द्र केशरी पिस. छत्तरसीग कस्तूरीबाई देवा छत्तरसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	133	2.120	0.850	0.000	0.000	बबूल-5 रेंजा-2
39	श्रीपाल पिता भीकमसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	209	0.520	0.000	0.150	0.000	-
40	भीकमसीग पिता सरमन यादव पता सा. पडवार भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	210/1	0.650	0.000	0.450	0.000	-
			210/2	0.170	0.000	0.100	0.000	-
			210/3	0.170	0.000	0.100	0.000	-
41	संजलीबहु देवा हीरासीगभोपालसीग भगवानसीग भीकमसीग पिता हीरासीगमलखानसीग पिता मरदनसीग भूमि स्वामी विन्दावन टीकाराम पिताचुन्नीलाल कोशाबाई देवा चुन्नीलाल फूलबाई देवानंनई भूमि स्वामी अमोलसीग पिता मंगलसीगसीताबाई देवा मंगलसीग लोधी सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	212	0.320	0.310	0.000	0.010	रेंजा-2 कुआ कच्चा -1
42	रगवीर पिता रामसीगयादव पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	213	0.060	0.000	0.060	0.000	-
43	भुन्जोबाई देवा बट्टीकल्लोबाई पुत्री बट्टी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	214	1.390	0.000	1.390	0.000	बबूल-2 रेंजा-1 बेरी 1
			308	0.130	0.000	0.030	0.000	रेंजा 1
			326/2	0.020	0.000	0.000	0.020	-
			329/2	0.020	0.000	0.020	0.000	-
44	पानबाई पुत्री मोहनसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	215	0.030	0.000	0.000	0.030	-
45	दयाराम हुकुम बली हरीसीग पिता वन्दे वीरसीग पिता वखतसीग कुसुमरानी देवा वखतसीग तुलसी पिता कडू कडोरी पिता जगन्नाथ धनसीग पिता गुलाव. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	216	0.140	0.000	0.140	0.000	बबूल-1 बेरी 1
46	टीकाराम सीताराम कृष्णपाल हरभजन पिस. नथू मेंदाबाई देवा नथू पता सा. पडवार भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	217	1.490	1.450	0.000	0.040	कुआ पक्का -1 कोहा-1 बबूल-3
47	रामलाल पिता हीरालाल सियारानी देवा हीरालाल पता. सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	218	1.300	1.290	0.000	0.010	बबूल-1 रेंजा-1 कुआ पक्का-1
48	राजू ब्रिजेश पिता मोती गुलाबबाई देवा मोती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	219/1	0.080	0.000	0.080	0.000	-
			228/1	0.580	0.000	0.580	0.000	-
49	धनीराम उर्फ धनसीग पिता भगोनी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	219/2	0.090	0.000	0.090	0.000	-
			228/2	0.570	0.000	0.570	0.000	-
50	बल राम पिता नन्नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	220/1	0.070	0.000	0.070	0.000	-

51	सुख साहब पितातुलसीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	220/2	0.120	0.000	0.120	0.000	-
			292	0.200	0.000	0.200	0.000	-
			294	0.120	0.000	0.120	0.000	रैंजा-3
52	लक्ष्मीनारायण पिता नंनाई यादव पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	220/3	0.060	0.000	0.060	0.000	-
53	कड़ीरी पिता जगन्नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	221	0.080	0.000	0.000	0.080	-
			231	0.490	0.000	0.490	0.000	रैंजा-1
			290	1.360	0.000	1.230	0.000	रैंजा-7
			307	0.080	0.000	0.000	0.040	-
			224	0.190	0.000	0.190	0.000	-
			225	0.230	0.000	0.230	0.000	-
			325	0.240	0.000	0.060	0.000	-
			328	0.020	0.000	0.000	0.020	-
			330	0.090	0.000	0.090	0.000	-
			333	0.090	0.000	0.000	0.080	-
334	0.110	0.000	0.100	0.000	-			
54	शिवराज रामकिशोर चूरामन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	229/1	0.320	0.000	0.320	0.000	-
55	कमला जोजे जयराम निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	229/2	0.240	0.000	0.240	0.000	-
56	जयराम पिता नथू पता सा. पडवार भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	230	0.370	0.000	0.370	0.000	-
57	लोटन पिता बैजनाथ पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी सूरत पिता बैजनाथ पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी भरत पिता बैजनाथ पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी देशराज प्रवेश कैलाश रानी संध्या पिता श्री राम देवकीबाई बेवा श्रीराम पता नीमोन सागर 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	232	0.450	0.000	0.450	0.000	रैंजा-1
			297	0.190	0.000	0.190	0.000	कोहा-1 रैंजा-3 छेवला-1 बबूल-4
			299	0.620	0.000	0.620	0.000	-
58	रामलाल पिता हीरालाल सियारानी बेवा हीरालाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	233	1.020	0.000	0.290	0.000	रैंजा-1
			288	1.980	0.000	1.720	0.000	रैंजा-1
			306	0.520	0.000	0.510	0.000	-
59	मुन्ना गुपाल पिता द्वारका पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	234/2	1.210	0.120	0.000	0.000	कुआ पक्का 1
60	राधाबाई उर्फ फूलबाई बेवा नंनाई पता नीमोन सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	291	0.490	0.000	0.490	0.000	-
61	राजेन्द्र राजेश पिता सुखसाहब पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	293	0.230	0.000	0.230	0.000	रैंजा-5
62	प्रानसिंह पिता धनप्रसाद पता नीमोन बंडा सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	295	0.190	0.000	0.190	0.000	-
			300	0.790	0.780	0.000	0.010	बबूल-1 रैंजा-1 बेरी 4 कुआ पक्का -1
			301	1.450	0.000	0.860	0.000	-

63	कड़ोरी पिता जगन्नाथकाशीबाई बेवा जगन्नाथ लोटन श्रीराम मूरत भरतपिता बैजनाथ नईबहू बेवा भूमि स्वामी बैजनाथ शांति पुत्रीबैजनाथ पता सा.उल्दन भूमि स्वामी धनप्रसाद पिता गुलाब पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	298	0.150	0.000	0.000	0.150	-
64	लोटन श्रीराम मूरत भरत पिता बैजनाथ पता सागर सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	302	1.090	0.000	0.530	0.000	-
65	उत्तरसींग पिता उदतसींग पता.सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	303	2.710	0.040	0.000	0.000	खैर-1 रेंजा-1
			331	0.030	0.000	0.030	0.000	-
66	कल्लोबाई पुत्री ब्रदीप्रसाद पता नीमोन सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भुन्जोबाई बेवा ब्रदीप्रसाद पता नीमोन बन्डा सागर 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	304	1.050	0.000	0.960	0.000	रेंजा-5 बबूल-2
67	जयराम सीताराम नर्मदा भरत पि. काशीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	305	0.050	0.000	0.000	0.050	-
68	कैलाश ब्रजेश पिता जगत पता बंडा सागर सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	326/4	0.020	0.000	0.000	0.020	-
			329/4	0.020	0.000	0.000	0.010	-
69	दरोगा सिंह भोले विश्वनाथ भगवानसींग रामसींग महेश पिता हरीराम द्रोपती बाईबेबा हरीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	326/3	0.020	0.000	0.000	0.010	-
			329/3	0.020	0.000	0.000	0.020	-
70	बूठे साहब पिता नथू फूलबाई बेवा नथू पुष्पेन्द्र पिता राजधर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	326/1	0.020	0.000	0.000	0.020	-
			329/1	0.020	0.000	0.020	0.000	-
71	बूठे साहब पिता नबूफूलबाई बेवा नबू पुष्पेन्द्र ना.वा.पिताराजधर पा.चाचा बूठे भूमि स्वामी ब्रदी हरीराम जगत पिताबाबूलाल गनेश पिता बिहारी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	327	0.120	0.000	0.120	0.000	-
कुल योग:-			116	50.490	10.400	25.070	0.750	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
- (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीडा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर-35 में खसरा नंबर 270 रकबा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30x50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और

ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 12/03/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-77-अ-82-2020-21-भू-अर्जन-1194.

सागर, दिनांक 6 फरवरी 2021

(देखिये धारा 11)

मौजा-घाना पट.ह.नं.-07 तहसील केसली

:: प्रारंभिक अधिसूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि 'अनुसूची-1 में वर्णित भूमि पर स्थित परिसंपत्ति की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर को सूरजपुरा परियोजनांतर्गत के अन्तर्गत जलाशय निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 4205 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि (स्थावर परिसंपत्ति) का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सूरजपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : घाना
 4. पट.ह.नं.- : 07
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.00 हे.
 (शासकीय भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति)

:: अनुसूची-1 ::

सं० क्र०	भूमि स्वामी का विवरण	स्वामित्व का अधिकार	खसरा नं०	कुल रकवा (हे० में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित परिसंपत्ति का विवरण (वर्ग मी० में)	रिमारक
1	सुखराम पिता मकुन्दी सा०देह	-	249 शासकीय	-	मकान कच्चा- 96 वर्गमी० टपरा- 48 वर्गमी०	
	योग:-		01		144 वर्गमी०	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी

अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक- 03/10/14 के पृष्ठ क्रमांक- 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- 2 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-78-अ-82-2020-21-भू-अर्जन-1193.

(देखिये धारा 11)

मौजा-खजुरिया पट.ह.नं.-08 तहसील केसली

:: प्रारंभिक अधिसूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि पर स्थित परिसंपत्ति की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर को सूरजपुरा परियोजनांतर्गत के अन्तर्गत जलाशय निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 4205 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि (स्थावर परिसंपत्ति) का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सूरजपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : खजुरिया
 4. पट.ह.नं.- : 08
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.00 हे.

(शासकीय भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति)

:: अनुसूची-1 ::

सं० क्र०	भूमि स्वामी का विवरण	स्वमित्व का अधिकार	खसरा नं०	कुल रकवा (हे० में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित परिसंपत्ति का विवरण (वर्ग मी० में)	टिप्पणियाँ
1	भरत पिता जगन्नाथ यादव नि० खजुरिया	-	66 शासकीय	-	मकान कच्चा- 96.90 वर्गमी० टपरा- 22.10 वर्गमी० लेट्टिंग पक्की - 1.20 वर्गमी०	
2	द्वारका पिता शंकर यादव	-	66 शासकीय	-	मकान कच्चा- 51.60 वर्गमी०	
योग:-			02		171.80	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन

किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक- 03/10/14 के पृष्ठ क्रमांक- 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- 2 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-15-अ-82-18-19-1438.

सागर, दिनांक 11 फरवरी 2021

मौजा-हनौता पटवारी हल्का नं.-26 तहसील खुरई
(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम :- हनौता सिंचाई परियोजना हनौता बांध
(2) भूमि का विवरण :-
1. जिला सागर
2. तहसील खुरई
3. ग्राम हनौता
4. पटवारी हल्का नं. 026 हनौता
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 63.040 हे.

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	हीरालाल दत्तकपुत्र खेमचंद पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90	2.600	1.030	0.000	0.000	गुरार-1 छेवला-1 बबूल-1
2	मेहताप पिता भुजबल अहिरवार पता हनौता खुरई सागर मध्य प्रदेश 100/171 भाग भू-स्वामी जनकरानी वेवा हरप्रसाद अहिरवार पता हनौता खुरई सागर मध्य प्रदेश 71/171 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	91	1.710	1.500	0.000	0.000	बबूल- 4 रंजा-1 बेरी-2
3	राजकुमार गंभीर कमलाबाई सविता उर्फ सावित्री बाई पिता इमरतिया श्यामरानी वेवा इमरतिया पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92	0.750	0.700	0.000	0.000	रंजा-1 बबूल- 4 छेवला-1

4	मनोहर पिता गुंजा उर्फ गुंजे पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी हरप्रसाद पिता गुंजा उर्फ गुंजे पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी नर्वदीबाई पिता गुंजा उर्फ गुंजे पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी हीराबाई पिता गुंजा उर्फ गुंजे पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी जयबाई पिता गुंजा उर्फ गुंजे पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी मीनाबाई पिता गुंजा उर्फ गुंजे पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी सरस्वती बेवा गुंजा उर्फ गुंजे पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	93	1.210	1.200	0.000	0.010	-
			219	0.790	0.790	0.000	0.000	-
5	मानक सुरेश पिता कुन्दलाल लक्ष्मी पुत्री कुन्दलाल रामरानी बेवा किशनलाल अहिरवार पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	94/1	0.860	0.830	0.000	0.030	बबूल-2 रेंजा-1 नीम-1 बेरी-3
6	कल्याण रामबाबू प्रभा अनीता सुनीता पि० जगन मुहरबाई बेवा जगन अहिरवार पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	94/2	0.870	0.000	0.870	0.000	-
7	अभय कुमार पिता धन्नालाल पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	173	2.440	2.400	0.000	0.040	गुरार-1 बबूल-1 सेमर-2 नीम-1 रेंजा-1 मकान पक्का- 151.88 वर्ग मी.
8	जमना तुलाराम पिता आशाराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	174	1.170	0.000	1.170	0.000	नीम-1 बबूल-1
9	प्रवीण कुमार पिता ओमप्रकाश असाठी पता नानक वार्ड खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी कौशलकिशोर पिता ओमप्रकाश असाठी पता नानक वार्ड खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	175	2.180	0.000	1.630	0.000	गुरार-3

10	विजय कुमार पिता कुन्दनलाल पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	176/1	1.840	0.000	1.530	0.000	रेंजा-1
11	सुनील कुमार सुधीर नीता राखी सरिता पिता अशोक कुमार आशाबाई बेवा अशोक कुमार पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	176/2	1.850	0.050	0.000	0.000	-
12	नवीनकुमार भूपेन्द्रकुमार रामस्वरूप आसुतोष मनोजकुमार शशिकला कल्पना उर्मिला पिता भोलाशंकर ललिताबाई वेवा भोलाशंकर पता खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	178	1.710	0.000	1.710	0.000	-
13	भगवती प्रसाद पिता विन्द्रावन पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	179	0.820	0.000	0.820	0.000	बबूल- 1
			190/1	2.470	0.000	2.470	0.000	-
14	पदम कुमार पिता धन्ना लाल पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	180	2.020	1.200	0.000	0.820	सागौन-740 गुरार-6 शीशम-9 नीम-2 बबूल- 4 शूलबबूल-1 छेवला-5
			181	2.420	2.400	0.000	0.020	नीम-1 बबूल-2 बाँसभिरा-8 चमरकरा-1 शूलबबूल-1 गुरार-2 खेर-1 बैरी-4 घजा-1 कुँआ पक्का-1 नलकूप-1
15	फूलसींग पिता हिम्मत पता सा.सतनाई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	183	0.700	0.000	0.700	0.000	-
16	राजाराम पिता खूबे पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	184	0.610	0.000	0.600	0.010	सैमर-1 खैर-1 सतकठा-1

17	कुअरसीग निरभे मुकेश प्रीतम सन्तोष ना-वा- पिता नन्दराम रामवती पुत्री नन्दराम वली व खुद प्रेमरानी वैवा नन्दराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	185	0.610	0.000	0.610	0.000	खैर- 2
18	उत्ताराबाई पति बजलाल पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	186	0.620	0.000	0.620	0.000	बबूल- 5 रेंजा- 1 सैमर- 1
19	मल्हू उमराव पिता रामदयाल पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	188	0.600	0.000	0.600	0.000	-
20	इदरीस खान पिता इसरायल खान पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	189	2.310	2.300	0.000	0.010	सैमर-3 बबूल-4 शूलबबूल-1 बाँसभिरा-2 छेवला- 1 बेरी- 4 कुँआ-1 नलकूप-1
21	दिनेशकुमार पिता भगवतीप्रसाद पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	190/2	2.000	0.000	2.000	0.000	गुरार-2 बबूल-1 छेवला-1 नीम-1
22	द्रोपती बाई पति मूरत सिंह जाति राजपूत पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी उमा पुत्री मूरत सिंह जाति राजपूत पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी रजनी पुत्री मूरत सिंह जाति राजपूत पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	191/1	0.290	0.280	0.000	0.010	बबूल-1
23	हरकिशोर पिता मूरतसिंह जाति राजपूत पता खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	191/2	1.400	1.360	0.000	0.040	सैमर-1
24	हरपाल सिंह पिता मूरत सिंह जाति राजपूत पता खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	191/3	1.400	1.360	0.000	0.040	रेंजा-1

25	घासीराम ओमप्रकाश पिता मंहगू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	192/1	0.810	0.800	0.000	0.010	बबूल- 2 बेरी- 1 बेल-1
26	ओमप्रकाश पिता मंहगू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	192/2	0.400	0.000	0.400	0.000	नीम-1
			238/2	0.370	0.370	0.000	0.000	-
27	नारायण रामचंद राम कृष्ण अभय कुमार पि. गोटीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	193	1.630	0.000	1.600	0.030	-
			244	5.660	0.000	5.600	0.060	बबूल- 5 बहेरा- 2 रेंजा- 1 गुरार- 1 सैमर- 1
28	रामकलौ बाई पति लछमन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	201/1	0.500	0.000	0.350	0.000	-
29	महताप पिता कलू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	203	0.780	0.000	0.750	0.030	बाँसघिरा-1 नीम-3 छेवला-2 गुरार-3 गुन्जा-1 बबूल-4
30	गोवर्धन_तुलसीराम_सुदामा_भानूप्रताप_सुमित्रा विमला_पिता_पूरन_तुलसाबाई बेवा पूरन नत्थू हल्कीबेन पिता दीनदयाल पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	206	0.400	0.000	0.400	0.000	-
31	आमिर पिता इकराम नीलू रेशमा पिता इकराम पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207	0.200	0.000	0.100	0.000	-
32	हल्काई पिता सटोले पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	215	0.500	0.000	0.210	0.000	-
33	कोमलबाई पति मिटठू पुत्री रम्पे अहिरवार पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	218/1	0.670	0.000	0.550	0.000	-
34	राजेश अरविंद रामवती कपूरीबाई पिता दुर्जन बैटीबाई वेवा दुर्जन पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	218/2	0.680	0.000	0.660	0.000	बहेरा- 1

35	कोमलबाई पाते भिदद पुत्री रम्ये पता निवासी ग्राम खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	218/3	0.670	0.000	0.670	0.000	-
36	गनेशीबाई वेवा छुट्टे अमोलसीग मुत्रालाल पिता छुट्टे छोटीबाई उर्फ दुलारी वेवा रामदयाल हरिशचन्द वा शिवराज भूमि स्वामी ना.वा.पिता रामदयाल वलीमाँ छोटीबाई उर्फ दुलारी ववीता पुत्री रामदयाल अहिरवार पता सा- देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	220	1.510	1.500	0.000	0.010	नीम-1 बबूल-1 सैमर-1 कनैर-1 रेंजा-1
			221	0.140	0.140	0.000	0.000	बरगद- 1
37	गनेश पिता गजू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	222	0.180	0.180	0.000	0.000	बबूल-1
			223	1.820	1.820	0.000	0.000	बबूल-2
38	ओम प्रकाश पिता जगन्नाथ पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	225	0.790	0.790	0.000	0.000	-
39	किरण रानी पत्नि ओम प्रकाश पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	226	0.840	0.840	0.000	0.000	-
40	कैलाशचंद पुत्र जगन्नाथ असाटी पता हनौता खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	227	0.840	0.800	0.000	0.040	बबूल-1
41	भगवती प्रसाद पिता विन्द्रावन पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी फूलचंद पिता चतुर्भुज पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी नवीनकुमार भूपेन्द्रकुमार रामस्वरूप आसुतोष मनोजकुमार शशिकला कल्पना उर्मिला पिता मोलाशंकर ललिताबाई वेवा मोलाशंकर पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी रामनाथ पिता चतुर्भुज पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी कुन्दनलाल पिता विन्द्रावन पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी रामचंद पिता विन्द्रावन पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	228/1	0.830	0.000	0.800	0.030	-

42	शुभम ना.वा.पिता व पालक प्रेमप्रकाश पिता भगवतीप्रसदा पता निवासी ग्राम खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	228/2	0.210	0.000	0.210	0.000	-
43	हेमलता पत्नि प्रेमप्रकाश आसाटी पता निवासी ग्राम सुभाष वार्ड खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	228/3	0.210	0.210	0.000	0.000	सैमर-1
44	गोपाल पिता धन्ना पता सा.देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	229/1	0.890	0.850	0.000	0.040	बबूल-4 शूलबबूल-9 बेरी-3 अनार-1 आम-25 वेल-5 जामुन-1 नींबू-1 अमरुद-65 कुँआ-1
45	टीकाराम पिता धन्ना अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	229/2	0.890	0.890	0.000	0.000	शूलबबूल-4 गुरार-1 बबूल-3 रेंजा-1 वाँसा- 1 छेवला-1 चंदन इमली-1 अमरुद-4 आम-1 बेरी-6 कुँआ पक्का-1
46	चतुभुज मोजीलाल कस्तूरीबाई पिता मुल्ले जयबाई वेवा मुल्ले पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	231	0.920	0.920	0.000	0.000	शूलबबूल-25 बबूल-1 बेरी- 4 छेवला-1

			232	0.120	0.120	0.000	0.000	आम-14 जामुन-6 नींबू-5 वेल-1 महुआ-1 खजूर-1 शूलबबूल-8 नीम-3 सैंजा-1 जमरासी-1 मकान कच्चा- 31.04 वर्ग मी.
			233/2	0.120	0.120	0.000	0.000	अमरुद-66 केला- 2 कठहल-1 शूलबबूल-8 नीम-1 किरवारी-1 जमरासी-2 छेवला-1
			236	0.840	0.840	0.000	0.000	नीम-1 शूलबबूल-4 बेरी-4
47	फूलचंद पिता तुलाराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	234	0.500	0.000	0.500	0.000	-
48	प्रहलाद पिता भरोसे पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	235	0.500	0.000	0.500	0.000	-
49	किशन बलराम गोपाल कमलाबाई फूलाबाई कपूरीबाई पिता हरजू अहिरवार पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	237	1.190	1.190	0.000	0.000	गुन्जा-3 सैमर-1 कोहा-1 बेरी-1
50	आजादरानी पत्नी प्रकाश पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	238/1	0.400	0.400	0.000	0.000	बाँसभिरा-3 शूलबबूल-2 बबूल-1 अमरुद-4 नींबू- 4 रायकरोदा-2 इमली- 1 नलकूप-1
			238/6	0.400	0.400	0.000	0.000	-

51	घासीराम पिता मंहगू कुशवाहा पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	238/3	0.650	0.650	0.000	0.000	शूलबबूल-5 बबूल-1
52	सीताराम पिता मेगू पता सा0-देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	238/4	0.310	0.000	0.310	0.000	बबूल-3 शूलबबूल-26 बाँसघन्निरा-1 जामुन-2
53	दुगोप्रसाद पिता प्रकाश पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	238/5	0.210	0.000	0.210	0.000	बेसी-1
54	कृष्णाबाई वेवा कुन्दनलाल पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	239	0.170	0.170	0.000	0.000	शूलबबूल-28 रुसल्ला-1 कंजी-1 बाँसघन्निरा-1 आम-1 नींबू-6 जामुन-1 अमरुद-7
55	हीरालाल प्रहलाद मायाबाई लीलाबाई राधाबाई पिता मुल्ला अहिरवार पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	242	1.210	0.000	1.210	0.000	-
कुल योग:-			66	68.210	31.400	30.360	1.280	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय ; या

- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सूखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (14.7) यथेचित पंचायत घर
- (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

- (14.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक समा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे. और खसरा नंबर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नंबर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-0102अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 18/3/2021 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-19-अ-82-18-19-1436.

मौजा-दलपतपुर रैयतवारी पटवारी हल्का नं.-35 तहसील खुरई
(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम :- हनौता सिंचाई परियोजना हनौता बांध
- (2) भूमि का विवरण :-
1. जिला सागर
 2. तहसील खुरई
 3. ग्राम दलपतपुर रैयतवारी
 4. पटवारी हल्का नं. 35
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 25.810 हेक्टे.

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	बबलेश वा, राजकुमार कृष्णकुमार धर्मनद्र बा पिता घूमनसींग भारती पुत्री घूमन सिंह भूमि स्वामी स.प.क्र 2आ.दि 13-07-09 के अनु राघारानी बेबा घूमनसींग पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2	1.210	1.150	0.000	0.060	सागौन-5 शीशम-1
			13	0.850	0.800	0.000	0.050	सैमर-3

2	अरविन्द्र जितेन्द्र पिता नारायणसिंह ममता सुनीता पुत्री नारायणसिंह सावित्री बेवा नारायणसिंह पता खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3	1.210	1.150	0.000	0.060	सैमर-3 सेजा-1 सागौन-1 पीपल-1
			12	0.850	0.000	0.800	0.050	-
3	प्रकाश शोभारानी पिता अजुद्धी सूरजबाई बेवा अजुद्धी इन्द्रपाल संदीप अमिलासा राखी पिता महेश निशाबाई बेवा महेश पता खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4	1.210	1.150	0.000	0.060	-
			11	0.850	0.800	0.000	0.050	-
4	सुखसीग पिता गिरधारी पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5	1.210	1.150	0.000	0.060	मैनार-1 सागौन-3 शीशम-1
			14	0.850	0.000	0.800	0.050	मैनार-1
5	गजेन्द्र वंदनाबाई पिता मुन्ना जानकीबाई बेवा मुन्ना पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	1.210	0.000	1.200	0.010	वहेरा-1 रेन्जा-5 छेवला-1 केम-1 सैमर-1 खैर-1 सागौन-2 कोहा-1 सतकठा-4
			15	0.850	0.000	0.800	0.050	-
6	रामगोपाल पिता गिरधारी पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7	1.210	0.000	1.150	0.060	रेन्जा-3 खैर-4 सैमर-1 छेवला-2 सागौन-2
			16	0.850	0.000	0.800	0.050	-
7	लखन पिता गिरधारी पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8	1.070	1.000	0.000	0.070	तेन्दू-1 सैमर-2 खैर-2 रेन्जा-2 गुरार-1 गुन्जा-1 सतकठा-1
			17	1.000	0.950	0.000	0.050	-

8	गायत्रादेवी पत्नि पन्नालाल पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/1	1.600	1.550	0.000	0.050	सतकठा-30
9	आत्मा पति प्रकाशसिंह सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/2	1.600	0.000	1.550	0.050	तेन्दू-6 वहेरा-3 आम-1 सेजा-5 सतकठा-50 सैमर-13 खैर-2 गुन्जा-1 रुसल्ला-1
10	पन्नालाल पिता बटदूलाल सा देह पता खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/3	1.790	1.700	0.000	0.090	आँवला-1 इमली-1 वहेरा-1 सेजा-1 छेवला-3 गोंद-3 सागौन-1 कंजी-2 गौशाला कच्चा- 120.00 वर्ग मी. कुँआ पक्का-1
11	भूरे ऊर्फ शरद पिता कैलाशसिंह पता सा0खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/1	0.650	0.000	0.600	0.050	आम-1 वाँसधिरा-5 पीपल-1 नीम-1
12	सुरेन्द्रसिंह शरद पिता कैलाश प्रभा पति कैलाश सिंह कैलाश पिता बाबूलाल पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/2	1.700	1.700	0.000	0.000	महुआ-1 आम-1 वेल-1 बेरी-1 वाँसधिरा-2 सतकठा-1 नीम-1

13	बाबूलाल पिता मलखानसींग घोषी पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21/1/1	1.350	0.000	1.350	0.000	वहेरा-3 चिरोल-1 नीम-2 गुरार-2 बबूल-1 छेवला-2
14	लक्ष्मणसींग जसवंतसींग महेन्द्रसींग हेमंतसींग उर्मिला पिता भगवानदास कुमुमरानी बेवा भगवानदास मायादेवी बेवा हेमन्तसिंह जयसिंह नाबा० पिता हेमन्तसिंह पालक मां मायादेवी पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21/1/2	1.260	0.000	1.260	0.000	—
			23/1	0.090	0.000	0.080	0.010	—
15	जसवतसिंह पिता भगवानदास पता सा०खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21/2	1.300	1.250	0.000	0.050	चिरोल-1 सैमर-1 बबूल-2
			23/2	0.040	0.000	0.000	0.040	—
	कुल योग		24	25.810	14.350	10.390	1.070	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
 - (2) कांडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्धन अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
 - (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
 - (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
 - (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या
- (ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय ; या

- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुभूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (14.7) यथेचित पंचायत घर
- (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक समा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे. और खसरा नंबर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नंबर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-0102अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 17/3/21 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-20-अ-82-18-19-1441.

सागर, दिनांक 11 फरवरी 2021

मौजा-गिलटोरा पटवारी हल्का नं. 38 तहसील खुरई
(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| (1) परियोजना का नाम :- | हनौता सिंचाई परियोजना हनौता बांध |
| (2) भूमि का विवरण :- | |
| 1. जिला | सागर |
| 2. तहसील | खुरई |
| 3. ग्राम | गिलटोरा |
| 4. पटवारी हल्का नं. | 38 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 46.190 हेक्टे. |

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	श्रीमति मिथलेश पति देवी सिंह पता सा-ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/1	0.100	0.000	0.100	0.000	-
			7	0.940	0.900	0.000	0.040	छेवला-1
			8	0.940	0.900	0.000	0.040	बबूल-2
			24	1.080	1.050	0.000	0.030	खजूर-1 रेन्जा-1
			66/1	2.490	2.400	0.000	0.090	बेरी-2 बबूल-2 खैर-1 गुरार-1
			69/2	1.850	0.110	0.000	0.000	बेरी-4 जामुन-1 छेवला-9

2	हल्केई पिता मौजीराम रम्पा पिता मौजीराम रम्पा पिता मौजीराम पता सा. महुनाजाट भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5	0.080	0.000	0.080	0.000	कोहा-1 छेवला-2 गुन्जा-1
			10	1.450	1.400	0.000	0.050	बेरी-3 खजूर-1 रेन्जा-1 छेवला-2
3	सूरतसिंह पिता किशन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	0.400	0.400	0.000	0.000	बेरी-1
4	बलवन्त पिता परमा पता सा. महुनाजाट भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9/1	0.250	0.250	0.000	0.000	-
5	प्रेमबाई पति फूलसिंग राजपूत पता सा.सा महुनाजाट भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9/2	1.620	1.600	0.000	0.020	बेरी-1 छेवला-6 बबूल-3
6	रामकली पति रामलाल सा देह खुरई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11/1	1.110	1.100	0.000	0.010	बेरी-2 छेवला-1 रेन्जा-1
7	प्रेमबाई पुत्री रामाधार सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11/2	0.800	0.750	0.000	0.050	बेरी-5 रुसल्ला-1 बबूल-2 चिरौल-1 छेवला-3
8	हेमन्त नाबा0 पिता हम्मीरसिंह केशव नाबा0 पिता हल्केराम पालक हम्मीरसिंह पता सा बसिया गौड भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12	2.060	2.000	0.000	0.060	बेरी-4 बबूल-2 गुरार-3 सागीन-1 छेवला-1
9	अमरसिंग पिता चेतू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13	1.950	1.900	0.000	0.050	बेरी-14 खजूर-2 अमरुद-2 जामुन-1 मुनगा-1 छेवला-3 बबूल-2 रेन्जा-1 शूलबबूल-1 कुँआ पक्का-1
10	भुवानी गज्जू वा.हरदास वी सींग ना.वा. पिता पुत्री वली मां खुद सियाबाई बेबा पुत्री पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	0.900	0.890	0.000	0.010	आम-2 छेवला-1 ओपड़ी-1
11	प्रथम पिता गुपाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18	0.740	0.000	0.700	0.040	बबूल-1
			39	0.240	0.000	0.200	0.040	रेन्जा-2

12	नारायण पिता खिलान पता खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19	1.250	1.200	0.000	0.050	बबूल-1 कुँआ पक्का-1
			20/1	0.650	0.000	0.645	0.005	--
13	सूरतसींग पिता किशन पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी रम्मू पिता किशन पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी शक्कोबाई पुत्री किशन पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी रामवतीबाई पुत्री किशन पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी जमनाबाई पुत्री किशन पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सुनीता पुत्री जंगल पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/18 भाग भूमि स्वामी सुरेन्द्र नाबा पिता जंगल पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/18 भाग भूमि स्वामी कुसुमबाई बेवा जंगल पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/18 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/2	0.660	0.000	0.655	0.005	--
14	लखन सुनीता भरत ओकार लक्ष्मी ना वा पि धनु पा मा ज्ञानबाई वेवा धनु पता निवासी ग्राम शासन से प्राप्त भूमि भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21	1.160	1.100	0.000	0.060	छेवला-1 कुँआ पक्का-1 झोपड़ी-1
15	पप्पू पिता चेतू पता सा.देह शासन से प्राप्त भूमि भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	22	1.860	1.800	0.000	0.060	रुसल्ला-1 खजूर-2 बेरी-1 सागौन-2 रेन्जा-1 शूलबबूल-3 गुरार-1 बबूल-1
16	शांति बाई बेवा लक्ष्मीप्रसाद शासन से प्राप्त पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय अरविंदकुमार पिता हल्काई शासन से प्राप्त पता खुरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय पुष्पेंद्र पिता लक्ष्मीप्रसाद शासन से प्राप्त पता खुरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय ललित पिता लक्ष्मीप्रसाद शासन से प्राप्त पता खुरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय मनोरमा पुत्री लक्ष्मीप्रसाद शासन से प्राप्त पता खुरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय अल्का पुत्री लक्ष्मीप्रसाद शासन से प्राप्त पता खुरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय सुमंत्राबाई बेवा हल्काई शासन से प्राप्त पता खुरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	23	1.160	1.150	0.000	0.010	खजूर-11 छेवला-1 गुरार-1 बबूल-2 कुँआ पक्का-1

17	कमला बाई पति रमेश कुमार सा खुरई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26	0.330	0.000	0.300	0.030	खजूर-2 छेवला-2
			28/2	0.100	0.000	0.100	0.000	-
18	परमोबाई पिता भगोनी पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी ओमवती बेवा लालसींग पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी रघुवर पिता भगोनी पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी कोमलबाई पिता भगोनी पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी बारीबाई पिता भगोनी पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी कल्याण पिता नारान पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी गोविन्द पिता नारान पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी भारत पिता नारान पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी मेहरबान पिता नारान पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी ज्ञानबाई बेवा नारान पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	27	0.880	0.000	0.850	0.030	नीम-1
19	कल्याण गोविन्द भारत मेहरबान पिता नारायण ज्ञानबाई बेवा नारान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28/1	0.170	0.000	0.150	0.020	खजूर-13
			29/1	0.440	0.000	0.400	0.040	जामुन-1 वाँसधिरा-1 शूलबबूल-3
20	नधू पिता करन सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	29/2	0.200	0.190	0.000	0.010	कुँआ-1
			30	1.820	1.800	0.000	0.020	बेरी-2 अमरुद-3 आम-2 नींबू-1 खजूर-5 जामुन-4 सागौन-1 वाँसधिरा-1 शूलबबूल-1 बबूल-2 कुँआ पक्का-1
21	राजाभाई उर्फ रजुवा पिता मुलुवा पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	32/1	1.930	0.000	1.900	0.030	अमरुद-8 कटहल-1 आम-2 बेरी-3 जामुन-1 झोपड़ी-1
			42/1	0.110	0.000	0.100	0.010	आम-1

22	रामचरन पिता मुलुवा पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	32/2	1.920	0.910	0.000	0.000	बेरी-2 गुरार-1 नीम-1 शूलबबूल-2
			42/2	0.110	0.100	0.000	0.010	-
23	गुवरे पिता कडोरी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38	0.860	0.000	0.850	0.010	गुरार-1 खैर-1
			41	0.400	0.000	0.190	0.000	बेरी-7 आम-1 गुरार-1 शूलबबूल-11 सागौन-4 खैर-1 छेवला-3 झोपड़ी-1
24	अमरसिंग पप्पू गुड्डो पिता चेतु पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39/179	1.410	0.000	0.970	0.000	खजूर-1 बेरी-1 शूलबबूल-3 छेवला-2 रेन्जा-1 गुरार-1
25	गुलाब सिंह पिता खिलानसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43	0.200	0.000	0.190	0.010	खजूर-3
26	मन्दिर श्रीहनुमान जी महाराज मुहदौलत सींग पिता खिलानसिंह प्रबंधक कलेक्टर महो. सागर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	44	0.330	0.000	0.300	0.030	बेरी-1 खजूर-4 गुरार-1
27	तुलसीराम पिता कुदऊ पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45/1/1	0.340	0.000	0.340	0.000	बबूल-2 खैर-1
			45/2	0.330	0.000	0.330	0.000	वेल-1 सागौन-1 बबूल-1
28	भुवानी पिता पुन्नी पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी गज्जू पिता पुन्नी पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी हरदास पिता पुन्नी पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी वीरसिंग पिता पुन्नी पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी सियाबाई बेवा पुन्नी पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45/1/2	0.340	0.000	0.340	0.000	खजूर-6 गुरार-1 छेवला-1

29	शैलेन्द्रसिंह पिता भैयालाल श्रीमति रूपवती पति भैयालाल दांगी पता सा0 खजराहरचंद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	57	2.100	0.165	0.000	0.000	बबूल-1
30	शान्तिबाई बेवा गिरधारी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	62	0.910	0.590	0.000	0.000	बेरी-3 सागौन-1 शूलबबूल-1 कुआँ पक्का-1
31	कुदऊ पिता सेतु पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	63	1.240	1.200	0.000	0.040	मुनगा-1 जामुन-1 बेरी-1 अमरुद-4 नींबू-1 आम-1 नीम-1 छेवला-3 वाँसभिरा-1 कुआँ पक्का-1 झोपड़ी-1
32	कोमलसिंग पिता महेशसिंग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	65	1.900	1.900	0.000	0.000	खजूर-3 पीपल-2 नीम-1
33	बाबू श्यामबाई नाबा पिता गुबरे पालक व खुद मां रामरानी पति गुबरे पता सा कजरई शासन से प्राप्त भूमि भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	66/2	0.540	0.000	0.120	0.420	-
34	गोपी पिता रामलाल कमलाबाई पति गोपी पता सा0कजरई भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	66/3	0.530	0.000	0.500	0.030	-
35	गजराज पिता हरलाल जसोदा बाई पति गजराज पता सा0कजरई भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	66/4	0.530	0.000	0.500	0.030	छेवला-1
36	कुसुमबाई पति हीरालाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	67/1	0.750	0.700	0.000	0.050	छेवला-1 कुआँ पक्का-1
			68	0.600	0.420	0.000	0.000	छेवला-1
37	कुसुमबाई पुत्री लच्छू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	67/2	1.350	0.600	0.000	0.000	बेरी-10 शूलबबूल-15 गुआर-1
38	विश्वनाथ सिंह पिता देवी सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/1	0.400	0.000	0.125	0.000	बेरी-6 ऊमर-1 छेवला-7 नीम-1

39	जगदीश पिता दौलतसिंग पता खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/1	0.800	0.660	0.000	0.000	बेरी-12 खजूर-1 आँवला-1 अमरुद-1 बबूल-1 छेवला-9 गुरार-1 सागौन-1 कुँआ पक्का-1 पंप हाउस- 5.00 वर्ग मी.
			71/1	2.010	1.500	0.000	0.000	छेवला-3 महानीम-2
40	लक्ष्मणसिंह पिता दौलतसिंग पता खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/2	1.250	0.670	0.000	0.000	बेरी-3 ऊमर-2 रुसल्ला-2 शूलबबूल-3 नीम-1 रेन्जा-1 छेवला-5
41	खुबसिंह ऊर्फ भानूप्रताप पिता दौलतसिंग पता खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71/2	2.760	1.230	0.000	0.000	-
			72	1.820	0.060	0.000	0.000	कुँआ पक्का-1
42	उमराव पिता बल्ला पता सा.कजरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86/1	1.470	0.000	0.120	0.000	-
कुल याग			60	58.920	33.595	11.055	1.540	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय ; या

- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सूखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (14.7) यथेचित पंचायत घर
- (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

- (14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे. और खसरा नंबर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नंबर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-0102अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 16/3/2021 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-28-अ-82-18-19-भू-अर्जन-1435.

मौजा-कठैली पटवारी हल्का नं. 36 तहसील खुरई
(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम :- हनौता सिंचाई परियोजना हनौता बांध
- (2) भूमि का विवरण :-
1. जिला सागर
 2. तहसील खुरई
 3. ग्राम कठैली
 4. पटवारी हल्का नं. 36
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 9.310 हेक्टे.
- :: अनुसूची -01::

स.क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	गुलाबसिंह, हरनामसिंह, शशिवार्ड, गीताबाई, पिता कम्मोद सिंह, उमेदाबाई, गुड्डीबाई, मुन्नीबाई पिता मान सींग विक्रम सिंहना.वा, नीलू,नीतू वा पिता धीरज सिंह पालक वा खुद माँ खुद हुकमवाई बेवा धीरज सिंह बलराम हरीसिंह पिता बृजलाल नत्थी पुत्री बृज भूमि स्वामी लाल गनेशी बाई बेवा बृजलाल कीरतसिंह पिता मूलचंद गौरा बाई बेवा मूलचंद भूपेन्द्र हेमन्त हनमत पिता अश्वनी भूमि स्वामी कुमार दुर्गेश द्रोपती इन्दु पुत्री आश्वनीकुमार गोवरधन सावित्री पिता खिल्ला दुरगाबाई भूमि स्वामी बेवा खिल्ला बालाराम पिता प्यारेलाल शिखर प्रान	भूमि स्वामी	2	1.240	0.000	0.000	1.240	-
			4	0.160	0.000	0.000	0.160	-

	सींग अनीताबाई रानी बाई पिता जालमसिंह भूमि स्वामी दशोदाबाई बेवा जालमसिंह जगन्नाथ सिंह पिता पृथ्वी सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी		5	0.260	0.000	0.000	0.260	—
2	जगदीश मुन्नालाल शंकर पिता गणेश खिलान दयाराम भागवती द्रौपती उषा कोमलबाई रामकली रामकुंवर पिता गणेश पता.खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	2.460	0.000	2.100	0.000	बेरी-6 खैर-1 बबूल-4 शूलबबूल-5 छेवला-1 गुरार-1 पीपल-1
3	हरिशंकर चन्द्रमान नंदकिशोर पिता ऊधम सिंह घोषी पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8/1	1.020	0.640	0.000	0.000	बेरी-2 बबूल-1
			8/2	0.340	0.340	0.000	0.000	बेरी-5 बबूल-6 रेन्जा-1 कुँआ पक्का-1
			9	0.680	0.430	0.000	0.000	बेरी-1 बबूल-2
4	शिवराज .पिता तुलसीराम पता सा. देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	10	0.400	0.400	0.000	0.000	कुँआ कच्चा-1
			13	0.400	0.000	0.320	0.000	—
5	रंजीत पिता काशीराम पता सा.देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	11	0.400	0.000	0.400	0.000	—
6	श्याम पिता लछू पता सा.देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	12	0.400	0.000	0.300	0.000	—
7	मुन्नालाल पिता काशीराम पता सा.देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	14	0.400	0.000	0.210	0.000	—
8	गोपाल पिता लक्ष्मीनारायण पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	16/1	1.370	0.490	0.000	0.000	
			16/2	0.450	0.450	0.000	0.000	—
			17/2/3	0.180	0.180	0.000	0.000	
9	गोविंदसिंह पिता लक्ष्मीनारायण पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/2/2	2.400	0.150	0.000	0.000	बबूल-1 रेन्जा-1

10	राजकुमार उर्फ राजू पिता लक्ष्मीनारायण पता कढैली खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18	1.650	0.330	0.000	0.000	बबूल-8 कुँआ कच्चा-1
11	चंखी पिता बाबूलाल पता सा.देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	20	0.400	0.000	0.400	0.000	-
12	भदई पिता पल्लू पता सा.देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	21	0.400	0.000	0.150	0.000	-
13	चन्द्रमान पिता नल्लू पता सा. देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	24	0.400	0.000	0.130	0.000	-
14	मैयालाल पिता परम पता सा. देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	25	0.400	0.000	0.170	0.000	-
15	बुच्चा पिता बचवा पता सा. देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	26	0.140	0.000	0.060	0.000	-
	कुल योग		22	15.950	3.410	4.240	1.660	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहाँ परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहाँ, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय ; या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (14.7) यथेचित पंचायत घर
- (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

- (14.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे. और खसरा नंबर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नंबर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-0102अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। हनीता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (17) अधिनियम की धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 15/9/21 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-29-अ-82-18-19-1439.

मौजा-ग्वारी पटवारी हल्का नं. 39 तहसील खुरई
(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

(1) परियोजना का नाम :-	हनौता सिंचाई परियोजना हनौता बांध
(2) भूमि का विवरण :-	.
1. जिला	सागर
2. तहसील	खुरई
3. ग्राम	ग्वारी
4. पटवारी हल्का नं.	39
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	0.090 हेक्टे.

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. मे)	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	मीराबाई पुत्री देवजा पता गुवारी सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी सियाबाई पुत्री देवजा पता गुवारी सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी गोविन्द पुत्र वल्ला पता गुवारी सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी अरविन्द पुत्र वल्ला पता गुवारी सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी इमरत पुत्र वल्ला पता गुवारी सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी विनीता पुत्री वल्ला पता गुवारी सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी रामकुवर पुत्री वल्ला पता गुवारी सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी मीना पुत्री वल्ला पता गुवारी सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी रानी पुत्री वल्ला पता गुवारी सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी कुसुमरानी वेवा वल्ला पता गुवारी सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	488	1.630	0.060	0.000	0.000	सागौन-1

2	खिलान नंदराम रामप्यारी पिता कनई कुवरबाई वेवा कनई हरीचंद भूपेन्द्र वा0 नीतू ना वा पिता मिट्टू लाल पालक मां खुद मुन्नीबाई वेवा मिट्टू लाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	489/2	0.810	0.030	0.000	0.000	सागौन-1
	कुल योग		2	2.440	0.090	0.000	0.000	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या (ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय ; या (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांक के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुम्बों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुम्ब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुम्बों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधियां, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक

- युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सूखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (14.7) यथेचित पंचायत घर
- (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 22 का कुल रकबा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकबा 3.09 हे. और खसरा नंबर 57 का कुल रकबा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकबा 13.71 हे. एवं खसरा नंबर 100/1 का कुल रकबा 11.410 में से हस्तांतरित रकबा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-0102अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 15/3/2021 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-31-अ-82-18-19-भू-अर्जन-1437.

मौजा-दलपतपुर ग्रन्ट पटवारी हल्का नं.-35 तहसील खुरई
(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम :- हनौता सिंचाई परियोजना हनौता बांध
- (2) भूमि का विवरण :-
1. जिला सागर
 2. तहसील खुरई
 3. ग्राम दलपतपुर ग्रन्ट
 4. पटवारी हल्का नं. 35
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 158.100 हेक्टे.

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	अभय पिता धन्नालाल सराफ पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11	1.610	0.000	1.600	0.010	रेन्जा-4 नीम-3 बबूल-1 बेरी-1
2	मनीषकुमार दीपककुमार नावा पिता पिता व पालक जमुनाप्रसाद पिता रघुवरप्रसाद पता खुरई सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12	1.710	1.650	0.000	0.060	शूलबबूल-4 बबूल-1 जामुन-2 बेरी-1 अमरूद-9 आम-1 ऑवला-2 वहेरा-1 नलकूप-1 मकान डबल मंजिल- 73. 00 वर्ग मी. कुआँ पक्का -1

3	रामलाल हजारी पिता पुत्रा अहिरवार पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13	1.610	0.000	1.600	0.010	सैमर-2 रुसल्ला-2 छेवला-1 नीम-1 रेन्जा-1 बेरी-3
4	सोनाबाई आश्रम खुरई मु.इन्द्रानीबहू जोजे रिषभकुमार पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	1.210	1.200	0.000	0.010	तालाब-1
			38	15.160	14.000	0.000	1.160	खैर-3 रेन्जा-4 महानीम-1 सैमर-1 बबूल-1 बेरी-8 तालाब-1
			40	13.840	13.600	0.000	0.240	औंवाला-36 बेरी-9 आम-2 जामुन-1 बासन्निरा-12 बबूल-2 सैमर-1 रेन्जा-1 गुरार-6 नलकुप-1 तालाब-1 मकान डबल मंजिल -135. 52 वर्ग मी. टीनशेड - 38. 72 वर्ग मी.
			42	0.090	0.000	0.000	0.090	-
			86	12.150	8.000	0.000	4.150	बबूल-3 बेरी-8 तालाब-2
			88	14.810	14.300	0.000	0.510	सैमर-1 शूलबबूल-1 गुरार-1 बेरी-8 तालाब-2
			114/1/	4.740	4.740	0.000	0.000	-
5	हरदयाल पिता रामचरन पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15	1.650	0.000	1.150	0.050	नीम-1
6	रमेश पिता रतन लक्ष्मीबाई पति रमेश पता सा.देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	16	0.580	0.180	0.000	0.000	गुरार-1 कुंआ-1
			67	0.400	0.000	0.130	0.000	बेरी-1

7	मुन्ना पिता नन्हा श्यामवाई पति मुन्ना पता निवासी ग्राम खजरा हरचंद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	56	0.400	0.000	0.400	0.000	
8	नारायण पिता प्यारेलाल सुशीला पति नारायण पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	57	0.400	0.000	0.300	0.000	-
9	फूलसींग पं.आसाराम श्रीवाई पति फूलसींग पता निवासी खजराहरचंद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58	0.400	0.000	0.400	0.000	-
10	नारान पिता भैरो श्रीवाई पति नारान पता निवासी खजरा हरचंद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59	0.400	0.000	0.400	0.000	-
11	अशोक पिता रमेश पता निवासी खजरा हरचंद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	60	0.400	0.000	0.240	0.000	-
12	हरिकृष्ण पिता कमलनारायण शुक्ला पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	66	1.280	0.620	0.000	0.000	-
13	गन्ध्या पित गोले,सुहागरानी पति गन्ध्या पता निवासी ग्राम खजरा हरचंद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68	0.400	0.000	0.100	0.000	-
14	फदाली पि.गज्जू, श्रीवाई पति फदाली पता निवासी ग्राम खजरा हरचंद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69	0.400	0.000	0.090	0.000	बबूल-1
15	घुमन पिता उमराव पता निवासी खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70	0.400	0.000	0.200	0.000	-
16	परषोत्तम रतन कैलाश बलराम पिता दुर्जन रूपरानी बेवा दुर्जन पता निवासी खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71	0.400	0.000	0.380	0.000	-

17	रमेश महेश जगू कस्तूरी बाई अंगूरी बाई अनिता बाई पिता मुल्ले फूलरानी बेबा फुल्ले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77	0.400	0.000	0.400	0.000	-
			78	0.400	0.000	0.400	0.000	-
18	नन्दू पिता बलवंत राजनबाई पुत्री बलवंत पता सा0 खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84	0.550	0.000	0.500	0.050	नीम-1
			91	0.660	0.000	0.650	0.010	-
19	ज्योति पति नीरज जैन पता सा. खुरई भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि	भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि	90/1	0.800	0.000	0.800	0.000	-
20	मुहम्मद उवेश पिता अब्दुल शकूर पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी मुहम्मद इशाक पिता अब्दुल शकूर पता खुरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90/2	0.800	0.000	0.800	0.000	-
			90/12	0.310	0.000	0.300	0.010	-
21	नारान पिता दुर्जन नब्बो पति नारान पता सा महनाजाट भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	90/4	0.800	0.000	0.800	0.000	-
22	मत्रू पिता सुक्के विमलाबाई पति मत्रू पता सा महनाजाट भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	90/5	0.800	0.000	0.800	0.000	-
23	मल्यू पिता राजाराम मीराबाई पति मल्यू पता सा महनाजाट भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	90/6	0.800	0.000	0.800	0.000	-
24	मत्रू पिता अजुददी पता सा महनाजाट भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	90/7	0.800	0.000	0.800	0.000	-
25	गोविन्द पिता नवल राजकुमारी पति गोविन्द पता सा महनाजाट भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	90/8/1	0.200	0.000	0.200	0.000	-

26	अरजामन बेवा बाबू खाँ फिरोज अफरोज आजम अकिव साविया पिता बाबू खाँ पता खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90/8/2	0.600	0.000	0.600	0.000	-
27	हरीशंकर बा गोलू नाबा पिता धनू राजकुमारी अनीता बा हल्कीबित्री नाबा पिता धनू पालक भाई हरीशंकर पता सा महूनाजाट भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	90/9	0.800	0.000	0.800	0.000	-
28	कुंदन पिता दमरू मोतीबाई पति कुन्दन पता सा महूनाजाट भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	90/10	0.800	0.000	0.800	0.000	-
29	लक्ष्मीबाई पति रतन पता सा दलपतपुर मालगुजारी भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	90/11	0.980	0.000	0.960	0.020	-
30	विजय पिता कमल बड़ी बेन बेबा कमल पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92	1.210	0.000	1.200	0.010	-
31	कुरेशवी पति अल्लाफ खाँ पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99	1.200	0.550	0.000	0.000	महानीन-1 बेरी-4
32	फिरोज खाँ पिता अल्लाफ खाँ पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100	1.210	0.040	0.000	0.000	-
33	गौरीबाई बेबा दलीप गोविन्द धनीराम श्याम लाल मालती बाई पिता खुरई पता निवासी ग्राम शासकीय संस्था	शासकीय संस्था	101/2	1.200	0.000	1.200	0.000	-
34	लक्ष्मनसिंह पिता भगवानदास चंदेल पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101/3/ 1	0.400	0.000	0.400	0.000	-
35	पूनम पति गोरिराजसिंह ठाकुर पता सा नेहरू वार्ड खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101/3/ 2	0.400	0.000	0.400	0.000	-

36	रफ़ीक पिता खलील खान पता सा शिवाजी वार्ड खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101/4	0.800	0.780	0.000	0.020	सतकठा-1
37	नंनीबाई देवा धनसे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गेंदालाल रामप्रसाद मोहन तुलसरीराम बेनीबाई पिता धनसे अबधरानी देवा खचोरी कमलेश मनीष रामा पिता खचोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101/5	0.800	0.000	0.140	0.000	-
38	हीराबाई बेवा हीरा सौर पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101/7	0.800	0.000	0.800	0.000	-
39	रतीबाई पिं खुमान पता निवासी ग्राम शासकीय संस्था	शासकीय संस्था	101/8	0.800	0.000	0.400	0.400	-
40	प्रकाश पित्ती हल्के गेदारानी पति प्रकाश पता निवासी ग्राम शासकीय संस्था	शासकीय संस्था	101/9	0.800	0.000	0.010	0.000	-
41	सुन्दर पिता काशीराम पता सा दलपतपुर मालगुजारी भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	101/10	0.800	0.000	0.770	0.000	-
42	योगेश पिता भोजराज पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	102	1.210	0.000	1.200	0.010	-
43	कोमल हीरा ना.वा.पिता मटठा रूक्काबाई रामवती वा. लक्ष्मीबाई ना.वा.पुत्री मटठा वली व खुद मां रूकमन भूमि स्वामी बेबा मटठा पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	103	1.210	0.000	1.200	0.010	-
44	अमित पिता सूर्योत्करण चौबे पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104	1.210	0.000	1.030	0.010	-
45	प्यासीबहू बेबा मोहन पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	105	1.200	0.000	1.200	0.000	-
46	अजयसिंह पिता लक्षमणसिंह चंदेल पता खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	106	1.210	1.200	0.000	0.010	रेन्जा-1 कुआँ कच्चा -1

47	पूरन सुरेश ना.वा.पिता गनेश पुष्पाबाई व विजयबाई वा.श्रीबाई ना.वा.पुत्री गनेश वली व खुद मां गुलाबरानी बेवा गनेश पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	107	1.200	0.000	1.200	0.000	-
48	नारान संतोष गुलाबबाई पिता लच्छू रतिबाई बेवा लच्छू चुत्रीलाल जानकीबाई बा० कमलेश बबीता नाबा पिता रामप्रसाद बली आजी रतीबाई पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	108	1.230	0.000	1.230	0.000	-
49	गोपी नत्थु नारायण पिता फूलसींग गुलाबरानी बेबा फूलसींग मोतीबाई मालतीबाई पुत्री फूलसींग पता सा.खजरा हरचंद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109	1.210	0.000	1.000	0.210	बबूल-1
50	बैजन्ती बेवा लाखनसींग शिवकुमार संदीप सोनम सपना पिता लाखनसींग पता खजराहचन्द खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	112/1	0.430	0.400	0.000	0.030	बबूल-1 खजूर-2
51	संचिन खड्डर पिता ओमप्रकाश खड्डर पता खुरई खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	112/2/ 1/क	0.400	0.400	0.000	0.000	-
52	हरनारायण पिता बट्टलाल पता निवासी ग्राम खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	112/2/ 1/ख	0.800	0.800	0.000	0.000	-
53	महेन्द्रकुमार पिता रामेश्वर प्रसाद नेमा पता सा० खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	112/2/ 2	0.200	0.200	0.000	0.000	-
54	नत्थूसींग पिता भैयालाल यादव पता निवासी ग्राम खजराहरचद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	112/3	1.600	1.600	0.000	0.000	पीपल-1

55	गोरीशंकर पिता लच्छू अहिरवार पता सा प्रतापवार्ड बीना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/1/ 2	7.600	0.000	7.550	0.050	खजूर-2 इमली-1 कोहा-1 सैमर-1 कैम-1 बबूल-13 नीम-1 रेन्जा-1 मंदिर पक्का - 2.89 वर्ग मी.
56	चन्द्ररानी पति लच्छू पता सा बीना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/1/ 3	2.400	0.000	2.400	0.000	-
57	बाबूसिंह वीरेन्द्रसिंह नरेन्द्रसिंह पिता कीरतसिंह पता सा धन्सरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/1/ 4	12.520	0.000	12.100	0.420	कैथ-1 बेरी-4 खैर-2 सैमर-2 गुन्जा-1 रेन्जा-1 बबूल-2
58	ठाकुरदास पिता फूलसिंह हरीसिंह पिता फूलसिंह जाहरसिंह पिता हरीसिंह रमेशसिंह पिता ठाकुरदास पता सा हनौता भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/1/ 5	4.880	4.880	0.000	0.000	बेरी-3 सीताफल-2 वहेरा-1 जामुन-1 अमरुद-2 आम-3 खजूर-1 बबूल-6 कोहा-8 छेवला-1 खैर-1 सैमर-4 गुरार-1 रुसल्ला-1 अतुत-1 पीपल-1 बरगद-1 कैम-1
59	लच्छू पिता मुलू अहिरवार पता प्रताप वार्ड बीना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/1/ 6	1.200	0.000	1.200	0.000	-
60	रघुवीर पिता बाबूलाल अहिरवार पता सा अब्दुल हमीद बार्ड खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/1/ 7	0.800	0.000	0.800	0.000	बेरी-3

61	शिवकुमार पिता लाखन सींग पता खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/2	1.170	0.000	1.150	0.020	खजूर-8 बबूल-40 रेन्जा-5
			114/10	0.800	0.000	0.800	0.000	-
			114/14	0.400	0.000	0.400	0.000	-
62	मुकेश पिता जसवंत सिंह पता खजरा हरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/3/ 1	0.400	0.000	0.400	0.000	-
63	शिशुपाल पिता जसवंत सिंह पता खजरा हरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/3/ 2	0.400	0.000	0.400	0.000	बेरी-1
64	जितेन्द्र पिता जसवंत सिंह पता खजरा हरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/3/ 3	0.400	0.000	0.400	0.000	बेरी-1
65	धर्मद पिता जसवंत सिंह पता खजरा हरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/3/ 4	0.400	0.000	0.400	0.000	कैथ-1 बेरी-1
66	शिवकुमार संदीप पिता लाखनसींग पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/3/ 5	0.400	0.000	0.400	0.000	-
67	संदीप पिता लाखन सींग पता खजरा हरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/4	3.200	3.200	0.000	0.000	बेरी-10 सैमर-1
68	मुकेश पिता जसवंतसींग पता सा0खजराहचन्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/5	3.200	3.200	0.000	0.000	बेरी-8 खजूर-12 सैमर-1 बबूल-19
69	शिशुपाल पिता जसवंतसींग पता सा0खजराहचन्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/6	3.200	3.100	0.000	0.100	बेरी-6 बबूल-1 खजूर-1 गोंद-1 नीम-1
70	जितेन्द्रसींग जसवंतसींग पता सा0खजराहचन्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/7	3.200	0.000	3.150	0.050	खजूर-5 बेरी-3 बबूल-1

71	धामेन्द्र पिता जसवतसीग पता सा0खजराहचन्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/8	3.200	3.200	0.000	0.000	जामुन-1 बेरी-15 खजूर-1 महानीम-2 बबूल-7 मीठी नीम-1
72	फुलरानी पति जशवंतसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/9	3.200	3.150	0.000	0.050	बेरी-3 खजूर-1 बबूल-1
73	तोफानसिंह पिता जगतसिंह पता सा.खजराहरचद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/11	0.800	0.800	0.000	0.000	बेरी-1
74	रामसखी ऊर्फ राधामोहनी पति हरिकृष्ण शुक्ला पता निवासी ग्राम खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/12	1.400	1.350	0.000	0.050	-
75	खिलानसीग पिता जगतसीग पता सा0खजराहचद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/13	0.800	0.800	0.000	0.000	बेरी-1
कुल योग:-			87	164.440	87.940	62.330	7.830	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्धन अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय ; या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत बांछा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
 - (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
 - (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
 - (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
 - (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
 - (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
 - (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
 - (14.7) यथेचित पंचायत घर
 - (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
 - (14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
 - (14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
 - (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
 - (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
 - (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
 - (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
 - (14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

- (14.16) बृच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे. और खसरा नंबर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नंबर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-0102अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्धून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्धून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 19/3/2020 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-48-अ-82-18-19-1440.

मौजा-कजरई पटवारी हल्का नं.-36 तहसील खुरई
(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| (1) परियोजना का नाम :- | हनौता सिंचाई परियोजना हनौता बांध |
| (2) भूमि का विवरण :- | |
| 1. जिला | सागर |
| 2. तहसील | खुरई |
| 3. ग्राम | कजरई |
| 4. पटवारी हल्का नं. | 38 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 17.710 हेक्टे. |

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित सीवर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	करन दयाराम ताराबाई पिता खूवे गजरानी बेबा खूवे अभिषेक ना वा क्रांति ना वा वर्षा ना वा पिता रामसींग पालक खुद माँ गायत्री बाई वेवा रामसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5	1.140	1.100	0.000	0.040	खजूर-1 बेरी-1 छेवला-2
2	पराग, पीयूष, पिताप्रकाशचंद, अपर्णा बेवा प्रकाशचंदसा0फरीदाबादहरियाणा पता फरीदाबाद हरियाणा सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	1.420	1.400	0.000	0.020	कुंआ पक्का-1
			20	1.030	1.000	0.000	0.030	बेरी-1 छेवला-3 पीपल-1
3	श्रीदेव शंकरजी मुह.अवतार सिंह पिता रणधीरसिंह प्रब. कलेक्टर महोदय सागर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7	0.610	0.000	0.600	0.010	बेरी-1 पीपल-1
4	चन्द्राबाई पुत्री अमोलसींग भागवती बेवा अमोलसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8	0.610	0.600	0.000	0.010	ऊमर-2

5	अवतारसिंह पिता रन्धीरसिंह जाति ठाकुर पता कजरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी जयकुमार पिता रन्धीरसिंह जाति ठाकुर पता कजरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी देवेन्द्रसिंह पिता रन्धीरसिंह जाति ठाकुर पता कजरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी उर्मिलाबाई पिता रन्धीरसिंह जाति ठाकुर पता कजरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सरोजबाई पिता रन्धीरसिंह जाति ठाकुर पता कजरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी रामकलीबाई बेवा रन्धीरसिंह जाति ठाकुर पता कजरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9	0.610	0.600	0.000	0.010	नीम-1 पीपल-1
6	अवतारसिंग पिता रंधीरसिंग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	10	0.610	0.000	0.600	0.010	
7	करनसिंग पिता रामलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11	0.610	0.000	0.600	0.010	-
8	सिकन्दर सिंह प्रवीणसिंह पिता गजेन्द्रसिंह खुशीबाई बेवा राजेन्द्रसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	1.620	1.475	0.000	0.000	बबूल-1 छेवला-2 पीपल-1
9	रगवीर पिता गनेशसिंग पता सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी बाबूसिंग पिता गनेशसिंग पता सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी जगभान पिता गनेशसिंग पता सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी गुड्डीबाई पुत्री गनेशसिंग पता सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी शारदाबाई पुत्री गनेशसिंग पता सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18	3.340	1.141	0.000	0.000	छेवला-2 ऊमर-1 कुँआ पक्का-1
10	वीरेन्द्रकुमार पिता गुलाब चंद पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21	2.420	0.000	2.420	0.000	-
11	रवीन्द्रकुमार पिता गुलाब चंद पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	22	2.420	0.000	2.400	0.020	-
12	सतीष कुमार पिता गुलाबचंद पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23	2.420	1.516	0.000	0.000	-
13	शैलेन्द्रकुमार पिता गुलाब चंद पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	24	2.420	0.460	0.000	0.000	महानीम-2
14	फिरोजखाँ पिता बहादुरखाँ पता खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	44	1.450	1.001	0.000	0.000	कुँआ पक्का-1

15	प्रेमबाई पुत्री कलुवा पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45/1	0.100	0.000	0.060	0.000	सैमर-1
16	हरौराम पिता कलुवा पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	46	0.620	0.070	0.000	0.000	-
17	रामगोपाल पिता नारानसिंह पता सा0महुनाकस्त भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	47/2	0.400	0.000	0.017	0.000	-
18	मीराबाई नमदीबाई पुत्री जगन्नाथ राजेन्द्र भारत नरेन्द्र वा ासधाबाई नावा पिता शंकरसींग पालक व खुद मां गीताबाई बेबा शंकरसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	62	0.190	0.000	0.180	0.010	-
			63/1	1.790	0.000	0.300	0.000	-
योग			20	25.830	10.363	7.177	0.170	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या
- (ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय ; या
- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय ागया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुम्बों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (14.7) यथेचित पंचायत घर
- (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे. और खसरा नंबर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नंबर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-0102अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

- (17) अधिनियम की धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 15/3/2021 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, जिला दमोह, मध्यप्रदेश कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

सार्वजनिक सूचना

क्र.-4-अ82-वर्ष-2020-21.

दमोह, दिनांक 23 जनवरी 2021

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12-02-14/सात/ए भोपाल दिनांक 12.11.2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 जारी की गयी है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के द्वारा तहसील पथरिया के ग्राम सेमरा बुजुर्ग, बम्होरी चौथा, जोरतला कला, पुरापायरा है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी /भू-स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका-10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र (ख) में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 (1) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला दमोह तहसील पथरिया प.ह.न. 44 ग्राम सेमरा बुजुर्ग क्षेत्रफल 0.28 हेक्टर

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता/पति का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में संचित	अन्य संपत्ति
1.	श्री सविन्द सिंह पिता रामसिंह सा० बम्होरी	78/1/1	0.40	0.05	—
2.	श्रीमति उत्तरा रानी पति भागीरथ सा० सेमरा बुजुर्ग	80	0.40	0.04	—
3.	श्री भगवत पिता परमलाल सा० बम्होरी	81/1	0.58	0.04	—
4.	श्री सूरत सिंह पिता विश्राम सिंह सा० बम्होरी	83/1	1.01	0.05	—
5.	श्री रघुवीर पिता वखत सिंह सा० बम्होरी	84/1	0.43	0.05	—
6.	श्री भगवान सिंह वखत सिंह सा० बम्होरी	84/2	0.44	0.05	—
	योग:-			0.28	

जिला दमोह तहसील पथरिया प.ह.न. 47 ग्राम बम्होरी चौथा क्षेत्रफल 0.46 हेक्टर

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता/पति का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में संचित	अन्य संपत्ति
1.	श्री राजकुमार पिता लालचंद सा० दमोह	85	2.61	0.04	—
2.	श्री गोविन्द पिता रामसिंह सा० बम्होरी चौथा	86	0.84	0.06	—
3.	श्रीमति रूपरानी पति संतोष सींग सा० बम्होरी चौथा	90/1	0.65	0.05	—
4.	श्री देवेन्द्र पिता मुन्नालाल सा० बम्होरी चौथा	257/1	0.75	0.05	—
5.	श्री राजीव पिता हेमचंद जैन सा० दमोह	259	2.95	0.10	—
6.	श्री राजेशकुमार पिता हेमचंद जैन सा० दमोह	260	3.02	0.12	—
7.	श्री साविन्द सिंह पिता रामसिंह सा० बम्होरी चौथा	86/2	0.83	0.04	—
	योग:-			0.46	

जिला दमोह तहसील पथरिया प.ह.न. 46 ग्राम जोरतला क्षेत्रफल 0.44 हेक्टर

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता/पति का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में संचित	अन्य संपत्ति
1.	श्रीमति मुलाबाई पति मोहन काछी सा० दमोह	346/1	0.64	0.10	—
2.	श्री रघुवीर पिता खोदा सा० जोरतला	346/2	0.64	0.10	—
3.	श्री मंदिर देव जानकीरमण जी मुह० इन्द्रकुमार पिता अच्छेलाल सा० दमोह	279	6.40	0.20	—
4.	श्री प्रेम सिंह नारायण सिंह पिता छुट्टी सिंह सा० जोरतला	284	0.90	0.04	—
	योग:-			0.44	

जिला दमोह तहसील पथरिया प.ह.न. 48 ग्राम पुरापायरा क्षेत्रफल 0.945 हेक्टर

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता/पति का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में संचित	अन्य संपत्ति
1.	श्री चंद्रकांत पिता अंवालाल सा० पुरापायरा	353/1	2.97	0.020	—
2.	श्री पूरन पिता हरसेवक सा० पुरापायरा	351/1	0.73	0.010	—
3.	श्री खरगराम पिता हरसेवक सा० पुरापायरा	351/2	0.74	0.010	—
4.	श्री सुहागरानी बेवा शिवप्रसाद सा० पुरापायरा	352/1	0.48	0.010	—
5.	श्री अशोक पिता शिवप्रसाद सा० पुरापायरा	352/2	0.40	0.015	—
6.	श्री आलोक पिता शिवप्रसाद सा० पुरापायरा	352/3	0.40	0.015	—
7.	श्री नारायण पिता गंगाराम सा० पुरापायरा	350/1	1.13	0.020	—
8.	श्री अशोक पिता गंगाराम सा० पुरापायरा	350/2	0.34	0.020	
9.	श्रीमति इलावेन पति चंद्रकांत स्वेता पति कुनाल सा० पुरापायरा	364/2	3.60	0.050	
10.	श्री कुनाल पिता चंद्रकांत सा० पुरापायरा	365	0.97	0.070	
11.	श्री संतोष पिता गया प्रसाद सा० पुरापायरा	353/2, 367	0.08 0.72	0.005 0.040	
12.	श्री लखन पिता हरचरण सा० पुरापायरा	369/2	0.12	0.010	
13.	श्री शिवराम पिता लक्ष्मीप्रसाद सा० पुरापायरा	369/3	0.11	0.010	
14.	श्री चंद्रभान पिता लक्ष्मीप्रसाद सा० पुरापायरा	369/1	0.11	0.010	
15.	श्री अरविंद पिता संतोष सा० पुरापायरा	369/4	0.12	0.010	
16.	श्री हरसेवक पिता भागीरथ सा० पुरापायरा	370/2	0.10	0.010	
17.	श्री गंगाराम पिता भागीरथ सा० पुरापायरा	370/1	0.18	0.020	
18.	श्री राघवेन्द्र गनेश नाबा.पिता कुदन बली व खुद मां श्रंगाररानी रामचरण दीपू शिव पिता बालचंद सा० पुरापायरा	376	0.05	0.010	
19.	श्री नरोत्तमलाल पिता विश्वनाथ सा० पुरापायरा	377/1/1	0.29	0.015	
20.	सुधा पिता दिनेश दुबे सा० पुरापायरा	377/1/2	0.40	0.015	
21.	श्री धोकल विष्णु ईश्वर रमेश भग्गू पिता अजुद्धी सा० पुरापायरा	381	1.58	0.010	
22.	श्री लीलाधन नरेन्द्र पिता नंदराम सा० पुरापायरा	383	0.87	0.040	
23.	श्री सत्यम पिता साबूलाल सा० पुरापायरा	385	1.57	0.040	
24.	श्रीमति राधिकारानी पति नंदराम सा० पुरापायरा	386/1	0.40	0.010	
25.	श्री मुन्नालाल पिता देवी सा० पुरापायरा	386/2	0.74	0.020	
26.	हरसेवक पिता भागीरथ सा० पुरापायरा	387/1	0.20	0.040	

27	श्रीमति प्रकाशरानी पति अशोक सा० पुरापायरा	388 / 2	0.32	0.030	
28	अजय पिता गोपाल सा० पुरापायरा	388 / 1	0.15	0.010	
29	श्रीमति राधिकारानी पति मनिराम सा० पुरापायरा	392 / 1	0.85	0.030	
30	श्री दिलीप भूपेन्द्र नावा पिता आलोक बली मां रेखाबाई पति आलोक सा० पुरापायरा	393 / 2	0.64	0.030	
31	श्री सत्यम पिता साबूलाल सा० पुरापायरा	394	1.51	0.030	
32	श्री कोमल पिता भोला सा० पुरापायरा	463 / 1 / 4	0.02	0.005	
33	श्री रामगोपाल पिता गायाप्रसाद सा० पुरापायरा	463 / 2	0.02	0.005	
34	श्री रामेश्वर पिता मिहीलाल सा० पुरापायरा	207 / 3	0.04	0.005	
35	श्री बाबूलाल पिता मिलीलाल सा० पुरापायरा	207 / 2	0.04	0.005	
36	श्री कमलेश पिता राजाराम सा० पुरापायरा	207 / 5	0.02	0.005	
37	श्री मुकेश पिता राजाराम सा० पुरापायरा	207 / 4	0.02	0.005	
38	श्री साबूलाल पिता जगन्नाथ सा० पुरापायरा	397	0.70	0.080	
39	श्री अरविंद पिता संतोष सा० पुरापायरा	467 / 4	0.02	0.010	
40	श्री मुकेश कमलेश पिता राजाराम प्रेमरानी देवा राजाराम सा० पुरापायरा	341 / 1 / 1 / 1	1.38	0.040	
41	श्री रामेश्वर पिता मिहीलाल सा० पुरापायरा	341 / 2	1.79	0.040	
42	श्री बाबूलाल पिता मिहीलाल सा० पुरापायरा	341 / 3	1.78	0.040	
43	श्री मटरूलाल ताराचंद मनीराम राजकुमार पिता कपूरचंद	206 / 1	0.04	0.020	
	योग:-			0.945	

तरुण राठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

प्र. क्र.-03-अ-82-भू-अर्जन-जौरा-उ.म.रे.-2020-21- मुरैना-1392-29-01-21.

मुरैना, दिनांक 29 जनवरी 2021

प्रारम्भिक अधिसूचना

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलाँ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- जौरा, तहसील- जौरा, जिला-मुरैना में कुल रकवा 0.668 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूंबों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील-जौरा के ग्राम-जौरा, प0ह0न0-55, रा0नि0वृत्त0-04 में उक्त परियोजना के लिये 0.668 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र.सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	117	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.097	मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुख्ता श्री महादेव जी बांके देह हाजा नि0 ग्राम शासकीय पट्टा ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना।
2	118	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.123	मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुख्ता श्री महादेव जी बांके देह हाजा नि0 ग्राम शासकीय पट्टा ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना।
3	124	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.065	रोशनलाल रमेशचन्द्र मुन्नालाल कल्याणसिंह पुत्र पतिराम कलावती पुत्री पतिराम स भाग 3375 वर्गफीट जाति रावत प्रमोदकुमार राजाराम भाग 875 वर्गफीट जाति त्यागी नि0 चिन्नोनी करैरा मुन्नी पत्नी सुरेश भाग 2075 वर्गफीट जाति रावत सोनू बंसल पुत्र रामप्रकाश बंसल भाग 1600 वर्गफीट जाति वैश्य नि0 जौरा रामकली पत्नी नवावसिंह भाग 1000 वर्गफीट जाति राठौर नि0 जौरा भूमि स्वामी प्रेमवती पत्नी पातिराम भाग 1100 वर्गफीट जाति त्यागी नि0 जैतपुर इन्द्रलाल पुत्र बाबूलाल दिव्यांश नाबा पुत्र केशव नावा सरप ताउ खुद इन्द्रलाल पुत्र बाबूलाल सभाग 1200 वर्गफीट नि0 सकतपुर लालसिंह विशम्भर पुत्रान प्रभूदयाल स भाग 875 वर्गफीट नि0 शेखपुर रामो पत्नी कुअरपाल भाग 875 वर्गफीट नि0 चिन्नोनी मंगलिया पत्नी मातादीन भाग 1600 वर्गफीट नि0 जैतपुर मीरा पत्नी रामलखन भाग 875 वर्गफीट सभी जाति त्यागी उम्मेदी पत्नी सुरेन्द्र भाग 900 वर्गफीट जाति त्यागी नि0 चिन्नोनी पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी ब्रजभूषन पुत्र हरिओम भाग 6677 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि0 बंसल विहार कालोनी ग्वालियर अंगूरी देवी पत्नी सुरेश जोशी भाग 600 वर्गफीट नि0 सिंगलपुरा गिरीश शैलन्द्र जक्ष्मीनारायण पुत्रान बाबूलाल स0 भाग 4183 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि0

					सकतपुर सुल्तान पुत्र फैलीराम भाग 1120 वर्गफीट जाति जाटव नि थरा आनन्द पुत्र बृजेश भाग 1120 वर्गफीट जाति ब्रा० नि० मुरैना सियावेटी पत्नी श्रीनिवास भाग 1000 वर्गफीट जाति राठौर नि० पता नि० ग्राम सकतपुर भूमि स्वामी सीमा पत्नी उत्तम भाग 1000 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि० जौरा जनकश्री पत्नी रामप्रकाश भाग 1200 वर्गफीट जाति त्यागी नि० सकतपुर प्रहलाद पुत्र प्रभूदयाल भाग 1100 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि० बदरपुरा नवावसिंह पुत्र सोना भाग 750 वर्गफीट बजाति तेली कमलेश हरीशंकर पुत्रान नवावसिंह स० भाग 1100 वर्गफीट जाति तेली नाहरसिंह पुत्र रामप्रसाद रामदुलारी वेवा रामप्रसाद स० भाग 750 वर्गफीट सोनू बंसल पुत्र रूपकाश बंसल भाग 750 वर्गफीट जाति वैश्य पता नि० जौरा भूमि स्वामी रेख पत्नी वनवारीलाल भाग 750 वर्गफीट जाति ब्राम्हण ममता पत्नी बदनसिंह भाग 750 वर्गफीट जाति रावत पता नि० ग्राम सिकरौदा भूमि स्वामी विकमसिंह पुत्र रोशनलाल भाग 750 वर्गफीट जाति रावत नि० जौरा करनसिंह पुत्र भगवानसिंह भाग 800 वर्गफीट जाति त्यागी नि० सकतपुर भूमि स्वामी भू-राजस्व 9.80
4	29	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.094	रामश्री पुत्री सुन्दरलाल जाति रावत पजा निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
5	130	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.023	ओमप्रकाश पुत्र बदनसिंह भाग 8150 वर्गफीट जाति रावत वीरवल दीनदयाल पुत्रान रामसिंह स० भाग 1000 वर्गफीट जाति त्यागी नि० निमांस गुडडी पत्नी राजेन्द्र राठौर भाग 1000 वर्गफीट नि० डोंगरपुर विष्णु पुत्र रामदीन जाति गौड निवासी थरा भाग 1200 वर्ग, मुन्नी पत्नी रामविलास भाग 3400 वर्गफीट जाति शाक्य नि० डोंगरपुर जसवंत पुदीप पुत्रान दुगाप्रसाद स० भाग 1000 वर्गफीट जाति त्यागी पता नि० ग्राम निमांस भूमिस्वामी।
6	465/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.014	रामश्री पुत्री सुन्दरलाल पत्नी बाबूलाल जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
7	465/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.014	रामश्री पुत्री सुन्दरलाल पत्नी बाबूलाल जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
8	466/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.079	रामश्री पुत्री सुन्दरलाल जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
9	466	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.052	रामश्री पुत्री सुन्दरलाल जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
10	470	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.003	रामश्री पुत्री सुन्दर भाग 7039 वर्गफीट जाति रावत शारदा पत्नी मुकेशकुमार भाग 2414 वर्गफीट प्रमोदकुमार पुत्र राजाराम मनीषा पत्नी राकेशकुमार भाग 990 वर्गफीट जाति त्यागी नि० चिन्नोनी दिनेशकुमार सुनील कुमार पुत्रान महेश स० भाग 675 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि० दीपैरा कैलाशी पत्नी गणेशराम कुशवाह भाग 604 सही 1/2 वर्गफीट राजावेटी पत्नी रामसनेही, दिनेश, देवसिंह

					<p>पुत्रान रामसनेही जाति कुशवाह समान भाग 1000 वर्गफीट शारदा पत्नी मुकेश त्यागी भाग 980 वर्गफीट मातादीन ज्वालाप्रसाद पुत्रान काशीराम स० भाग 1250 वर्गफीट गिर्राज पुत्र द्वारिकाप्रसाद नावा० सर० रामकली मां खुद भाग 750 वर्गफीट राजकुमारी पत्नी सतीशकुमार भाग 940 वर्गफीट अंगुरीदेवी पत्नी बैजनाथ त्यागी भाग 650 वर्गफीट जसमन्त पुत्र पूरनचन्द्र भाग 750 वर्गफीट महावीरप्रसाद गिर्राज राकेश पुत्रान मातादीन स० भाग 840 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि० वघेल अंगद पुत्र हरीप्रसाद भाग 682 वर्गफीट जाति काछी नि० ग्राम तालपुरा सुरेश पुत्र रामसिंह भाग 776 वर्गफीट राकेश पुत्र जण्डेल सिंह भाग 1000 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि० जौरा सुमन पत्नी भरतकुमार त्यागी भाग 750 वर्गफीट नि० चिन्नोनी राजावेटी पत्नी रामसनेही देवसिंह दिनेशसिंह पुत्रान रामसनेही स भाग जाति काछी नि० तालपुरा महेन्द्रप्रसाद पुत्र गिरवरलाल भाग 750 वर्गफीट जाति ब्राम्हण प्रेमवती पत्नी चन्दनलाल भाग 1/2 रामवती पत्नी पुरुषोत्तम भाग 1/2 दरभाग 9/19 धर्मन्द्र सुरेश नावा० पुत्रान देवीराम सर० पिता खुद स० भाग 7/19 मनोजकुमार योगेन्द्रकुमार पुत्रान राममजन नावा० सर० पिता खुद स० भाग 3/19 दर भाग 4750 वर्गफीट रामेश्वरदयाल नारायणलाल पुरुषोत्तम पूरनलाल पुत्रान रघूनाथप्रसाद स० भाग 1800 वर्गफीट जयप्रकाश उमेश प्रमोद पुत्रान सुरेश फूलवती बेवा सुरेश रामलता निर्मला पुत्रियान सुरेश स० भाग 450 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि० खेरिया रामदीन वनवारी वा श्रीराम नावा पुत्रान राजाराम नावा० सर० मां बैजन्ती खुद स० भाग 1/2 दर भाग 1125 वर्गफीट प्रभूदयाल मुरारीलाल राधेश्याम गौरीशंकर अनिलकुमार पुत्रान राजाराम स० भाग 2304 वर्गफीट जाति बैश्य रामदीन वालिग श्रीराम राकेश नावा० पुत्रान राजाराम सर० मां बैजन्ती स० भाग 450 वर्गफीट नि० चिन्नोनी श्रीनिवास पुत्र उदयसिंह भाग 1650 वर्गफीट जाति त्यागी रामजीलाल पुत्र रूपचन्द भाग 421 वर्गफीट दिलीप प्रदीप पुत्रान बाबूलाल मधू बेवा बाबूलाल स भाग 1250 वर्गफीट जाति त्यागी नि० बदरपुरा वासुदेव कृपाल पुत्रान रूपचन्द स भाग 148 वर्गफीट छत्रपालसिंह भोगीराम पुत्रान भगवानलाल स भाग 1131 वर्गफीट विनोद पुत्र भगनावलाल 9 वर्गफीट अंगुरी पत्नी बैजनाथ भाग 750 वर्गफीट जाति त्यागी नि वघेल प्रकुल कपिलदेव नावा पुत्रान धर्मन्द्रकुमार पुत्रान भगवानसिंह नावा० सर० धर्मन्द्रसिंह पुत्रान भगवानसिंह स भाग 2180 वर्गफीट जाति त्यागी नि० जौरा हेमराज पुत्र कुवरपाल जाति त्यागी ब्रा भाग 1012 वर्गफीट भूमिस्वामी।</p>
11	481	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.056	मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुख्ता श्री महादेव जी बांके देह हाजा ओकाफ डिपार्टमेन्ट शासकीय पट्टा ओकाफ

					डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना।
12	482	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.035	मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुख्ता श्री महादेव जी बांके देह हाजा ओकाफ डिपार्टमेन्ट शासकीय पट्टा ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना।
13	483	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.013	मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुख्ता श्री महादेव जी बांके देह हाजा ओकाफ डिपार्टमेन्ट शासकीय पट्टा ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना।
कुल 13 सर्वे नं० में अर्जित रकवा				0.668 है०	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र.-05-अ-82-भू-अर्जन-2020-21-ती.रे.ला.-हुसैनपुर-1896.

मुरैना, दिनांक 6 फरवरी 2021

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉंसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) ग्राम- हुसैनपुर प0ह0क0-07 रा0नि0 वृत्-02 तहसील-मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में कुल 1.607 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-हुसैनपुर, प0ह0क0-07 रा0नि0 वृत्-02 तहसील-मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	मुरैना
ग. ग्राम	हुसैनपुर
घ. लगभग क्षेत्रफल	1.607 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	158	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.0940	दीवानसिंह रामनिवास पुत्रगण उत्तम हिस्सा 1/3 रामपाल कीरतराम हिस्सा 1/3 रामपाल कीरतराम पुत्र शिवसिंह हिस्सा 2/3 जाति गुठा निवासी ग्राम भूमि स्वामी।
2	160/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.0320	कृपाराम पुत्र भगवानसिंह जाति गु ठा निवासी पिपरई
3	166	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.090	रामेश्वर पुत्र भगवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम पिपरई भू रा शा स 165
4	167	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	मु कमला बेवा द्वारका ऐदल राजकुमार देवेन्द्र पुत्रगण द्वारिका उषा शारदा पुत्रियां द्वारिका जाति गुठा निवासी ग्राम पिपरई
5	177	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.031	बद्रीप्रकाश पुत्र मूंगाराम जाति जाटव
6	178	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.120	गजेन्द्र सिंह पुत्र कदमसिंह जाति गू ठा निवासी नायकपुरा
7	181	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.130	विजलाल पुत्र ओछा जाति कुम्हार निवासी पिपरई का

					पुरा
8	182	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.040	विजलाल पुत्र ओछा जाति कुम्हार निवासी पिपरई का पुरा
9	191	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.020	मनीराम पुत्र रामचरन हिस्सा जाति नाई जगन्नाथ पुत्र लालपति जाति जाटव निवासी ग्राम पिपरई
10	193/2/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	गीतादेवी पत्नी ताहरसिंह जाति प्रजापति ग्राम पिपरई
11	193/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.110	मु रामदेई बेवा रामचरन रामनिवास लालसिंह पुत्र रामचरन चमेली पुत्री रामचरन हिस्सा 4/5 मुन्नी बेवा शिवराम राजेन्द्र गजेन्द्र धमेन्द्र पुत्रगण शिवराम मायापुत्री शिवराम हिस्सा 1/5 जाति प्रजापति निवासी ग्राम पिपरई भूमिस्वामी।
12	196	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	दयाशंकर महेन्द्र कुमार वीरेन्द्र कुमार सुरेन्द्रकुमार पुत्रगण रामगोपाल हिस्सा 3/4 कायस्त गजेन्द्र सिंह पुत्र कदमसिंह 1/25 गू ठा नि नायकपुरा चन्द्रमोहन राजेन्द्र मोहन अनिल मोहन ओमप्रकाश विनोद सतीश कुमार पुत्र भगवानदास निर्मला पुत्री भगवान सहाय 1/6 मनोहर लाल पुत्र ज्वाला प्रसाद हिस्सा 2/3 उत्तम सिंह रामराज सिंह रामबरन सिंह पुत्रगण पंचम जाति गु ठा 1.61 रामहेत कप्तान लोचन पुत्रगण भोगीराम ठाकुर बेटी कमला गीता पुत्रीयां भोगीराम हिस्सा 1/2 सुन्दर सिंह पुत्र दयाराम हिस्सा रकवा 0. 43 1/2 दर भाग 1/6 जाति गु ठा सियाराम पुत्र धनपाल जाति ब्रा हिस्सा 1/6 भूमिस्वामी ।
13	197	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	मनीराम पुत्र रामचरन जाति नाई सलीम पुत्र मुनीर जाति मुसलमान नि ग्राम भूमि स्वामी।
14	198	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.040	दयाशंकर महेन्द्र कुमार वीरेन्द्र कुमार सुरेन्द्रकुमार पुत्रगण रामगोपाल हिस्सा 3/4 कायस्त गजेन्द्र सिंह पुत्र कदमसिंह 1/25 गू ठा नि नायकपुरा चन्द्रमोहन राजेन्द्र मोहन अनिल मोहन ओमप्रकाश विनोद सतीश कुमार पुत्र भगवानदास निर्मला पुत्री भगवान सहाय 1/6 मनोहर लाल पुत्र ज्वाला प्रसाद हिस्सा 2/3 उत्तम सिंह रामराज सिंह रामबरन सिंह पुत्रगण पंचम जाति गु ठा 1.61 रामहेत कप्तान लोचन पुत्रगण भोगीराम ठाकुर बेटी कमला गीता पुत्रीयां भोगीराम हिस्सा 1/2 सुन्दर सिंह पुत्र दयाराम हिस्सा रकवा 0. 43 1/2 दर भाग 1/6 जाति गु ठा सियाराम पुत्र धनपाल जाति ब्रा हिस्सा 1/6 भूमिस्वामी ।

161

15	199	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.020	दयाशंकर महेन्द्र कुमार वीरेन्द्र कुमार सुरेन्द्रकुमार पुत्रगण रामगोपाल हिस्सा 3/4 कायस्त गजेन्द्र सिंह पुत्र कदमसिंह 1/25 गु ठा नि नायकपुरा चन्द्रमोहन राजेन्द्र मोहन अनिल मोहन ओमप्रकाश विनोद सतीश कुमार पुत्र भगवानदास निर्मला पुत्री भगवान सहाय 1/6 मनोहर लाल पुत्र ज्वाला प्रसाद हिस्सा 2/3 उत्तम सिंह रामराज सिंह रामवरन सिंह पुत्रगण पंचम जाति गु ठा 1.61 रामहेत कप्तान लोचन पुत्रगण भोगीराम ठाकुर बेटी कमला गीता पुत्रीयां भोगीराम हिस्सा 1/2 सुन्दर सिंह पुत्र दयाराम हिस्सा रकवा 0.43 1/2 दर भाग 1/6 जाति गु ठा सियाराम पुत्र धनपाल जाति ब्रा हिस्सा 1/6 भूमिस्वामी ।
16	203	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.110	मनीराम रमेश पुत्र रामचरन 2/3 नाई दाताराम पुत्र भोंदू सिंह 1/6 भरतसिंह पुत्र आशाराम 1/6 जाति गुर्जर ठाकुर निवासी पिपरई का पुरा ।
17	205	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.040	मनीराम रमेश पुत्र रामचरन 2/3 नाई दाताराम पुत्र भोंदू सिंह 1/6 भरतसिंह पुत्र आशाराम 1/6 जाति गुर्जर ठाकुर निवासी पिपरई का पुरा ।
18	208	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.040	मनीराम रमेश पुत्र रामचरन 2/3 नाई दाताराम पुत्र भोंदू सिंह 1/6 भरतसिंह पुत्र आशाराम 1/6 जाति गुर्जर ठाकुर निवासी पिपरई का पुरा ।
19	208	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	मनीराम रमेश पुत्र रामचरन 2/3 नाई दाताराम पुत्र भोंदू सिंह 1/6 भरतसिंह पुत्र आशाराम 1/6 जाति गुर्जर ठाकुर निवासी पिपरई का पुरा ।
कुल किता 19 व अर्जित रकवा				1.607	

- 1 यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
- 2 नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- 3 उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

- 4 कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेय :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

[Handwritten Signature]

प्र. क्र.-01-अ-82-भू-अर्जन-2020-21-ती.रे.ला.-लालौरकला-1901.

मुरैना, दिनांक 6 फरवरी 2021

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत])

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉंसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) ग्राम- लालौरकलां प0ह0क0-07 रा0नि0 वृत्-02 तहसील -मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में कुल 1.068 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-लालौरकलां प0ह0क0-07 रा0नि0 वृत्-02 तहसील- मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील मुरैना
ग. ग्राम लालौरकलां
घ. लगभग क्षेत्रफल 1.068 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	262	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	सीताराम हाकिम ओमप्रकाश रामस्वरूप राधेश्याम ब्रह्मलाल विशाल पुत्रगण पुन्ना मु किशनदेवी वेवा पुन्ना जाति गडरिया पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
2	263 264	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100 0.050	सीताराम हाकिम ओमप्रकाश रामस्वरूप राधेश्याम ब्रह्मलाल विशाल पुत्रगण पुन्ना मु किशनदेवी वेवा पुन्ना जाति गडरिया पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी। बिलमुक्ता 2.56
3	266	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.035	सीताराम हाकिम ओमप्रकाश रामस्वरूप राधेश्याम ब्रह्मलाल विशाल पुत्रगण पुन्ना मु किशनदेवी वेवा पुन्ना जाति गडरिया पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी। बिलमुक्ता 0.69
4	271	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	विजयराम पुत्र सरमन 1/4 दीवानसिंह पुत्र सरमन मुकेश पुत्र सरमन भाग 1/4 रामवती पत्नी माखन सिंह शशी वा सुशमा नावा पुत्री माखनसिंह धरमवीर वा सोनू नावा पुत्रगण माखनसिंह सर मा खुद 1/4 जाति जाटव समान भाग भूमिस्वामी
5	273	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.095	विजयराम पुत्र सरमन 1/4 दीवानसिंह पुत्र सरमन मुकेश पुत्र सरमन भाग 1/4 रामवती पत्नी माखन सिंह शशी वा सुशमा नावा पुत्री माखनसिंह धरमवीर वा सोनू नावा पुत्रगण

					गाखनसिंह सर मा खुद 1/4 जाति जाटव समान भाग भूमिस्वामी
6	275	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.075	नत्थीलाल पुत्र शिवचरन जाति ब्रा0 पता अतरसूमा भूमिस्वामी भू0रा0 2.75
7	278	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.035	रमेश पुत्रगण हददू हि 1/2 जाति मेहतर पता लालोर भूमिस्वामी शिवदेई पत्नी दुल्ला लाखन पुत्र दुल्ला मीरा मुन्नी माया पुत्रियां दुल्ला स भाग 5/6 भूमिस्वामी गुड्डी पत्नी नहारसिंह सुनील बा राज आशीष नावा पुत्रगण नहार सिंह सखी प्रीती वा सोनम नावा पुत्रियां नहारसिंह सर माँ खुद 1/6 भूमिस्वामी भू राजस्व 3.44
8	1562/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.020	कप्तानसिंह पु मनीराम भाग 1/7 राजेन्द्र पुत्र मनीराम भाग 1/7 रामदास पुत्र मनीराम भाग 1/7 जितेन्द्र पुत्र मनीराम भाग 1/7 नरेश पुत्र मनीराम भाग 1/7 बनवारी ब्रजेश धीरज पुत्र रामजीलाल लक्ष्मी पत्नी रामजीलाल गुड्डिया उर्फ गिरजा पुत्री रामजीलाल समान भाग 1/7 जाति जाटव निवासी ग्राम
9	1562/2/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	काशीराम पुत्र फेरनसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम लालौर भाग 1/5 रामदयाल पुत्र फेरनसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम लालौर भाग 1/5 वृन्दावन पुत्र फेरनसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम लालोरकला भाग 1/5 अनिल पुत्र कल्याण राजकुमारी अनीता पुत्रियां कल्याण समान भाग 1/5 रामवेटी पुत्री फेरनसिंह भाग 1/6 जाति जाटव निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
10	1567/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.033	काशीराम पुत्र फेरनसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम लालौर भाग 1/5 रामदयाल पुत्र फेरनसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम लालौर भाग 1/5 वृन्दावन पुत्र फेरनसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम लालोरकला भाग 1/5 अनिल पुत्र कल्याण राजकुमारी अनीता पुत्रियां कल्याण समान भाग 1/5 रामवेटी पुत्री फेरनसिंह भाग 1/5 जाति जाटव निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
11	1567/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.032	श्रीमति शान्ती देवी पत्नी अशोक कुमार उर्फ मुन्नालाल जाति ब्रा पता निवासी दत्तपुरा मुरैना भूमिस्वामी भू राजस्व 0.44
12	1575	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.090	प्रीतम सिंह पुत्र ओछाराम, जाति किरार निवासी लालौरकलां हाल निवास महावीरपुरा भाग 1/2, महेन्द्र सिंह पुत्र पंचम सिंह जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भाग 1/2 भूमिस्वामी।
13	1576	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.090	श्रीमति शान्ती देवी पत्नी अशोक कुमार उर्फ मुन्नालाल जाति ब्रा पता निवासी दत्तपुरा मुरैना भूमिस्वामी भूराजस्व 0.44
14	1577	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.190	श्रीमति शान्ती देवी पत्नी अशोक कुमार उर्फ मुन्नालाल जाति ब्रा पता निवासी दत्तपुरा मुरैना

				भूमिस्वामी भूराजस्व 0.44
15	1578	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.003
				श्रीमति शान्ती देवी पत्नी अशोक कुमार उर्फ मुन्नालाल जाति ब्रा पता निवासी दत्तपुरा मुरैना भूमिस्वामी भूराजस्व 0.44
कुल कित्ता	16			1.068

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र.-02-अ-82-भू-अर्जन-2020-21-ती.रे.ला.-जैतपुर नूराबाद-1902.

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (उत्तर मध्य रेल मथुरा झाँसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) ग्राम- जैतपुर नूराबाद ५०८०क०-२० रा०नि० वृत्त-०४ तहसील -बामौर उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में कुल ०.०८० हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- जैतपुर नूराबाद , ५०८०क०-२० रा०नि० वृत्त-०४ तहसील- मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवष्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील बामौर
ग. ग्राम जैतपुर नूराबाद
घ. लगभग क्षेत्रफल ०.०८० हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	137/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	मैसर्स के.के. गुप्ता एण्ड संस एच.यू.एफ. द्वारा कर्ता श्री अभय अग्रवाल पुत्र के के गुप्ता
कुल किता 01				0.080	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेय :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र.-06-अ-82-भू-अर्जन-2020-21-ती.रे.ला.-पिपरई-1903.

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉंसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) ग्राम- पिपरई प0ह0क0-05 रा0नि0 वृत्- 01 तहसील -मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में कुल 0.690 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-पिपरई, प0ह0क0-05 रा0नि0 वृत्-01 तहसील-मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला : मुरैना
ख. तहसील : मुरैना
ग. ग्राम : पिपरई
घ. लगभग क्षेत्रफल : 0.690 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितवद् व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	764	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.220	रामसेवक रामलखन पुत्र विन्दावन संदीप नावा पुत्र विन्दावन रामवीर भरतसिंह पुत्रगण सोनेराम जाति गूठा पता पिपरई मुरैना मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमिस्वामी विन्दावन रामवीर भरत पुत्र सोनेराम नेतराम पुत्रगण सोनेराम जाति गूठा पता पिपरई मुरैना मध्य प्रदेश 2/3 भाग भूमिस्वामी।
2	848	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.270	मु रामदेही बेवा सोनेराम विन्दावन विजय सिंह भरत नेतराम रामवीर पुत्र सोनेराम यशोदा रामरती लाली फूलवती पुत्री सोनेराम जाति गुर्जर।
3	870	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.120	औतारसिंह केदारसिंह पुत्रगण जण्डेलसिंह संतोषीसिंह देवीसिंह पुत्रगण बदनसिंह जाति गूठा पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
4	1018	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	अशोक दिनेशचन्द्र पुत्रगण बदीप्रसाद हि बरा 1/4 जाति ब्रा नि सरायछोला वासदेवप्रसाद जगदीश प्रसाद विन्दावनलाल पुत्रगण भीखाराम हि बरा 3/4 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
5	1021	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.020	ओमवती पत्नी साहब सिंह जाति गुजर ठाकुर
6	1022	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	ओमवती पत्नी साहब सिंह जाति गुजर ठाकुर
		कुल कित्ता 06 व अर्जित रकवा		0.690	

1. यह धोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेय :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र.-08-अ-82-भू-अर्जन-2020-21-ती.रे.ला.-नूराबाद अति.-1900.

मुरैना, दिनांक 6 फरवरी 2021

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉंसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) ग्राम- नूराबाद प0ह0क0-02 रा0नि0 वृत्त-22 तहसील -बामौर उपखण्ड- मुरैना जिला-मुरैना में कुल 0.077 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- नूराबाद प0ह0क0-02 रा0नि0 वृत्त-22 तहसील- मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	बामौर
ग. ग्राम	नूराबाद
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.077 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	679/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	हरिमोहन पुत्र हाकिमसिंह जाति गू ठा पता निवासी ग्राम
2	678	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.047	हरिमोहन पुत्र हाकिमसिंह जाति गू ठा पता निवासी ग्राम
कुल किता 02				0.077	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र.-09-अ-82-भू-अर्जन-2020-21-दीखतपुरा,अति. प्रस्ताव-1899.

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉंसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) ग्राम- दीखतपुरा प0ह0क0-22 रा0नि0 वृत्त-02 तहसील -मुरैना उपखण्ड- मुरैना जिला-मुरैना में कुल 0.066 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- दीखतपुरा, प0ह0क0-22 रा0नि0 वृत्त-02 तहसील- मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	मुरैना
ग. ग्राम	दीखतपुरा
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.066 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	483	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.066	रामेश्वर सिंह वचनसिंह रणवीर सिंह धीरेन्द्र सिंह बृजमोहन सिंह पिता देवी सिंह भूमिस्वामी जाति गु. टा. पता नि ग्राम।
कुल कित्ता 01				0.066	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषय :- धारा 40(2) के कार्यालय के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र.-11-अ-82-भू-अर्जन-2020-21-ती.रे.ला.-फूलपुर-1897.

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉंसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) ग्राम- फूलपुर प0ह0क0-20 रा0नि0 वृत्-03 तहसील -बामौरकलां उपखण्ड- मुरैना जिला-मुरैना में कुल 0.052 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- फूलपुर प0ह0क0-20 रा0नि0 वृत्-03 तहसील- बामौरकलां उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील बामौरकलां
ग. ग्राम फूलपुर
घ. लगभग क्षेत्रफल 0.052 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	480	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.052	गजेन्द्र पुत्र वीरेन्द्र भदौरिया 1/4 जाति ठाकुर निवासी टेगोरनगर ग्वालियर, लक्ष्मीनारायण पुत्र ग्यासीराम निवासी बी-17 अशोक बिहार तानसेन रोड ग्वालियर, श्रीमती कल्पना पत्नी रामस्वरूप 1/4 निवासी दुर्गापुरी तानसेन रोड ग्वालियर, रामचरन, रामभरोषी पुत्रगण तुस्सीराम 1/4 जाति शिवहरे पता निवासी स्टेशन रोड बामौर भूमिस्वामी
		कुल किता 01 व अर्जित रकवा		0.052	

- 1 यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेय :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

su

प्र. क्र.-12-अ-82-भू-अर्जन-2020-21-ती.रे.ला.-बामौरकलां-1898.

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) ग्राम- बामौरकलां प0ह0क0-20 रा0नि0 वृत-03 तहसील -बामौरकलां उपखण्ड- मुरैना जिला-मुरैना में कुल 0.134 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- बामौरकलां प0ह0क0-20 रा0नि0 वृत-03 तहसील- बामौरकलां उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील बामौरकलां
ग. ग्राम बामौरकलां
घ. लगभग क्षेत्रफल 0.134 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्योरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	483	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.032	रामरती बेवा विजय सिंह रकवा 583 वर्ग फुट दारा सिंह विजय सिंह रकवा 463 वर्ग फुट मीना बाई पत्नी जगराम सोनी रकवा 700 वर्ग फुट अरुण पुत्र रमेश राठौर रकवा 700 वर्ग फुट नि. ग्वा. परमजीत पत्नी हरवंश कौर रकवा 700 वर्ग फुट नि चीनोर उर्मिला पुत्री विजय सिंह रकवा 4134 वर्ग फुट जयरन पत्नी रमजानी रकवा 1100 वर्ग फुट नि. खिरावली श्रीमती रानी ओझा पत्नी रामाशंकर रकवा 720 वर्ग फुट जाति लोहार नि. मिहोना रामप्रकाश पुत्र अधीन शाह रकवा 700 वर्ग फुट नि. फुलगंज गुड्डी पत्नी भारत सिंह गुर्जर रकवा 1000 वर्ग फुट निवासी ओडपुरा श्याम पुत्र गोपाल प्रजापति रकवा 1400 वर्ग

					फुट घनश्याम पुत्र राधेश्याम जाति जाटव रकवा 700 वर्ग फुट श्रीमती सरोज पत्नी वेदपाल सिंह रकवा 600 वर्ग फुट भूमि स्वामी
2	477	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.098	रामरती बेवा विजय सिंह रकवा 0.085 है० दारा सिंह पुत्र विजय सिंह रकवा 0.152 है० उर्मिला पुत्री विजय सिंह रकवा 0.203 है० जाति गुर्जर नि. ग्राम रामदास पुत्र नन्द किशोर जाति किरार रकवा 800 वर्ग फुट नि. ककरधा जयदीप सिंह पुत्र जवान सिंह जाति गुर्जर नि. 18 बी हरिओम कॉलोनी 7 न. चौराहा मुरार रकवा 1400 वर्ग फुट केशव सिंह पुत्र शंकर सिंह राठौर रकवा 900 वर्ग फुट फूल वती पत्नी देशराज जाटव 1500 वर्ग फुट मोहन पुत्र काशीराम सोलंकी रकवा 1000 वर्ग फुट नि बामौर विश्राम सिंह पुत्र छोटे लाल नि मुसैना रकवा 700 वर्ग फुट जाकिर हुसैन पुत्र अब्दुल हमीर छोटी बाई पत्नी जाकिर हुसैन रकवा 0.031 जाति मुसलमान नि. रिठौरा कला हनीफ खा पत्नी रफको खा रकवा 0.007 सर्दाम राजू बा आकाश अमन नाबा पुत्रगण मुन्ना साह सर पर.माँ मुन्नी पत्नी मुन्ना सहा रकवा 800 वर्ग फुट नि. चेना रामलखन रामकेश रामसहाय पुत्र लक्ष्मन सिंह रकवा 1200 वर्ग फुट नि भूराडाडा घनश्याम पुत्र बच्चू सिंह रकवा 1000 वर्ग फुट नि. ग्वा. इकबाल खा पुत्र अनुवर खा 1350 वर्ग फुट राजावेटी पत्नी हल्के राठौर रकवा 900 वर्ग फुट नि. दौरावली गुरजीत पत्नी बलवीर सिंह रकवा 800 वर्ग फुट जाति सिख नि. बामौर मनोज पुत्र कमल सिंह रकवा 800 वर्ग फुट नि रेल्वे कालोनी मनोज पुत्र ओमप्रकाश राठौर रकवा 1100 वर्ग फुट रामऔतार पुत्र काशीराम राठौर 1100 वर्ग फुट शाहिद खां पुत्र हनीफ खा रकवा 900 वर्ग फुट कौशल पुत्र टलबिहारी रकवा 1050 वर्ग फुट अर्चना पाल पत्नी राकेश पाल रकवा 900 वर्ग फुट आशीष नितिन पुत्रगण मोहनलाल रकवा 1125 वर्ग फुट इन्द्रा पत्नी रामनिवास सविता रकवा 800 वर्ग फुट

					मुमताज बेगम पत्नी रसीद खा रकवा 800 वर्ग फुट रफीक खा पुत्र सहजाद खा रकवा 450 वर्ग फुट जुमरत पत्नी रमजानी 1100 वर्ग फुट
3	480	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.004	कलावती बेवा कुडेरीलाल निर्मला पुत्री कुडेरीलाल समान सियाराम पुत्र फोदेराम 1/2 बैजन्ती बेवा रामगोपाल जाति जाटव 1/2 सेवाराम पुत्र केशवराम रकवा 800 वर्ग फुट मेवाराम पुत्र रामरत्न 1600 वर्ग फुट वेदरिया के हिस्से में से विक्र. मोतीराम पुत्र राकुल खा 0.001 श्रीमती मीना देवी पत्नी रामस्वरूप रकवा 800 वर्ग फुट रमेशचन्द्र पुत्र संतोषी लाल रकवा 800 वर्ग फुट नवल सिंह पुत्र गंगाराम रकवा 960 वर्ग फुट रामदीन पुत्र हुकम सिंह 0.010 जवर सिंह पुत्र चन्द्रभान रकवा 960 वर्ग फुट मीराबाई पत्नी काशीराम रकवा 800 वर्ग फुट अन्तराम के हिस्सा में से विक्रेता प्लॉट का रकवा रघुवरदयाल पुत्र फदीराम 0.008 भीखाराम पुत्र झीगुरिया के हिस्सा में से श्रीमती रेखा पत्नी गोपाल 0.017 रामदयाल के हिस्सा में से अब्दुला खा पिता ईदखा रकवा 1600 वर्ग फुट अब्दुल मुनीम पुत्र महमूद अली रकवा 800 वर्ग फुट अमीरा खां जसमानी पुत्र नजीर खा रकवा 800 वर्ग फुट अमरीश उसमानी पुत्र नजीर खां रकवा 960 वर्ग फुट रामदयाल के हिस्से में से विक्रित रकवा रामदीन पुत्र ग्याप्रसाद रकवा 1600 वर्ग फुट शकुन्तला देवी पत्नी कालीचरण रकवा 800 वर्ग फुट रामस्वरूप के हिस्सा में से मनीराम पुत्र राम रकवा 1000 वर्ग फुट रामजीलाल रामदीन पुत्र ग्याप्रसाद रकवा 800 वर्ग फुट बेदरिया वगैरा व लाखन के हिस्से में से बिक्रे. हवीब खां पुत्र बजीर खां रकवा 800 वर्ग फुट गफूर खा पुत्र मोहम्मद खां 1/5 सहीद खा पत्नी गफूर खा 0.015 अब्दुलमजीत पुत्र अब्दुल रसीद रकवा 700 वर्ग फुट श्रीमती नसीम कुरैशी 0.010 असलम खां पुत्र महताब खा 800 वर्ग फुट मोहम्मदरज्जाक पुत्र अलाउद्दीन 0.006 अब्दुललतीफ पुत्र मोहम्मद हुसैन 684 वर्ग फुट

				<p>रामदयाल के हिस्सा में से विक्रित श्रीमती अफसाना पत्नी मोहम्मद 0.008 असगरखा पुत्र गुलशेर खा 0.009 कलियान पुत्र करन सिंह 0.008 श्रीमती सल्लो बाई पत्नी किशन लाल 0.011 लाखन वगैरा के हिस्सा में से विक्रित लक्ष्मीबाई पत्नी काशीराम 0.014 जगन्नाथ के हिस्सा में से माताप्रसाद , हलुका ,रमेश पुत्र लज्जाराम 0.015 रामदयाल के हिस्सा में से श्रीमती इमाइल जयनारायण पुत्री बाबू लाल 0.011 लाखन वगैरा हिस्सा में से मोहम्मद पुत्र अकूल खा 0-009 आशाराम लेखराम पुत्र भैयालाल पार्वती पत्नी भैयाराम 0.16 रामदयाल के हिस्सा में से विक्रे 0.015 रामरती के हिस्से में से विक्रित रकवा मानिकचन्द्र पुत्र जगन्नाथ प्रसाद 2000व.फु. लाखन के हिस्से में से इनानी खा पुत्र कुन्दनलाल 0.015 शंकर सिंह कप्तान सिंह पुत्र ओछारम 0.23 रामदयाल के हिस्से में से नब्बी खा पुत्र गेदाखा 0.008 रमजानीखा पुत्र शेखखा 0.008 मानिक चन्द्र पुत्र जगन्नाथ 0.008 युसूफ अली हामिद अली पुत्र सैयद अती 0.013 अनिल पुत्र रामगोपाल 800 वर्ग फुट रामदयाल के हिस्से में से भूपेन्द्र सिंह गहेंद्र सिंह धर्गेन्द्र सिंह पुत्र लाल सिंह 0.016 धारा सिंह जगन्नाथ ओत्तर सिंह पुत्र काशीराम 0-013 नादरिया रामदयाल के हिस्सा में से महेंद्र सिंह पुत्र रामदयाल सिंह 0-008 वैदरिया वगैर के हिस्सा में से सविदा वेगम पत्नी सिराज मोहम्मद 0-008 शहनाद अली पत्नी सलीम 0-015 रामवीर के हिस्सा में से 960 वर्ग फुट रामदेई पत्नी हाकिम सिंहकिरार नि.नयागावं रागरतन पुत्र गनपति 800 वर्ग फुट रामहेत पुत्र हरिविलास 0-017 मुंशीलाल पुत्र दुर्जन 0-009 पानसिंह केदारसिंह पुत्र प्रीतम सिंह कुशवाह 1/2 0-021 पंजाब सिंह मवाई पुत्र बदसिंह गुर्जर निवासी पमाया रोड 0-105मूलचंद्र पुत्र रघुनी प्रसाद जाति जाटव निवासी सैक्सैना का पुरा 0-084 महारा सिंह पुत्र भगरी राम जाटव निवासी पुराणी छावनी 0-063 लाल सिंह पुत्र खरग सिंह जाति जाटव</p>
--	--	--	--	--

				<p>0-063 सियादेवी 20X45 रामदयाल के हिस्से में से विक्रे सुरेश पुत्र केदार सिंह 0-008 विनोद सिंह पुत्र गोपाल 20 X 35 नीरेश नारायनसिंह शंकर सिंह पुत्र सियाराम 0-013 रामदयाल पुत्र लफुरी के हिस्सा में से किशन सिंह पुत्र अजुही प्रसाद राठौर रामजीलाल के हिस्सा में से श्रीमती रूपा देवी पत्नी लक्ष्मण प्रसाद 25 X100 रामरती के हिस्सा में से मोहर सिंह पुत्र पातीराम 0-006 रामदयाल के हिस्सा में से विक्रे सुरेश पुत्र केदार सिंह 0-008 विनोद सिंह पुत्र गोपाल 20 X 35 नीरेश नारायनसिंह शंकर सिंह पुत्र सियाराम 0-013 रामदयाल पुत्र लफुरी के हिस्सा में से किशन सिंह पुत्र अजुही प्रसाद राठौर रामजीलाल के हिस्सा में से श्रीमती रूपा देवी पत्नी लक्ष्मण प्रसाद 25 X 100 रामरती के हिस्सा में से मोहर सिंह पुत्र पातीराम 0-006 जानमोहम्मद रफद खा हनीफ खा पुत्र नबाव सिंह 0-010 गोपाल पुत्र गणपति 0-008 विदध्या राम पुत्र गोपाल 0-008 सुल्तान सिंह पुत्र मोहरपाल 0-008 छिग्गा के हिस्सा में से गम्भीर सिंह पुत्र गादीपल 1/2 भान सिंह केदार सिंह पुत्र प्रीतम सिंह 1/2 0.021 भानमोहम्मद रकव खा हनीफ खा पुत्र नवाव सिंह 0.010 गोपाल पुत्र गणपति 0-008 विदध्या राम पुत्र गोपाल 0-008 सुल्तान सिंह पुत्र मोहरपाल 0-008 छिग्गा के हिस्सा में से गम्भीर सिंह पुत्र गादीपल 1/2) पन्ने नख्ते पुत्र श्याम 0-058 रामरती बेबा विजय सिंह दारा सिंह पुत्र विजय सिंह उर्मिला पुत्री विजय सिंह 1-442 ब्रजभान महेंद्र सिंह, मेहर सिंह पिता हरगोविंद 1-254 फदी पिता हुक्मा 0-051 छिग्गा पुत्र तेजसिंह 0-052 मु कोसा बेबा ओछा भगवानदास श्रीलाल नाबा.सर.मा खुद पुत्र ओछा 0-060 सुनील जैन पुत्र दयाल चन्द्र नि. बहोड़ापुर ग्वालियर जसवीर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह 0-209 विजय सिंह रतन सिंह पुत्र भीखाराम 2/3 किरनदेवी बेबा हरी बाबू रमेश पुत्र हरीबाबू मिथलेश नाबा.पिता हरिबाबू रमेश</p>
--	--	--	--	---

				<p>पुत्र हरीबाबू सर मा खुद 1/3 लाखन बा लालजीत नाबा पिता नादरिया देवकी नाबा पुत्री नादरिया सर मा जाटव 0-524 रामदयाल बेदरियाछिद्दी पु छीतरिया 2/5 शान्ति वेव रघुवर भारती कृष्णा पुत्री रघुवर 1/5 रकवा 0.221 रामदयाल पुत्र भगवन्त 0-211 रामवीर जगदीश पुत्र मंगला 0-209 भगवनदास पुत्र प्रभु 0-047 भगरी पुत्र शंकर 0-047 हीरालाल पुत्र जालिम 0.021 हुसैन पुत्र नत्थू 0-021 अन्तराम पुत्र खसराम 0-021 जगन्नाथ पुत्र दुर्गाप्रसाद 1/2 सीतारम पुत्र मंगलिया लक्षिमन पुत्र मंगलिया 1/3 रकवा 0-025 रामदयाल पुत्र भगवन्त 0-010 नन्दू फद्दी पुत्र हरदेव 0-021 भरोषा बा रामरतन हरज्ञान रामविलास नाबा पिता फोदाराम सर भाई भरोसा खुद 0-021 नेतराम पुत्र नत्थे 1/4 अजुद्धी बेवा रामस्वरूप मोहन सिंह नाबा पुत्र रामस्वरूप लक्ष्मी नाबा रामस्वरूप सर मा खुद 0-125 अनवर खा पुत्र करीम खा 0-007 राधे श्यामसिंह पुत्र बच्चूराम 0-009 जगन्नाथ रामसिंह मुंशी हाकिम जण्डेल पुत्र दुर्गा प्रसाद 0-009 रामदीन हाकिम मुंशी लक्ष्मीनारायण पुत्र दुर्गाप्रसाद 0-034 जौहरा वेगम वेबा इब्रहिम 1/2 रामस्वरूप पुत्र रहीम खा 1/2 रामसहाय पिता करनसिंह 0-05 रघुबर पातीराम रामप्रकाश श्रीराम पुत्र फद्दी 0-014 पंचोल वैजनाथ रामजीलाल तेजसिंह पुत्र कुम्हेर सिंह 0-021 दुर्जन पुत्र सरवन 0-010 जगदीश पुत्र तुस्स 0-007 प्रेमा बेवा रामचरन शिब्बा बा. रमेश रामदीन नाबा. पिता रामचरन सर मा खुद 1/4 नारायणी बेवा लालाराम कप्तान झीगुरिया नाबा पुत्र लालाराम सर मा खुद रामहेत वाचाराम पुत्र नथुआ मु अजुद्धी बेवा नथुआ 1/4 भूरा हरमोहन बा.बलराम ओमप्रकाश रामविलास उर्फ रामकुमार नाबा. पुत्र फतेराम सर पिता खुद 0-015 लक्ष्मी पुत्र गणेशराम 0-006 मायारामसिंह पुत्र रामचरन गिरजादेवी पत्नी मायाराम 0-009 रामस्वरूप मुन्नालाल लक्ष्मीनारायण पुत्र छीतरिया 0-021 जाटव श्रीमती शीला पत्नी बालगोविन्द शर्मा</p>
--	--	--	--	--

				0.007 मूवरखा खुमानखा पुत्र सहजाद 0.010 महेंद्र पुत्र बंगाली 0.014 भोई सरोजनी पत्नी दर्शन सिंह 0.006 इमामिन पत्नी मुन्शीसिंह 0.004 वजीर हुसैन पुत्र करीम खा 0.009 नेकरिया पुत्र भीखाराम 0.015 राधा वेबा प्रकाश संजय सूरज नावा. पुत्र प्रकाश रामदुलारी तलुआ बा लक्ष्मी रेखा नावा पुत्र प्रकाश सर मा खुद 20X48 रामरती के हिस्से में से विक्र श्रीमती धनवंती पत्नी रामहेत 0-006 कलावती बेवा संतोषीलाल मूलचंद पुत्र संतोषीलाल 0-007 शांती देवी वगैरा के हिस्से में से विक्र रकवा 747 वर्ग फुट. क्रेता श्रीमती नत्थो बाई पत्नी अशोक कुमार जाति जाटव निवासी सैक्सैना का पुरा निजामुद्दीन उस्मानी पुत्र अल्लादीन जाति मुसलमान विक्रे निजामुद्दीन के स्थान पर क्रेता मुन्नीदेवी पत्नी तेजसिंह मुबीना बेगम पत्नी रियाजउद्दीन कुरैशी रकवा 1600 वर्ग फुट नौशे खा पुत्र बख्खन खा जाति मुसलमान रकवा 1000 वर्ग फुट
		कुल किता 03 व अर्जित रकवा	0.134	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेय :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

बी.कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

राजस्व प्र. क्र.-08-अ-82-2020-21-क्र.-भू-अर्जन-2020-H.NO.100.

उज्जैन, दिनांक 1 फरवरी 2021

// प्रारम्भिक अधिसूचना //

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(क. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में श्री कालभैरव मंदिर से लगी हुई भूमि दर्शनार्थियों की सुविधा की दृष्टि से वाहन पार्किंग हेतु भूमि अधिग्रहण ग्राम भैरवगढ के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार/भूमिस्वामी एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि श्री कालभैरव मंदिर से लगी हुई भूमि दर्शनार्थियों की सुविधा की दृष्टि से वाहन पार्किंग हेतु भूमि अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
श्री कालभैरव मंदिर से लगी हुई भूमि दर्शनार्थियों की सुविधा की दृष्टि से वाहन पार्किंग हेतु	0.125 0.784 कुल- 0.909

अनुसूची (2)

श्री कालभैरव मंदिर से लगी हुई भूमि दर्शनार्थियों की सुविधा की दृष्टि से वाहन पार्किंग हेतु भूमि अधिग्रहण अंतर्गत कस्बा उज्जैन की प्रभावित भूमि का विवरण :- ग्राम भैरवगढ तहसील उज्जैन नगर जिला उज्जैन।

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नम्बर	कुल क्षेत्रफल हेक्ट. में	कुल अधिग्रहित क्षेत्रफल हेक्ट. में	परिसम्पत्ति
1	कृष्णा, यशवन्ता लक्ष्मी, अशोक, दुर्गाशंकर, पवन पिता दुलीचंद्र निवासी- ग्राम भैरुगढ	84	0.125	0.125	
2	मेहरबान निर्भयसिंह पिता श्री किशन, देववाई, रामकन्याबाई, अयोध्याबाई पिता श्री किशन, सरजूबाई विधवा श्री किशन निवासी- मौजमखेडी कृषक ग्राम भैरुगढ	87/3	0.784	0.784	
	कुल क्षेत्रफल		0.909	0.909	

राजस्व प्र. क्र.-06-अ-82-2020-21-क्र.-भू-अर्जन-2021-H.NO.87.

// प्रारम्भिक अधिसूचना //

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013))

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में श्री महाकालेश्वर मंदिर के संबंध में पारित आदेश एवं मृदा परियोजना के कार्य तथा दर्शनार्थियों की सुविधा अंतर्गत एवं अन्य सुविधा अंतर्गत कस्बा उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार/भूमिस्वामी एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि श्री महाकालेश्वर मंदिर के सामने दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु प्रोजेक्ट से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हे०
इन्टर प्रिंटेशन सेंटर के पास श्री महाकालेश्वर मंदिर में पधारने वाले श्रद्धालुओं को पार्किंग, अतिथि निवास आदि सुविधा विकसित करने के अंतर्गत	0.029 हे०

अनुसूची (2)

श्री महाकालेश्वर मंदिर के सामने दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु पार्किंग व्यवस्था, प्रसाद व्यवस्था, जूता स्टेण्ड, ब्लॉक रूम व्यवस्था, एवं अन्य सुविधा अंतर्गत कस्बा उज्जैन की प्रभावित भूमि का विवरण:-
तहसील व जिला उज्जैन कस्बा उज्जैन

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे क्रमांक	कुल क्षेत्रफल हे.	कुल अधिग्रहित हे.	परिसम्पत्ति
1	श्री शत्रुघ्न माधव, रूपचंद्र, सेवाराम पिता ईश्वरदास सिंधी निवासी- 29, अलखधाम नगर उज्जैन	2334/मिन-2	0.029	0.029	भूमि
		कुल रकबा	0.029	0.029	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 15 जनवरी 2021

पत्र क्र. 01-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम का नाम—मयापुर
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.259 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	22/1	0.025	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की टेल माइनर की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.
2	121	0.016	संभाग, सीधी, जिला-सीधी	
3	26/1	0.014	(म. प्र.).	
4	27	0.032		
5	123	0.030		
6	125	0.006		
7	26/721	0.010		
8	122/1/1			
9	122/1/2	0.008		
10	122/1/3			
11	124	0.018		
12	26/2	0.006		
13	21	0.026		
14	29	0.024		
15	30	0.044		
	योग	0.259		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 03-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—बहरी
- (ग) ग्राम का नाम—लौआ
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 1.359 हेक्टेयर।

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	959	0.003	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना के
2	956	0.015	संभाग, सीधी, जिला-सीधी	बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय
3	957	0.094	(म. प्र.).	चरण) के मुख्य नहर की टेल
4	955/1	0.016		माइनर के सब माइनर के निर्माण
5	955/2	0.018		हेतु.
6	929	0.010		
7	928/1/1	0.010		
8	928/1/2	0.045		
9	928/2	0.018		
10	927/1	0.004		
11	868	0.001		
12	926	0.001		
13	923	0.012		
14	869	0.010		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	924	0.032		
16	871	0.046		
17	925	0.034		
18	873	0.074		
19	872	0.039		
20	897	0.064		
21	899	0.013		
22	889	0.041		
23	875	0.006		
24	888	0.050		
25	883	0.005		
26	886	0.054		
27	887	0.008		
28	885	0.001		
29	894	0.066		
30	1245	0.017		
31	1264	0.045		
32	1269	0.020		
33	1265	0.002		
34	1263	0.025		
35	1270	0.014		
36	1260/1	0.039		
37	1260/2	0.040		
38	1259/2	0.016		
39	1258/1	0.001		
40	1250	0.084		
41	685	0.012		
42	1251	0.034		
43	684	0.128		
44	927/2	0.042		
45	1244/1	0.050		
	योग	1.359		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल/बहरी में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 05-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1)

के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के, मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—गोपद बनास
 (ग) ग्राम का नाम—कोठार
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.468 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	246	0.006	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान मुख्य नहर की माइनर नम्बर
2	247/1	0.196	संभाग, सीधी, जिला-सीधी	26 की सब माइनर नहर के
3	253/1	0.014	(म. प्र.).	निर्माण हेतु.
4	253/2			
5	257	0.005		
6	251	0.024		
7	252	0.130		
8	255	0.003		
9	248	0.006		
10	196/2/3	0.084		
	योग . . .	<u>0.468</u>		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास में देखा जा सकता है.
 (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.
 (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
 (5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 07-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध

है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम का नाम—मयापुर
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.590 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	507	0.010	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना के
2	508	0.010	संभाग, सीधी, जिला-सीधी	बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय
3	509	0.019	(म. प्र.).	चरण) के मुख्य नहर की टेल
4	525	0.006		माइनर के सब माइनर के निर्माण
5	504	0.030		हेतु.
6	512	0.035		
7	516	0.030		
8	515	0.006		
9	517	0.024		
10	572	0.004		
11	567	0.012		
12	441	0.025		
13	437	0.020		
14	577	0.007		
15	571	0.002		
16	520	0.035		
17	573	0.006		
18	574	0.039		
19	434	0.002		
20	518	0.002		
21	569	0.010		
22	522	0.066		
23	523	0.065		
24	440/1	0.052		
25	440/2			
26	526	0.002		
27	435	0.060		
28	506	0.002		
29	576	0.008		
30	424	0.001		
	योग	0.590		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल/बहरी में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 09-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

जिला—सीधी
तहसील—बहरी
ग्राम का नाम—बन्दैला
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.928 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	853	0.030	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना के
2	854/1	0.002	संभाग, सीधी, जिला-सीधी	बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय
3	856	0.028	(म. प्र.).	चरण) के मुख्य नहर की टेल
4	866/1	0.004		माइनर के सब माइनर के निर्माण
5	854/2	0.002		हेतु.
6	854/3	0.028		
7	857	0.026		
8	858	0.016		
9	849	0.034		
10	860	0.017		
11	859	0.017		
12	847	0.002		
13	848	0.054		
14	831/2	0.016		
15	830/2	0.014		
16	840/2	0.012		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	838	0.033		
18	895	0.002		
19	833	0.033		
20	832	0.030		
21	896	0.002		
22	831/1	0.017		
23	830/1	0.008		
24	839	0.011		
25	828	0.032		
26	789	0.046		
27	788	0.020		
28	827	0.018		
29	790	0.026		
30	826	0.002		
31	792/1	0.022		
32	792/2	0.020		
33	793	0.013		
34	810	0.028		
35	811	0.052		
36	809	0.024		
37	808	0.055		
38	807	0.008		
39	806	0.040		
40	805	0.034		
41	804	0.050		
	योग	0.928		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल/बहरी में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व-सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 11-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात

के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम का नाम—डढ़िया
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 1.203 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1276	0.008	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना के
2	1279	0.030	संभाग, सीधी, जिला-सीधी	बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय
3	1277	0.023	(म. प्र.).	चरण) के मुख्य नहर की टेल
4	1278	0.003		माइनर के संब माइनर के निर्माण
5	1288	0.045		हेतु.
6	1285	0.018		
7	1287	0.028		
8	1331	0.024		
9	1366	0.035		
10	1328	0.002		
11	1333/2	0.022		
12	1588/2	0.024		
13	1286	0.022		
14	1334	0.006		
15	1333/1	0.026		
16	1329/1	0.020		
17	1330/1	0.012		
18	1367	0.044		
19	1368	0.030		
20	1369	0.033		
21	1394	0.053		
22	1395	0.014		
23	1393	0.049		
24	1396	0.023		
25	1446	0.059		
26	1444	0.001		
27	1447	0.044		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	1443	0.030		
29	1442	0.087		
30	1563	0.036		
31	1564	0.040		
32	1601	0.014		
33	1574	0.012		
34	1572	0.010		
35	1575	0.052		
36	1576	0.073		
37	1587	0.024		
38	1594	0.003		
39	1593	0.024		
40	1577	0.001		
41	1589	0.031		
42	1590	0.016		
43	1621	0.001		
44	1586	0.023		
45	1585	0.028		
	योग	1.203		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल/बहरी में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व-सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 13-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम का नाम—अमडिहा

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 1.166 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3	0.048	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना के
2	22	0.002	संभाग, सीधी, जिला-सीधी	बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय
3	16	0.090	(म. प्र.).	चरण) के मुख्य नहर की टेल
4	19/1	0.220		माइनर (बायी तरफ) निर्माण हेतु.
5	19/2	0.040		
6	20	0.020		
7	31	0.110		
8	88	0.150		
9	90/1	0.018		
10	90/2	0.112		
11	129	0.150		
12	128	0.170		
13	116	0.007		
14	499/1	0.003		
15	499/2	0.003		
16	499/3	0.004		
17	499/4	0.003		
18	499/5	0.003		
19	499/6	0.003		
20	499/7	0.005		
21	499/8	0.005		
		योग . .		
		<u>1.166</u>		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व-सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 15-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम का नाम—गोड़ाही
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 1.820 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1011/1	0.033	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना के
2	1010	0.023	संभाग, सीधी, जिला-सीधी	बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय
3	1008	0.001	(म. प्र.).	चरण) के मुख्य नहर की टेल
4	1009	0.037		माइनर के सबमाइनर के निर्माण
5	1022	0.105		हेतु.
6	852/1	0.024		
7	852/2	0.036		
8	1021	0.015		
9	851	0.009		
10	853	0.026		
11	854	0.011		
12	834	0.090		
13	828	0.002		
14	827	0.010		
15	565	0.002		
16	562	0.110		
17	829	0.060		
18	830	0.010		
19	794	0.020		
20	733	0.001		
21	734	0.001		
22	793	0.070		
23	728	0.004		
24	732	0.040		
25	729	0.090		
26	730	0.004		
27	362	0.034		
28	561	0.055		
29	361	0.007		
30	559	0.010		
31	560	0.001		
32	746	0.060		
33	558	0.001		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	365	0.087		
35	364	0.008		
36	367	0.005		
37	369	0.018		
38	370	0.001		
39	368	0.020		
40	371	0.010		
41	404	0.001		
42	403	0.002		
43	402	0.046		
44	400	0.004		
45	408	0.001		
46	410/2	0.062		
47	411/3	0.035		
48	410/1	0.090		
49	411/1	0.035		
50	411/2	0.035		
51	226	0.056		
52	236	0.009		
53	237	0.002		
54	238	0.015		
55	225	0.036		
56	222	0.050		
57	239/1	0.016		
58	239/2	0.033		
59	414	0.020		
60	747	0.025		
61	786	0.001		
62	785	0.062		
63	825	0.001		
64	784/1			
65	784/2			
66	784/3	0.030		
67	784/4			
68	784/5			
69	748	0.002		
	योग	<u>1.820</u>		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व-सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 17-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—बहरी
- (ग) ग्राम का नाम—उमरिया
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.657 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	371	0.055	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की टेल माइनर की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.
2	363	0.090	संभाग, सीधी जिला-सीधी,	
3	369	0.061	(म. प्र.).	
4	368	0.008		
5	367	0.097		
6	376	0.117		
7	411/1	0.005		
8	407/3	0.062		
9	409	0.052		
10	407/1	0.030		
11	407/2	0.060		
12	411/2	0.020		
	योग	0.657		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व-सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 19-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम का नाम—बन्दैला
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.735 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	298	0.028	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय
2	296	0.022	संभाग, सीधी, जिला-सीधी	चरण) के मुख्य नहर की टेल
3	295	0.018	(म. प्र.).	माइनर की सबमाइनर नहर के
4	297	0.002		निर्माण हेतु.
5	294	0.018		
6	293/1	0.034		
7	292	0.034		
8	293/2	0.004		
9	273	0.004		
10	307	0.012		
11	311	0.022		
12	312	0.048		
13	306	0.046		
14	324	0.004		
15	325	0.015		
16	326	0.052		
17	330	0.045		
18	375	0.020		
19	327	0.016		
20	328	0.002		
21	361	0.036		
22	360	0.028		
23	371	0.003		
24	357	0.022		
25	372	0.001		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	356/1	0.022		
27	376	0.027		
28	390	0.014		
29	389	0.120		
30	388	0.016		
	योग	0.735		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व-सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 21-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम का नाम—परसवार
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 2.406 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	75	0.036	कार्यपालन यंत्रि, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना के
2	76	0.067	संभाग, सीधी, जिला-सीधी	बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय
3	77/1	0.006	(म. प्र.).	चरण) के मुख्य नहर की टेल
4	78/3	0.026		माइनर के सब माइनर के निर्माण
5	82/2	0.007		हेतु.
6	80	0.039		
7	81	0.016		
8	119	0.080		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	124	0.095		
10	123	0.006		
11	144/1	0.002		
12	146	0.094		
13	532	0.010		
14	531	0.020		
15	621	0.028		
16	188	0.006		
17	162	0.035		
18	823	0.001		
19	640	0.027		
20	132	0.045		
21	156	0.012		
22	610	0.009		
23	611	0.030		
24	627	0.032		
25	623	0.001		
26	625	0.026		
27	155/1	0.002		
28	154	0.001		
29	153	0.001		
30	825	0.010		
31	608	0.048		
32	678	0.005		
33	158	0.010		
34	159	0.022		
35	151/1	0.001		
36	187	0.026		
37	186	0.023		
38	184	0.007		
39	181/1	0.035		
40	180	0.010		
41	179/1	0.015		
42	177	0.070		
43	197	0.052		
44	626	0.016		
45	624	0.010		
46	636	0.026		
47	637	0.024		
48	222	0.033		
49	223	0.065		
50	224	0.028		
51	259	0.024		
52	293	0.034		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53	258	0.007		
54	292	0.043		
55	639	0.029		
56	291	0.043		
57	289	0.030		
58	288	0.031		
59	351	0.097		
60	601	0.168		
61	199	0.105		
62	824	0.061		
63	821	0.050		
64	609	0.015		
65	612	0.006		
66	613	0.002		
67	660	0.023		
68	614	0.020		
69	533	0.006		
70	616	0.006		
71	634	0.023		
72	646	0.011		
73	644	0.032		
74	641	0.003		
75	642	0.015		
76	659	0.018		
77	643	0.028		
78	682	0.012		
79	661	0.027		
80	681	0.021		
81	680	0.006		
82	663	0.030		
83	664	0.040		
84	674	0.001		
85	665	0.032		
86	675	0.003		
87	826	0.004		
88	679	0.004		
	योग	<u>2.406</u>		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल/बहरी में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व-सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 23-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम का नाम—परवा
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.362 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	286	0.089	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की टेल माइनर की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.
2	291	0.035	संभाग, सीधी जिला-सीधी	
3	295	0.020	(म. प्र.).	
4	292	0.001		
5	293	0.008		
6	294	0.015		
7	296	0.016		
8	277	0.035		
9	281	0.001		
10	278	0.010		
11	273	0.015		
12	274	0.010		
13	275	0.016		
14	272	0.010		
15	266	0.001		
16	255	0.001		
17	268	0.012		
18	246	0.048		
19	222	0.019		
	योग	0.362		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान). कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 25-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम का नाम—लौआ
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 2.041 हेक्टेयर।

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	612/2	0.070	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय
2	391/1	0.027	संभाग, सीधी, जिला-सीधी	चरण) के मुख्य नहर की टेल
3	391/2	0.027	(म. प्र.).	माइनर की सबमाइनर नहर के
4	345/1	0.042		निर्माण हेतु.
5	361	0.016		
6	367	0.002		
7	344/1/1			
8	344/3/1			
9	344/1/2			
10	344/3/2			
11	344/1/3			
12	344/3/3	0.176		
13	344/2/1			
14	334/4/1			
15	344/2/2			
16	344/4/2			
17	344/2/3			
18	344/4/3			
19	347/1	0.034		
20	347/2	0.020		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	347/3/1	0.020		
22	347/3/2	0.020		
23	610/1/1	0.009		
24	610/1/2	0.008		
25	610/1/3	0.008		
26	610/2/1	0.008		
27	610/2/2	0.008		
28	610/2/3	0.008		
29	608	0.030		
30	609	0.035		
31	607	0.059		
32	356	0.031		
33	357	0.023		
34	358	0.016		
35	346	0.010		
36	542	0.088		
37	348/1	0.005		
38	604	0.043		
39	603	0.055		
40	546	0.077		
41	532	0.042		
42	602	0.086		
43	544	0.051		
44	533	0.042		
45	359	0.030		
46	360	0.005		
47	363	0.005		
48	375/1	0.022		
49	366/1	0.001		
50	371	0.031		
51	373	0.019		
52	362	0.020		
53	368	0.001		
54	378	0.019		
55	379	0.016		
56	390	0.062		
57	275	0.003		
58	263	0.021		
59	393	0.002		
60	394	0.010		
61	396	0.054		
62	307	0.077		
63	308	0.125		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64	309	0.030		
65	286	0.032		
66	289	0.011		
67	288	0.033		
68	287	0.041		
69	278	0.030		
70	277	0.028		
71	276/1	0.027		
72	274	0.028		
73	273	0.018		
74	269/1	0.017		
75	269/2	0.006		
76	269/3	0.018		
77	268/3	0.003		
	योग	<u>2.041</u>		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 27-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम का नाम—डढ़िया

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 1.638 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1366	0.014	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की टेल माइनर की सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.
2	1387	0.015		
3	1367	0.052		
4	1373	0.013		
5	1374	0.002		
6	1371	0.019		
7	1372	0.030		
8	1057	0.005		
9	1390	0.001		
10	1389	0.042		
11	1388	0.025		
12	1391	0.001		
13	1384	0.012		
14	1385	0.048		
15	1462	0.001		
16	1472	0.019		
17	1471	0.010		
18	1461	0.017		
19	1460	0.006		
20	1479	0.026		
21	1489	0.027		
22	1490	0.008		
23	1480	0.015		
24	1488	0.005		
25	1137	0.007		
26	1138	0.004		
27	1139	0.005		
28	1136	0.072		
29	1133/2	0.009		
30	1141	0.047		
31	1142	0.038		
32	1030	0.012		
33	1148	0.001		
34	1147	0.081		
35	1149	0.001		
36	876	0.055		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37	877	0.003		
38	878/1	0.026		
39	878/2	0.034		
40	1038/2	0.003		
41	922	0.014		
42	918/1	0.033		
43	918/2	0.014		
44	879	0.022		
45	921	0.005		
46	915	0.037		
47	938	0.005		
48	1049	0.002		
49	919	0.003		
50	939	0.003		
51	936	0.017		
52	932	0.047		
53	935	0.028		
54	941	0.001		
55	941/2135	0.004		
56	940	0.003		
57	1059	0.014		
58	1058	0.027		
59	1060	0.001		
60	1066/2	0.024		
61	1055	0.028		
62	1054	0.032		
63	1053	0.003		
64	1051	0.061		
65	1050/2127	0.016		
66	1040	0.007		
67	1029	0.017		
68	1026	0.001		
69	1025	0.051		
70	1024	0.033		
71	1018/1	0.014		
72	1018/2			
73	1020	0.017		
74	1021	0.014		
75	1009	0.033		
76	974	0.001		
77	976	0.001		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
78	1008	0.048		
79	1011	0.003		
80	1012	0.023		
81	1007	0.015		
82	1006	0.056		
83	1005	0.049		
	योग . .	<u>1.638</u>		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 29-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम का नाम—झरी
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 2.586 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	41	0.006	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय
2	34	0.190	संभाग, सीधी, जिला-सीधी	चरण) के मुख्य नहर की टेल
3	32	0.062	(म. प्र.).	माइनर की सबमाइनर नहर के
4	35	0.015		निर्माण हेतु.
5	31	0.128		
6	48	0.054		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	49	0.168		
8	53	0.067		
9	63	0.333		
10	158	0.081		
11	214	0.121		
12	207	0.024		
13	215	0.055		
14	217	0.055		
15	222	0.001		
16	221	0.078		
17	220	0.011		
18	219	0.111		
19	218	0.007		
20	289	0.070		
21	293	0.010		
22	290	0.020		
23	314/1	0.150		
24	314/2	0.100		
25	304/1	0.040		
26	310/1	0.081		
27	310/2			
28	362/394	0.029		
29	362	0.049		
30	305	0.054		
31	306	0.069		
32	307	0.005		
33	361	0.118		
34	360	0.184		
35	362/393	0.040		
	योग	<u>2.586</u>		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 4 फरवरी 2021

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 07-अ-82-2020-21-1004.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	भठिगवां कला	0.200	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.)	गंधिया जलाशय निर्माण से प्रभावित छुटी हुई निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-58-अ-82-2017-18-1005.—बराछ जलाशय योजना के निर्माण हेतु जिला शहडोल, तहसील जयसिंहनगर के अन्तर्गत ग्राम बरकछ, क्षेत्रफल 13.487 हेक्टर भूमियों के अर्जन हेतु “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” के अन्तर्गत धारा 19 की अधिसूचना जारी की जाकर मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 28 जून 2019 में प्रकाशित कराई गई थी, साथ ही स्थानीय समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया था.

अनुसूची

क्र.	पत्र क्रमांक/दिनांक	अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि			विवरण
		ग्राम	तहसील	क्षेत्रफल हे. में.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दस/भू-अर्जन/प्र. क्र./58 अ-82/2017-18/3084/शहडोल, दिनांक 07-06-2019	बरकछ	जयसिंहनगर	13.487	1. म. प्र. राजपत्र भाग-1 पृ. क्र. 5854 दिनांक 28-06-2019 शहडोल” 2. समाचार पत्र “समय दिनांक 15-06-2019 3. समाचार पत्र “दैनिक भारती शहडोल” दिनांक 16-06-2019.

उक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान अधिकारी के पास कार्य की अधिकता/व्यस्तता होने एवं आवागमन अवरुद्ध होने के कारण भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी है. धारा 19 के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय-सीमा दिनांक 28-06-2020 को व्यपगत हो गई है, चूंकि इस योजना से 215.00 हेक्टर भूमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी साथ ही जरूरत मंदों के दूरगामी हितों से सम्बद्ध है. भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है, जिस कारण से भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक न्यायोचित प्रतीत होता है.

अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही हेतु 12 माह की अवधि विस्तारित की जाती है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 8-अ-82-2020-21-1006.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	पुरैना	1.057	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.)	बलौडी जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि अर्जन का पूरक प्रस्ताव.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 9-अ-82-2020-21-1009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	सीधी	1.469	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.)	रिमार जलाशय निर्माण से प्रभावित छुटी हुई निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 3-अ-82-2020-21-1010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2)

के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	भर्री	0.261	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.)	रिमार जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 18 फरवरी 2021

पत्र क्र.-क्यू-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	निजी भूमि का	शासकीय भूमि का	धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	लगभग (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
विदिशा	त्योंदा	रूपेटी	0.010	1.780	अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी राजस्व गंजबासोदा, जिला विदिशा.	हनौता सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई, जिला विदिशा एवं परियोजना संचालक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-क्यू-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा

(1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	निजी भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	शासकीय भूमि का लगभग (हेक्टे. में)	धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
विदिशा	त्यौंदा	मुड़ैना	0.147	3.894	अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी राजस्व गंजबासोदा, जिला विदिशा.	हनौता सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई, जिला विदिशा एवं परियोजना संचालक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-क्यू-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	निजी भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	शासकीय भूमि का लगभग (हेक्टे. में)	धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
विदिशा	त्यौंदा	परासरी	1.680	2.829	अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी राजस्व गंजबासोदा, जिला विदिशा.	हनौता सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई, जिला विदिशा एवं परियोजना संचालक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-क्यू-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा

(1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	निजी भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	शासकीय भूमि का लगभग (हेक्टे. में)	धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	करई कलां	0.533	4.577	अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी राजस्व गंजबासोदा, जिला विदिशा.	हनौता सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई, जिला विदिशा एवं परियोजना संचालक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-क्यू-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	निजी भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	शासकीय भूमि का लगभग (हेक्टे. में)	धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	वन्द्रावली	3.377	4.981	अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी राजस्व गंजबासोदा, जिला विदिशा.	हनौता सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई, जिला विदिशा एवं परियोजना संचालक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.